हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीवबिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

04/04/2018/1100/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 113

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक 2177 कर्मचारी 15 फरवरी तक ट्रांसफर हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सूचना गलत दी गई है, इससे कहीं अधिक आंकड़ा है। 15 फरवरी, 2018 तक मुख्य मंत्री कार्यालय से ही 15000 से अधिक डी0ओ0 नोट अप्रूव हो करके गए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2100 ट्रांसफर्ज़ तो मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में बैठे-बैठे ही कर दी होगी। मैं, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो आपने आंकड़ा दिया है क्या यह सही है या गलत है? I want to know from the Hon'ble Chief Minister कि आपने ये ट्रांसफर्ज़ किस आधार पर की है प्रशासनिक आधार पर की है या राजनीतिक आधार पर की है। विशेष करके इस ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जैसे विडोज़ हैं, अपंग हैं या जो कर्मचारी रिटायरमैंट के नज़दीक होते हैं उनकी भी आपने ट्रांसफर की है। मैं, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने केसिज़ हैं, क्या ऐसे केसिज़ में आप पुनर्विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बहुत सारे हार्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ में सब्सिच्युट की कंडिशन है। सब्सिच्युट के बिना ही वहां से कर्मचारी को रिलीव किया गया है। स्कूलों में ताले लग गए हैं। अस्पतालों में पैरा मैडिकल स्टाफ के कर्मचारी नहीं है। मेरे शिलाई में लेबोरेटरी एसिस्टैंट था वहां पर लेबोरेटरी के टैस्टिंग के काम बन्द है। सुख राम चौधरी जी का राजपुरा में अस्पताल है, वहां से लेबोरेटरी टैक्निशियन रिकांगपियो भेज दिया गया है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जहां पर ताले लगे हैं। वहां पर कर्मचारी भेजने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

04.04.2018/1105/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 113 क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे लगता है कि उस तरफ हमारे मित्रों में हर बात में आशंका, अविश्वास की भावना पिछले तीन महीनों में बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। बहुत

सारे मसले इस माननीय सदन में इस प्रकार से भी उठे जो हमारे करने की मंशा नहीं है। लेकिन उनका शक है। उनको अंदेशा लग रहा है और उसी वजह से उन मामलों को उठा रहे हैं। वैसे मैं बात करना नहीं चाहता उसमें बहुत सारी बातें खुलेंगी। पिछले कल भी एक बिल पर आशंका थी और आशंका के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से हम क्या करना चाह रहे हैं ये हमने अभी बताया नहीं, आपको कहां से पता चल गया? इस प्रश्न के शुरू में भी आपने आशंका जाहिर की कि यह सूचना गलत है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आपकी सूचना का माध्यम क्या है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आपकी सूचना का क्या तंत्र है? --(व्यवधान)-- वे मामले उठे हैं। थोड़े-थोड़े सब जगह से उठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्थानांतरण का काम किसी भी सरकार ने पहली बार नहीं किया। आपकी सरकार बनी तो आपकी सरकार के दौरान भी स्थानांतरण हुए। स्थानांतरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई जगह स्थानांतरण में ऐसी परिस्थिति होती कि प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। कई बार कर्मचारी अपनी पारिवारिक परिस्थिति का भी ज़िक्र करते हैं। कोई बीमार है तो उस दृष्टि से ट्रांसफर होती है। उसके साथ-साथ कई जगह ऐसा भी होता है कि पांच साल तक आप लोगों ने कुछ लोगों को बिना दोष के ऐसी जगह टांग कर रख दिया क्योंकि उनके परिवार के लोग थोड़ा हमारे नज़दीक थे। हमारे समर्थक थे तो वह एक वजह ट्रांसफर की बनी। जो प्रताड़ित रहे उन लोगों को राहत देने का क्या एक दृष्टिकोण नहीं बनता है? यह भी एक उसमें आधार बनता है। लेकिन उसमें भी हम बहुत ज्यादा नहीं गए। जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी 2013 है उसके आधार पर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफरें की गईं। उससे हट करके कुछ मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफरें हुई हैं। कई जगह स्कूल, हॉस्पिटल खाली पड़े थे, उन पदों को भरने की आवश्यकता थी। वहां पोस्टें भरने के लिए ट्रांसफर्ज़ की गईं। कुछ जगह एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड और पब्लिक इंट्रस्ट पर ट्रांसफरें हुईं। कुछ जगह जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके सुझाव व आग्रह थे। इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ जगह ट्रांसफर्ज हुई हैं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो

04.04.2018/1105/SS-AG/2

भी स्थानांतरण हुए हैं, आपने एक बहुत बड़ा अंदेशा व्यक्त किया कि 20-21 हजार से ज्यादा ट्रांसफरें हुई हैं। मैं एक बार आपकी प्रैस कॉंफ्रैंस सुन रहा था। उस वक्त सरकार बनी ही थी और सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद इन्होंने प्रैस कॉंफ्रैंस में कह दिया कि 12 हजार से ज्यादा ट्रांसफर्ज़ हो गईं। आज आपने कहा कि 21 हजार से ज्यादा हो गईं। पता नहीं आपने कौन-सा फार्मूला लगा कर रखा हुआ है? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि एग्जज़रेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्चुअल पॉजिशन है वह इस प्रश्न के उत्तर में हमने आपको उपलब्ध करवाई है। 2177 ट्रांसफर्ज़ बोर्ड, कॉर्पोरेशन और विभिन्न डिपार्टमैंट में हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये ट्रांसफर्ज़ नियमों की परिधि में रह कर की गई हैं। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल, संस्थान खाली हो गए, इस प्रकार की परिस्थिति हमेशा होती रहती है। मैं इस पक्ष का हूं कि संस्थान खाली नहीं होने चाहिए। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि संस्थान खाली न हों। फंक्शनल पोस्ट जितनी रिक्वायर्ड हैं, हम रख सकते हैं, भर सकते हैं, उस दृष्टि से हम ट्रांसफर के माध्यम से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सरकार नयी बनती है तो नयी सरकार बनने के बाद थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रशासनिक दृष्टि से वह आवश्यक होता है

4.04.2018/1110/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 113 जारी....

मुख्य मंत्री जारी---

और मुझे लगता है कि वह दौर पूरा हो गया। इसके बाद आने वाले समय में स्थानांतरण काफी हद तक कम होगा। जहां आप लोगों के आग्रह आएंगें, सुझाव आएंगें, आप हमें बताते रहे। आपके विधान सभा क्षेत्र में किसी संस्थान में अगर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, जहां पोस्टें खाली हो गई हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम काम करेंगें।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ट्रांसफर्ज़ को ले कर जो प्रश्न आया है, स्वभाविक है कि सरकारें बदलती हैं तो कुछ

ट्रांसफर्ज़ भी होती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो कंट्रैक्चुअल इम्पलॉइज़ हैं, उनकी कितने समय के बाद ट्रांसफर होती है क्योंकि हमीरपुर में एक व्यक्ति जिसकी अभी दो साल नौकरी के नहीं हुए हैं, उसे दो बार ट्रांसफर कर दिया गया । तो कंट्रैक्चुअल इम्पलॉइज़ की क्या पॉलिसी है? दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो दो हजार वाले आंकड़े बताए गए हैं, कहीं न कहीं इसमें कोई कमी है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कंट्रैक्चुअल इम्पलॉइज़ की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जानना चाहा, उसमें यह है कि तीन साल तक का काँट्रैक्ट होता है। तब तक उनका ट्रांसफर नहीं होता है। जो आप ज़िक्र कर रहे हैं उसका मैं पता करुंगा। अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि यह शंका सिर्फ एक व्यक्ति को है परन्तु लगता है कि इन सभी को यह शंका हो गई है। इसका मुझे कोई समाधान नहीं दिख रहा है । विपक्ष के सभी माननीय सदस्य शंका के दायरे में जी रहे हैं और इतनी शंका करना वाज़िब नहीं है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कंट्रैक्चुअल पोस्टिंग के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक दृष्टि से प्रोविज़न पॉलिसी में हैं और ट्रांसफर की जा सकती है लेकिन आम तौर पर यह समय तीन साल का रहता है।

4.04.2018/1110/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी अपने विपक्ष के मित्रों को देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी शंका दूर होनी चाहिए। आपकी सरकार वर्ष 2013 में बनी थी। 01.01.2013 से 31.03.2013 तक तीन महीने के कार्यकाल के दौरान का आपका ट्रांसफर का आंकड़ा हमारे पास है और वह 6876 है। आप तुलना कर लें। (व्यवधान) आप डिटेल में मत जाइए क्योंकि यह मामला बहुत खुलेगा। इसमें भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। जो हम कह रहे हैं, आप यकीन कर लिया करो।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर होती है और इस बात से हम सभी सहमत हो जाएं कि इसको अगर रोकना है तो हमें अपने आप भी थोड़ा अंकुश करना चाहिए। इसको न आप लोग रोक पाए न हम रोक पाए और यह सच्चाई है। इस बात को शायद यहां पर कोई नहीं कह पाया लेकिन मैं कह रहा हूं। क्योंकि इसमें आज की तारीख में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि विधायक कितना पावरफुल है, इसको मापने का पैरामीटर यह है कि उससे ट्रांसफर बाई हैंड होती है, फैक्स से ऑर्डर होता है, फटाफट ऑर्डर होता है या नहीं होता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जब आप सरकार में रहे उस वक्त भी ऐसा होता था। एक कर्मचारी की ट्रांसफर अगर दो-चार दिन रुक जाती है।

4.4.2018/1115/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 113 --------- क्रमागत

मुख्य मंत्री-------- जारी

तो चुने हुए प्रतिनिधि या संगठन के लोग हमारे पास पहुंचकर यह कहते हैं कि कमाल है जी, हमने आपको एक काम दिया था और यह अभी तक नहीं हुआ। इस तरह से हमारी कार्यक्षमता का एक पैरामीटर बन गया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम सब लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। एक क्लास-IV कर्मचारी अपने विधायक को हमारे सामने लाकर पेश कर देता है कि यह काम करना है जो कि बड़ी खराब स्थिति है। हम चुने हुए प्रतिनिधि है और हो सकता है कि कुछ जगह पर यह ठीक भी होगा लेकिन बावजूद उसके सभी लोग अपनी-अपनी सुविधानुसार चाहते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि मुझे अपनी सुविधा के अनुसार एस0डी0एम0, बी0डी0ओ0 या दूसरी चीजें चाहिए और ऐसा होता है। सुविधा के हिसाब से तो रखिए लेकिन बावजूद उसके एक कर्मचारी ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दें कि चुने हुए प्रतिनिधि को एक खिलौना बनाकर रख दें तो ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। मैं इस बात को सदन के दोनों पक्षों के बीच में कह रहा हूं, इसलिए आओ! थोड़ा मिलकर के इस बारे में सोचें। हमें जिस काम के लिए यहां पर चुनकर भेजा है हम वे काम करें। ट्रांसफर से न कोई विधायक बना है और न ही आगे बनेगा, मैं इस

बात को यहां पर साफ कह रहा हूं। लेकिन हमें इस पैरामीटर के बारे में सोचना होगा। इसको कम करने के लिए, बंद तो यह नहीं होगी मगर इसको कुछ कम करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए हम सब लोग विचार करें। हर्ष जी, अगर पूछा जाए तो मुझे सबसे ज्यादा हर्ष उस दिन होगा जिस दिन यह ट्रांसफर्स का काम कम हो जायेगा।

अध्यक्ष : आप लोग (कुछ विधायकों द्वारा अनुपूरक प्रश्न करने के लिए हाथ खड़ा करने पर कहा।) एक मिनट सुनिए तो सही। एक मिनट, आप सुनिए तो सही। इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। (---व्यवधान---) मैंने यहां पर 18 नाम लिख लिए हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। मैं अब केवल दो अनुपूरक प्रश्न अलाउ करूंगा।

माननीय सदस्य श्री मुकेश जी, आप बोलिए।

4.4.2018/1115/av/dc/2

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने किया था तो मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : हां, दूसरा मौका आपको दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर अपनी व्यथा सुना दी है कि ट्रांसफर्स को लेकर इन पर एम0एल0एज0 का कितना ज्यादा दबाव है। हम भी यही कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और सिर्फ ट्रांसफर का ही काम हो रहा है। यहां पर जो आंकड़े दिए गए हैं यह पूरी तरह से झूठ का पुलिन्दा है। आपने 2000 लोग तो केवल पुलिस विभाग के बदल दिए। इनके अलावा आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, एच0ए0एस0, एच0पी0एस0; आपने सारे ताश के पत्तों की तरह इधर-उधर कर दिए हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स हो रही है और यह आंकड़े पूरी तरह से झूठे है। हमें पता है हिमाचल प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में किस तरह से ट्रांसफर्स का बवंडर/आतंक मचा हुआ है और आप कह रहे हैं कि केवल 22 स्थानांतरण हुए हैं। मुख्य मंत्री महोदय, हम आपको साबित कर देंगे कि प्रदेश में हजारों में स्थानांतरण हुए हैं। हम आपको शिक्षा विभाग की लिस्ट दे देंगे, दो हजार की लिस्ट तो पुलिस विभाग के

स्थानांतरण की है और हम आपको यह साबित करके दे देंगे। आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं इसलिए आप यहां मान्य सदन में सही आंकड़े पेश कीजिए। केवल उपदेश से बात नहीं बनेगी, प्रदेश में थोक में ट्रांसफर्स हो रही हैं और आप इस पर अंकुश लगाएं। वैसे ट्रांसफर्स पर रोक लगी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद थोक में स्थानांतरण हो रहे हैं। यहां पर इस तरह के बयान देना कि ट्रांसफर्स रुकनी चाहिए, हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं लेकिन हकीकत में हजारों ट्रांसफर्स हो चुकी हैं। यहां पर आपके द्वारा दिया गया जवाब पूरी तरह से गलत है। आपने राजनीति से उत्पीड़ित होकर प्रदेश में हजारों ट्रांसफर्स कर दी हैं।

4.4.2018/1115/av/dc/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक बार जो वहम हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। यहां मुकेश अग्निहोत्री जी को भी वहम हो गया है तो इसका समाधान करना सम्भव नहीं है। मुझे मालूम है, आप इस बारे में बाहर भी कहेंगे और आज इस मान्य सदन में अवसर मिला है तो आप यहां भी कह रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि जब नई सरकार बनती है तो फर्स्ट फेज़ में दो-तीन महीने तक प्रैशर रहता है।

04.04.2018/1120/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 113.. क्रमागत्

माननीय मुख्य मंत्री...... जारी।

जो नये प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे अपने विधान सभा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। जिला स्तर पर रीशफल अवश्य होता है। प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारे IAS और IPS अधिकारी हैं, उनमें भी रीशफल होता है और यह स्वाभाविक रूप से होता है। मुझे लगता है कि इसे सहजता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो पहले कभी हुआ नहीं था।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः ये बात आपके जवाब से खड़ी हो रही है।

मुख्य मंत्रीः ये बात आपकी शंका की वज़ह से पैदा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रांसफर का जो आंकड़ा---(व्यवधान)--- अरे भाई आप सुन तो लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने जो फ़िगर दिए हैं, ये अधिकारिक फ़िगर्ज़ हैं, हमने जिम्मेवारी के साथ फ़िगर्ज़ दी हैं और मुझे लगता है कि इस पर शंका की कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी पीड़ा किसी और वज़ह से हैं। जो कर्मचारी इनके अनुकूल और इनके हिसाब से चलते थे, अगर उनका कहीं और जगह स्थानान्तरण हुआ है तथा प्रशासनिक दृष्टि से हुआ है, तो उसके कारण इनको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं।

श्री हर्षवधन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो जवाब दिया है, इससे मुख्य मंत्री जी की लाचारी और परेशानी दिख रही है। ये ठीक है कि ट्रांसफर करना सरकार का अधिकार है और आप कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद ट्रांसफरें भी होती है। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेवारी स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं और जो फंक्शनल ऑफिसिस हैं उनको चलाने की नहीं है? क्या आपने जो

04.04.2018/1120/TCV/HK-2

हारे-पीटे लोग हैं, उनकी जो प्रतिशोध की भावना है, उसी को शान्त करना है? अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रांसफरों की वज़ह से सब परेशान हैं। क्या सरकार कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कोई ऐसा एक्ट लाएगी, जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सकें? हमारा और आपका कहना है कि सरकार का 80 प्रतिशत् काम तो ट्रांसफर करना है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, स्थानांतरण के विषय को इन्होंने जिस तरह से लेने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अगर आपने पिछली सरकार में ट्रांसफरें न की होती, तब तो आपको यह सब पूछने का मोरल राईट था। इस प्रकार से इस प्रश्न को नैतिक तौर से खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2013 में 29,642 ट्रांसफरें हुई, 2014 में 16,775, 2015 में 19,457, 2016 में 25,899 और 2017 चुनावी वर्ष में 31,879 ट्रांसफरें हुईं हैं। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर इन 5 वर्षों में 1,23,652 ट्रांसफरें हुई है। ---(व्यवधान)--- और ये उपदेश हमें दे रहे हैं। ---(व्यवधान)--- मुझे उत्तर देने दीजिए। मुकेश जी आप बाद में बोल लेना। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हम आपको यह कह रहे थे कि आपने जो फ़िगर दी है ये गलत है। आपकी ये फिगर 2000 गलत है। ---(व्यवधान)---

04-04-2018/1125/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 113 ----क्रमागत

अध्यक्षः आपको समय मिला है, उत्तर देने दीजिये। ---(व्यवधान)--- बैठिये, आप बैठिये प्लीज़। ---(व्यवधान)--- संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें। ---(व्यवधान)---

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो करके नारे लगाने लगे।)

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदरस्य भी खड़े हुए-शोरगुल...व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रीः ---(व्यवधान)--- जब मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं तो आपको शोभा नहीं देता है कि आप खड़े हो जाएं। इससे कुछ नहीं बनेगा। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः बैठिये प्लीज़। हो गया, काफी हो गया। मैं अगला प्रश्न कॉल कर रहा हूं। ---(व्यवधान)--- अगला प्रश्न श्री बलबीर सिंह जी पूछेंगे।

04-04-2018/1125/NS/HK/2

प्रश्न संख्याः 461

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चिन्तपूर्णी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अप्पर लोहारा में पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक एक नये गौसदन की शिलान्यास पट्टिका लगाई थी। क्या वहां पर सरकार एक नया गौसदन लगाना चाह रही है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बज़ट में बेसहारा पशुओं की चिन्ता की है। बज़ट में गौसेवा आयोग की भी स्थापना की गई है। जैसा माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम चिन्तपूर्णी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर गौ के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए गौसेवा आयोग के माध्यम से पॉलिसी बना रहे हैं। जो पशु बेसहारा हैं और जिन पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है, लोग ज्यादातर पशुओं में गौ के बजाय बैल को छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब कृषि के क्षेत्र में बैलों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अब ज्यादा समस्या बैलों की हो गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले जब सरकार की पहली कैबिनेट हुई, इसमें एक सब-कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी गौसेवा आयोग के ऊपर चिन्तन कर रही है और हम शीघ्र ही पॉलिसी ले करके आयेंगे तथा प्रदेश के अंदर गौ सैंक्चुअरी भी बनेगी। हम पशुओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए गौशालाओं को अधिकृत करेंगे ताकि देसी नस्ल या भारतीय मूल की जो गौ है, हम उनको बचा सकें, उनका संवर्द्धन भी कर सकें और ये किसान के लिए कैसे उपयोगी हों? क्योंकि हम जानते हैं कि गौ का स्थान किसान के घर तक है और यह स्थान वहां तक रहे, हम किसान को कैसे इसके लिए प्रेरित कर सकें? इसके लिए हम शीघ्र पॉलिसी लेकर आ रहे हैं।

04.04.2018/1130/RKS/YK-1

<u>प्रश्न संख्याः 462</u>

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि कोटधार क्षेत्र की जो ये 14 पंचायतें पिछड़ी हैं, 70 वर्ष बाद भी यह सारे-का-सारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र घोषित है। इसका कारण यह है कि रोड कनैक्टिविटी जोकि विकास के लिए एक मुख्य साधन या पैरामीटर्ज़ होता है, उसका न होना। यहां की जनसंख्या 32-33 हजार है। एक कोने से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैटकवार्टर को आने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। अगर यह पुल बन जाता है तो इसके बनने से 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके बारे में सरकार विचार करे और यह आश्वासन दे कि इसे सी.आर.एफ. में शामिल किया जाए ताकि आने वाले 2-3 वर्षों में इसका कार्य पूरा हो जाए। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पुल न होने के कारण वहां के स्कूलों में टीचर नहीं जाते, पिछले 5 वर्ष डाक्टर्ज़ नहीं गए। लोगों को माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। इसके अलावा शिक्षा का स्तर भी खराब हालत में है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि इसको सी.आर.एफ. में शामिल किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने ठीक कहा कि यह उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मसला है। अगर कोटधार का पुल बनता है तो इसकी कनैक्टिविटी से 14 पंचायतों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। यह भी सच है कि इस पुल के निर्माण से बहुत बड़ी जनसंख्या को राहत मिलेगी। क्योंकि उनको 90-100 किलोमीटर के दायरे से घूमकर बिलासपुर आना पड़ता है। इस पुल के बनने से 35-40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। यह उस क्षेत्र का एक बड़ा इश्यू है। जब मैं बिलासपुर गया था तो मुझ से स्थानीय विधायक श्री जीत राम कटवाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग मिले थे। उन्होंने इसके लिए आग्रह किया कि यह पुल बनना चाहिए। माननीय विधायक जी ने इस पुल को वर्ष 2018-19 की अपनी विधायक

04.04.2018/1130/RKS/YK-2

प्राथमिकता में शामिल किया है। विधायक प्राथमिकता में शामिल होने के पश्चात् इसकी जो डी.पी.आर. बनाने की बात है, उस डी.पी.आर. को पी.डब्ल्यू.डी. तैयार करेगा। जहां तक सी.आर.एफ. में शामिल करने की बात है, सी.आर.एफ. के बारे में माननीय सदन में आश्वासन देना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्योंकि यह पैसा केंद्र सरकार स्वीकृत करती है। लेकिन इसके बावजूद भी यह पुल बनना चाहिए। इस पुल की डी.पी.आर. बनने के पश्चात् हम केंद्र सरकार से पैसे की मांग करेंगे। इसके निर्माण कार्य में ज्यादा पैसा लगेगा। पुल की डी.पी.आर. बनने के बाद ही असली जानकारी मालूम होगी कि इसमें कितना खर्चा आएगा? यह एक बड़ा पुल है और ऐसा लग रहा है कि इसके निर्माण कार्य में 30-40 करोड़ रुपये के बीच में खर्चा आ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए Centrally Sponsored Scheme के अंतर्गत जो पैसा प्रदेश सरकार को मिलता है, उसके लिए आग्रह करना पड़ेगा। हमारी ओर से जो भी करने की बातें होगी, वह हम निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे।

04.04.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्या 462.... क्रमागत्

माननीय मुख्य मंत्री जारी

विधायक प्राथमिकता में आने के बाद इसमें हम पहले डी.पी.आर. बनाएंगे और डी.पी.आर. बनाने के बाद इसका पैसा कहां से और कितना पैसा स्वीकृत करना है, उस दृष्टि से हम इस सारे मामले को टेकअप करेंगे। माननीय विधायक के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उनका सम्मान करेंगे और उस पुल को बनाने की हम कोशिश करेंगे।

04.04.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्या : 463

श्री हीरा लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है कि करसोग विधान सभा क्षेत्र में 12 ट्रांस्फार्मर लगाने का जो लक्ष्य तय हुआ था उसमें से पिछले साल 4 ट्रांस्फार्मर ही लगे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 8 ट्रांस्फार्मर बाकी लगने है इनके ठेके प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि हो चुकी है तो यह कब तक तैयार कर लिए जाएंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, 2017-18 में चार ट्रांस्फार्मर लगाए गए थे और 8 जो नहीं लगाए गए, उसके कारण मुख्यतः इस प्रकार हैं कि उपयुक्त ट्रांस्फार्मर, 9 मीटर पोल, 8 मीटर पोल, कंडक्टर, जी0ओ0 स्विच, 25 के0वी ट्रांस्फार्मर इत्यादि के उपलब्ध न होने के कारण स्थगित किए गए है। इस कार्य को 30.9.2018 तक हम पूरा कर लेंगे।

श्री हीरा लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 33 के0वी0 का सब स्टेशन है जिसका शिलान्यास 2012 में भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, क्या यह सब-स्टेशन पूर्ण हो चुका है। यदि हां तो इसे कब तक जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि करसोग में 33/22 के0वी0 2X1.6 एम0वी0ए0 का सब-स्टेशन का कार्य दिनांक 29.5.2014 को शुरू किया गया था और इस सब -स्टेशन के कंट्रोल रूम तथा स्विचयार्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है। 33 के0वी0 लाइन लगभग 25.96 किलोमीटर और 22 के0वी0 लाइन 18.594 कि0मी0 बनाई जा चुकी है। इस कार्य पर 818.88 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। फिलहाल 33 के0वी0 सब स्टेशन को 22 के0वी0 पर चार्ज कर दिया गया है। 33/22 के0वी0 सब-स्टेशन करसोग को 33 के0वी0 विद्युत आपूर्ति के लिए बोर्ड ने 431 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की है। इस योजना के अनुसार 66 के0वी0 एवं 33 के0वी0 की नई बेस तैयार करने के लिए नए उपक्रम तथा 66.33 के0वी0 के 10 एम.वी.ए. नए ट्रांस्फार्मर आनी-नागन से लगाना है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस

प्रक्रिया को हम जून, 2018 तक पूरा कर लेंगे और मार्च, 2019 तक इसे पूर्ण रूप से चालू कर देंगे।

04.04.2018/1135/बी0एस0/वाई0के0-3

प्रश्न संख्या : 464

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि चौधरी हरदयाल मल्टिपरपज भवन के निर्माण के लिए अन्य भवनों से स्वीकृत राशि इसमें लगा दी गई है? अगर हां तो क्या जिन भवनों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उसमें क्यों खर्च नहीं की गई? इसके लिए डाइवर्शन की स्वीकृति किसने दी? क्या एम.एल.ए. फंड की राशि इस सोसाइटी को दी गई? क्या इस सोसाइटी के चीफ पेट्रन उस समय के एम.एल.ए. ही थे? तो क्या वे एम.एल.ए. की राशि को अपने नाम वाली सोसाइटी को देने के लिए अधिकृत थे, आजकल इस भवन का संचालन कौन कर रहा है?

4.4.2018/1140/DT/AG/-1

प्रश्न संख्या 464... क्रमागत

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, चौधरी हरदयाल, OBC भवन at नगरोटा बगवां का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं। इस भवन के निर्माण के लिए समय-समय पर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से पैसा स्वीकृत होता रहा है। काफी लम्बा समय इस भवन को पूरा करने के लिए लगा। इस भवन का निर्माण कार्य PWD के माध्यम से हुआ। भवन बनने के बाद इसको नगरोटा वैलफेयर सोसायटी को हैंडऑवर कर दिया गया। जहां तक इस में पैसे की बात कही वर्ष 2012 से 2016 तक अलग-अलग हैड से इसके लिए पैसे स्वीकृत हुए। इसके लिए एक करोड़ 35 लाख स्वीकृत हुए। उसके पश्चात 29 लाख रुपये DC कांगड़ा के माध्यम से और दिए गए। यह बात ठीक है कि यह पैसा जिलाधीश कांगड़ा के पास अलग-अलग हैड में बचा था। उस पैसा को इक्ट्ठा करके इस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए दिया गया और यह राशि 29 लाख 36 हज़ार रूपये बनती थी। कुल मिला कर

इस प्रकार से एक करोड़ 64 लाख 36 हज़ार रूपये की लागत से यह भवन बन कर तैयार हुआ। जहां तक माननीय सदस्य ने इस बारे में पुछा कि जब भवन बन करके तैयार किया गया तो उसका संचालन दूसरी सोसायटी को दिया गया। मुझे लगता है कि इन्हें मूल रूप से ऐतराज है। यह सत्य है कि उस वक्त के जो विधायक प्रतिनिधित्व करते थे वे इसके चीफ पैटर्न थे। वर्तमान में यह नगरोटा वैलफेयर सोसायटी को दिया गया है। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रश्न पूछना है तो एक-एक, दो-दो करके पूछिए।

श्री अरुण कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि इस भवन निर्माण के लिए जो अन्य भवनों की स्वीकृत राशि थी, जिसमें यह हिमाचल प्रवासी भवन at नगरोटा बगवां इसकी राशि 10 लाख रूपये थी addition to completion of OBC Bhawan in Hatwas क्योंकि यह चम्बा में है तो हटवास दूसरी पंचायत है। उसका 20 लाख रूपये। C/o society Bhawan at Nagrota Bagwan -funds utilized under OBC Bhawan at Nagrota Bagwan इसका 15 लाख रुपये था। C/o Rajiv Sadan in Nagrota Bagwan sub-division इसका 20 लाख रुपये। क्या इसकी डाइवर्शन की स्वीकृति विभाग से ली गई?

4.4.2018/1140/DT/AG/-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महादेय, इस पैसे की अगर मैं पूरी डिटेल बताऊं, आपने दो-तीन बातें कही है। यह पैसा अलग-अलग साल में स्वीकृत हुआ है। इसकी डिटेल मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि किस स्कीम का पैसा बदलकर यहां डाला गया। इसकी लम्बी डिटेल है। यह वर्ष 2013-16 तक की लम्बी डिटेल है।

04/04/2018/1145/RG/AG/1
प्रश्न सं.464----क्रमागत
मुख्य मंत्री------जारी

जिसमें मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,64,36,000/-रुपये खर्च हुआ है। जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं। अगर इनको इसकी सूचना चाहिए कि यह किस-किस शीर्ष से दिया गया है, तो उसको हम बाद में अलग से इनको दे सकते हैं।

अध्यक्ष : ठीक है, आपने इनको सूचना दे देना।

मुख्य मंत्री : लेकिन यह भवन अब बनकर तैयार हुआ है और एक संस्था को दिया गया है। वह संस्था इसका संचालन कर रही है।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय बता रहे हैं कि यह भवन सोसायटी को दे दिया गया। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है क्योंकि इस भवन को बिना डिसपैच और बिना तिथि के 19-5-2017 को हैण्डओवर किया गया था। लेकिन 11 अगस्त, 2017 को एक विज्ञापन दैनिक समाचार-पत्र 'दिव्य हिमाचल' में दिया गया कि यहां इस जमीन पर ख़सरा नं.-410 में ओ.बी.सी. भवन का निर्माण करना है और इसमें लोगों की आपत्तियां मांगी गई थीं। जब यह भवन तैयार हो चुका था, तो मेरे पास इससे संबंधित कुछ कागज़ हैं जो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि ख़सरा नं.-410 में हमने एक ओ.बी.सी. भवन का निर्माण करना है, तो उसमें अगर किसी को ऐतराज़ हो, तो बताएं। पहली बात तो यह है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, भवन बन चुका था और हैण्डओवर भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद इस सोसायटी ने अपने नाम करने के लिए 11 अगस्त, 2017 को

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसका जिक्र करें जो आप पूछना चाहते हैं।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जांच चाहता हूं। दूसरी बात यह कि यह जो वेलफेयर सोसायटी है, सेरा थाना में एक आई.टी.आई. है जो ख़सरा नं.-128 में बनी है। राजस्व अभिलेख के खाना नं.-4 में भूमि की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, खाना नं.-5 में कब्ज़ा हिमाचल प्रदेश सरकार का है, परन्तु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो

4/04/2018/1145/RG/AG/2

सोसायटी के साथ किया गया, 30,000/-रुपये प्रति माह इस सोसायटी के लिए आई.टी.आई. से जबरन लिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सोसायटी के जो फण्ड्ज आते हैं वे कहां जाते हैं? वर्ष 2015 में यह भवन तैयार हो गया था। पहले वाले को भी रेंट ऑउट किया गया। तो इसकी जो दो साल की आमदनी कौन से खज़ाने में गई? मैं यह चाहता हूं कि इसकी जांच हो।

अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात आ गई।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व सरकार के समय के सारे काम हैं और जिस विधान सभा क्षेत्र में यह भवन बना है उस विधान सभा चुनाव क्षेत्र के उस समय के प्रतिनिधि बहुत कुछ करने में सक्षम थे। वे कुछ भी कर सकते थे और अभी भी वे सक्षम हैं। इस बात को ये लोग (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) भी मानते हैं। जो जानकारी यहां दी गई कि भवन जमीन पर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसकी जमीन देने की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई। इसके बारे में पूरी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है और **मैं पता करुंगा कि यह जमीन का क्या मामला है।** लेकिन उसके बावजूद इस सारे मामले में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर भवन बनकर तैयार हुआ है, वह सोसायटी को दिया गया है और अगर वहां के चुने हुए प्रतिनिधि को इस पर ऐतराज़ है, स्थानीय पंचायत जिसने इस भवन के निर्माण के लिए जमीन दी है अगर उसको ऐतराज़ है, तो **हम निश्चित रूप से विचार करेंगे कि उस सोसायटी को जिसको वर्तमान में यह दिया गया है, उसमें औपचारिकताएं पूरी की गई हैं या नहीं, एक तो हम इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अगर औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, तो जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के स्थानीय विधायक को अगर जनहित में ऐसा लगता है कि सोसायटी को यह काम नहीं देना चाहिए और सोसायटी को अपने लिए इसमें एक आय का ज़रिया बनाया हुआ है और उस सोसायटी के पैसे का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है? इन सारी चीजों को लेकर जो बहुत सारी अन्य बातें माननीय सदस्य के मन में हैं वह आशंका दूर करने की दृष्टि से हम पुनर्विचार करेंगे कि क्या यह वाज़िब है और सही निर्णय हुआ है? अगर सही निर्णय नहीं लगता है, तो जिस पंचायत ने इसके लिए जमीन दी है उसको इसका संचालन करने की दृष्टि से विचार करेंगे।**

04/04/2018/1150/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 465

श्री नंद लालः अध्यक्ष महोदय, जो ए,बी और सी प्रश्न का जवाब मिला है, इन्होंने ए-भाग के उत्तर में कहा है कि 'only 13 number transformers are proposed to be installed'. मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें पिछला बैकलॉग कितना है और इसमें बजट के जो डिपोज़िट वर्क के ट्रांसफार्मज़ इन्स्टॉल होने हैं, वे कितने हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि 69 ट्रांसफार्मर्ज़ पिछले तीन सालों के अन्दर इन्सटॉल कर दिए गए हैं और 13 ट्रांसफार्मर्ज़ हमने 2017-18 के लिए प्रपोज़ किए थे। उसमें से 5 ट्रांसफार्मर्ज़ लगा दिए हैं और 8 को लगाने की प्रक्रिया शुरू है क्योंकि मटिरियल समय पर न आने की वज़ह से हमने कम्पलिशन का टारगेट जुलाई 2018 को कम्पलीट करना है।

श्री नंद लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह पूछा था कि इसमें डिपोज़िट वर्क की कितनी इन्स्टॉलेशन होनी है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो डिपोज़िट वर्क की बात कर रहे हैं, वर्ष 2018-19 के लिए आई0पी0डी0एस0 के माध्यम से हमारे पास स्कीम आई उसमें तो अभी हमने 29 ट्रांसफार्मर्ज़ 2018-19 के लिए प्रपोज़ किए हैं, परन्तु ये पिछले थे जो 2017-18 में 85 लाख रूपया इसमें डिपोज़िट था, जो कि इसमें खर्चा करना था। उसमें हमने 13 ट्रांसफार्मर्ज़ लगाने थे। मैंने कहा था कि 5 ट्रांसफार्मर्ज़ लगा दिए हैं और 8 ट्रांसफार्मर्ज़ की प्रक्रिया शुरू है, जिसको हमने जुलाई तक कम्पलीट करने के टारगेट्स दिए थे।

04/04/2018/1150/जेके/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 466

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने दिए हैं, वे सारे प्रश्न जोड़े गए हैं और सुविधानुसार प्रश्न बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुल्लू-माशणा थाच एवं Bradha Sanghchan के अलग-अलग प्रश्न थे। कुल्लू-माशणा थाच के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि क्या इसकी पासिंग हुई है? अगर इसकी पासिंग हुई है, जो मेरा मूल प्रश्न था तो इसमें जो ज़वाब आया है कि यात्रियों की उपलब्धता एवं रूट की उत्पादकता के मध्यनज़र इस पर आगे कार्रवाई होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुछ दिन बस पिछले साल चली थी क्योंकि वहां पर एक डंगे का निर्माण होना था उसके बाद इस बस को आगे सुचारू रूप से चलना था। उस समय आचार-संहिता घोषित हो गई और वहां पर कुछ ऐसे ऑब्जैक्शन्ज़ उस केंडिडेट ने किए फिर सारे के सारे रूट को बिना किसी आधार को मानते हुए बन्द कर दिया गया था। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मेरा कुल्लू-माशणा थाच के संबंध में मूल प्रश्न यह है कि क्या यह रोड़ पास हुआ है? यदि पास हुआ है तो इस पर कब बस चलाई जाएगी? मैं, माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा, इनके परिवार का यह बहुत पुराना क्षेत्र है। बहुत प्यार वहां के लोगों ने इनको दिया है। यह बैकवर्ड पंचायत है इसलिए कृपया करके इस पर मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं ताकि इस पर हम जल्दी से आगे बढ़ें।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुल्लू-माशणा थाच सड़क का जो प्रश्न किया है, मुझे याद है जब मैं कुल्लू विधान सभा क्षेत्र का विधायक था तब इस सड़क को मैंने ही बना करके दिया था। इस सड़क की जो पासिंग है ज्वाइंट कमेटी ने 16.12.2013 को इसकी इन्सपैक्शन हो गई थी।

04.04.2018/1155/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 466 क्रमागत

वन मंत्री क्रमागतः

फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? 2013 से लेकर 5 और 6 अक्तूबर, 2017 तक चार साल बीत गए और कोड ऑफ कंडक्ट 12 अक्तूबर, 2017 को लगा। कोड ऑफ कंडक्ट से 5-6 दिन पहले याद आई जो रोड हमने बनाया था। 5 और 6 अक्तूबर को एक 42 सीटर बस इस सड़क पर भेजी गई। लेकिन 6 अक्तूबर की शाम को जब आए तो ड्राईवर कंडक्टर ने ये कहा कि इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि हम इस पर बस को नहीं चलायेंगे। ड्राईवर कंडक्टर ने मीटिंग करके बस चलाने से इंकार किया। मैं आपके ध्यान में यह लाऊंगा कि फिर उसके बाद अगला एक्सपैरीमैंट किया। उन्होंने कहा कि तब भी करो। 7 नवम्बर, 2017 को जब इलैक्शन कमीशन के द्वारा इलैक्शन पार्टी के लिए 42 सीटर बस माशणा थाच के लिए भेजी गई तो चार किलोमीटर पहले ही इलैक्शन कमीशन की पूरी टीम रूक गई और कहा कि आगे बस जा नहीं सकती। सब को अपना सामान उठाकर पैदल चलना पड़ा। **मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि हम कुल्लू-माशणा थाच पर बस वैसे नहीं चलायेंगे जैसे आपने कोड ऑफ कंडक्ट से एक हफ्ता पहले जबरदस्ती किया। बस को भेजेंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क को पूरा ठीक करके बस को भेजेंगे। रोड की कंडीशन ठीक होने पर बस को निश्चित रूप से भेजेंगे।**

दूसरा, आपने ब्राधा-संगचान सड़क के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात है कि ब्राधा-संगचान सड़क पर 4.10.2017 यानी कोड ऑफ कंडक्ट से 8 दिन पहले सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाया गया। एस0डी0एम0, पी0डब्ल्यू0डी0 के एक्सियन, एच0आर0टी0सी0 के लोग, इन सब को लेकर 4.10.2017 को इंस्पैक्शन की गई।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

और जब इंस्पैक्शन संगचान तक पहुंची तो आगे-आगे जे0सी0बी0 चली और पीछे 47 सीटर बस। यह सच्चाई है और आप भी उसमें उपस्थित थे। जी0एस0 बाली ने कहा कि जो भी करना है करके लाओ। आगे जे0सी0बी0 चली और जो तीन मोड़ थे उन पर जे0सी0बी0 से रस्सा लगाकर बस को खींचा गया और संगचान में

04.04.2018/1155/SS-DC/2

जाकर बकरे काटे। धाम हुई। उसके बाद फिर वहां पर क्या हुआ। एक दिन बस गई और दूसरे दिन सारे ड्राईवर कंडक्टर ने इकट्ठे होकर मुझे कहा गया कि अब ये बस चलाओ। मैंने लगातार एक महीने सड़क की रिपेयर एंड मैंटीनेंस का काम किया। पासिंग के लिए जगह नहीं थी। पासिंग के लिए सारे प्वाइंटस तैयार किये। अब हमने यह बस ब्राधा-संगचान मार्ग पर 25.3.2018 को सड़क की दशा सुधारने के बाद चला दी है और यह बस लगातार चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बात कही इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चलते जो आप करते रहे, न तो आपका सुविधासार प्रश्न है लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट से हफ्ता दस दिन पहले जे0सी0बी0 से बस खींच करके ले जाने वाले हम नहीं हैं। निश्चित रहिये, सड़कों की कंडीशन अच्छी तरह से सुधार करके ये बसें हमको चलानी हैं।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ऐसा किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें कोड ऑफ कंडक्ट का पता था। इन्हें ज़रूर मालूम हो सकता है कि ऐम्स के उद्घाटन के चक्कर में कब कोड ऑफ कंडक्ट लगाना है। लेकिन हमें ऐसा कोई आभास नहीं था। जो पूर्व में वहां पर विधायक रहे, वे ये कहते थे कि यहां भेड़ें पास नहीं हो सकतीं लेकिन हमने बसें पास की हैं।

उपाध्यक्षः आप भाषण न दें, क्वैश्चन पूछें। प्रश्नकाल का समय खत्म हो रहा है।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप ब्राधा-संगचान बोल रहे हैं पिछले कल भी हल्की बूंदाबांदी में वहां बस नहीं गई। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्षः आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके ये जो हमारे रूटस हैं हमारे क्षेत्र के बारे में सीरियस हो जाईये। वहां पर यह नहीं चलेगा कि किसी की प्राथमिकता है तो उसे पीछे करो। मैंने स्पष्ट तौर पर सवाल पूछा था कि आपने पासिंग कब की, आपने उसका ज़िक्र नहीं किया कि पिछली पासिंग ब्राधा-संगचान की कब हुई है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। --(व्यवधान)--यह पिछले साल ही पास हुई थी।

4.04.2018/1200/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्याः 466 जारी---

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जारी----

उसमें सुधार की बात, आपने कहा कि 25 के बाद, जिसके ऊपर मेजें थपथपाई गई लेकिन 25 के बाद पिछले दिन भी यहां पर बस नहीं चली।

प्रश्नकाल समाप्त

4.04.2018/1200/केएस/एचके/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 4 व 5 के अन्तर्गत प्ररूप-1, नियम 6 के अन्तर्गत प्रारूप 2 व 3 तथा नियम 6(1) के अन्तर्गत प्रारूप -4 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष : अब , माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य,

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप संगठन) हस्त सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-11/2002 दिनांक 20.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2018 को प्रकाशित की, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

कृषि मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, उप-मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी,

4.04.2018/1200/केएस/एचके/3

वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-ए(3)-5/2005 पार्ट-I दिनांक 13.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग, परिचर, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःटी.बी.डी.(बी)1-1/99-लूज़ दिनांक 07.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित ।

4.04.2018/1200/केएस/एचके/4

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-62 के तहत मैंने जो नोटिस दिया था, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं जो कि इस प्रकार हैः-

"to call the attention of the Chief Minister to the situation arising out of Closing of Khodri Majri Killair Road at Kullan bridge on Himachal side by power department of Uttrakhand government thereby causing hardship to the people of Himachal without the approval of H.P. Government in District Sirmaur".

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे चुनाव क्षेत्र और पांवटा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। डीलिमिटेशन के बाद मेरे चुनाव क्षेत्र का कुछ हिस्सा पांवटा विधान सभा क्षेत्र में चला गया और यह दो क्षेत्रों को जोड़ता है। जैसे मुख्य मंत्री जी कहते हैं, हमारे यहां भोज कहते हैं एक पूरे क्षेत्र को। मेरा जो क्षेत्र है उसको मस्तभोज और जो पांवटा में क्षेत्र गया उसको आंजभोज कहते हैं। यह लगभग 15 हजार आबादी का है। इसको केवल एक रोड़ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट रोड़ थी वह उत्तराखंड से हो कर जाती थी। अधिकांश लोग इस सड़क से जाते थे लेकिन पीछे जो सत्ता में लोग थे, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरूपयोग किस प्रकार किया, यह उसका एक उदाहरण है जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा बाकी अधिक डिटेल में सुखराम चौधरी जी बता सकते हैं। हुआ यह कि वहां पर कुछ लोग गाड़ियों को रोकते थे। जब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की तो उन्होंने एक कम्पलेंट पावंटा एस.डी.एम. को दे दी। एस.डी.एम., पांवटा ने राजनीतिक दवाब के आधार पर उस रोड़ के बारे में 17.05.2017 को एक चिट्ठी लिखी कि कुछ लोगों को केलॉड़ से भारी वाहन चलने से असुविधा हो रही है। धूल उड़ती है, प्रदूषण हो रहा है, इस तरह के पत्र उन्होंने उत्तराखंड, विद्युत कॉपोरेशन के एम.डी. को लिखा। क्योंकि वह सड़क आज से लगभग 30 साल पहले बनी थी, जब बिजली का प्रोजैक्ट कोटी में बन रहा था तो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक अल्टरनेट रोड़ बनाया गया था जो हिमाचल प्रदेश से हो कर

आता है और उसको केवल हिमाचल प्रदेश के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। एस.डी.एम. के पत्र के आधार पर उत्तराखंड के विकास नगर के एक्सिअन ने वहां पर हिमाचल वाली

4.04.2018/1200/केएस/एचके/5

साइड पर बैरिकेड लगा दिया। परमानैंटली उसको एक गार्डर लगा कर बन्द कर दिया है जबकि उपाध्यक्ष महोदय, एक बैरियर उत्तराखंड वाली साइड में वन विभाग का पहले ही लगा हुआ है। अगर उनको कोई नुकसान है, कोई ट्रैफिक रोकना है तो वे वन विभाग के बैरियर के माध्यम से भी रोक सकते हैं। जो उत्तराखंड विद्युत जल निगम के एम.डी. हैं, उन्होंने उसकी एक कॉपी डी.एफ.ओ. काल्सी को दी, जिनके क्षेत्र में यह आता है कि अगर हैवी ट्रैफिक की गाड़ियां चल रही है, पुल को नुकसान हो रहा है तो हैवी ट्रैफिक के लिए उसको रोक दिया जाए।

4.4.2018/1205/av/hk//1

श्री हर्षवर्धन चौहान-------- जारी

हमें इस बारे में एतराज नहीं है, यदि पुल कमजोर है तो वह हैवी ट्रैफिक के लिए रुकना चाहिए मगर उससे आम जनमानस को असुविधा हो रही है। वहां पूरे क्षेत्र की मार्किट विकास नगर पड़ती है जहां से फर्नीचर, घर का दूसरा सामान और सारा-का-सारा राशन इत्यादि हमारे पूरे आंज-भोज के क्षेत्र को आता है। उस रोड में से केवल कार ही निकल सकती है, हम यह चाहते हैं कि उत्तराखंड वाले इस बारे में मोनिटर करें। वहां बड़ी गाड़ी को रोकें मगर हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को वहां असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे आंज-भोज और मस्त-भोज के क्षेत्र की आपस में काफी रिश्तेदारी है। जब शादी की बारात जाती है तो उत्तराखंड होकर लगभग सौ किलोमीटर का लम्बा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। हमें स्थानीय लोग इस प्रकार की असुविधा के लिए कोसते हैं। अभी पीछे मेरे अपने गांव में शादी थी और मुझे वहां लोगों ने कोसा कि तुम्हारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं ने देखो यहां पर बेरिकेड लगा दिया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और

इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए प्रशासन को आदेश करें कि हिमाचल प्रदेश की धरती पर जो बेरिकेड लगाया गया है, उसको खोलें। वैसे भी हिमाचल प्रदेश की टैरिटरी पर दूसरी सरकार या दूसरे राज्य के लोग रोक नहीं लगा सकते। वहां पर केवल जिला प्रशासन की अनुमति से ही बेरिकेड लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, इस बारे में मेरी अभी एस0डी0एम0 से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है। हमने कहा था कि आप उस पुल को हैवी ट्रैफिक के लिए रोकें, आप एकदम किसी भी रोड को नहीं रोक सकते। मेरा मुख्य मंत्री से यह निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें तथा लोगों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए जाएं। उस वक्त के विधायक श्री बलदेव तोमर जी ने भी एस0डी0एम0 को इस बारे में पत्र लिखा है। पांवटा के

4.4.2018/1205/av/hk//2

एस0डी0एम0 ने अलग-अलग डेट्स पर जैसे 17 जुलाई, 2017 को पत्र लिखा कि कानून-व्यवस्था खराब होने के साथ-साथ इससे लोगों को असुविधा हो रही है और इसको खोला जाए। उसके बाद एस0डी0एम0, पांवटा ने दिनांक 20 जुलाई, 2017 को विद्युत निगम, उत्तराखंड को फिर से पत्र लिखा कि यहां लोगों को असुविधा हो रही है और कानून-व्यवस्था की भी प्रोब्लम होगी। उसके बाद 19 अगस्त, 2017 को एस0डी0एम0, पांवटा ने पत्र लिखा मगर अभी तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि लोगों की भावनाओं और दिक्कतों को देखते हुए आप उचित आदेश देंगे कि उस बेरिकेड को हटाकर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए।

4.4.2018/1205/av/hk//3

उपाध्यक्ष : इसका माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे मगर उससे पहले माननीय सदस्य श्री सुख राम जी कुछ बोलना चाहते हैं। हालांकि प्रावधान नहीं है मगर इनके क्षेत्र से लगती हुई

समस्या है इसलिए इनको मौका दिया जा रहा है। (---व्यवधान---) कई बार साथ लगते क्षेत्र की समस्या होती है इसलिए इनको अपना विषय रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री सुख राम : उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजर कर जाती है। यह सड़क उत्तराखंड के बिजली विभाग ने बनाई है तथा जमीन हिमाचल प्रदेश की है। वह इसकी मुरम्मत करते हैं परंतु यह हमारे विधान सभा क्षेत्र से गुजर कर जाती है और शिलाई विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क पर बड़ी गाड़ी न गुजरे उसके लिए वहां पर एक आठ फुट का बैरियर लगा दिया है। वहां पर केवल छोटी गाड़ियां प्रवेश कर सकती है, किसी के घर शादी इत्यादि समारोह हो तो इस रोड पर बस/ट्रक नहीं जा सकते। वहां केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बैरियर लगाया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जनहित में निवेदन करना चाहता हूं कि इस बैरियर को हटाया जाए ताकि आम आदमी को असुविधा न हो। धन्यवाद।

4.4.2018/1205/av/hk/4

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी ने नियम 62 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और इसमें माननीय सदस्य श्री सुख राम जी ने भी अपनी बात कही है कि इसके कारण वहां की स्थानीय जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

04.04.2018/1210/TCV/YK-1

मुख्य मंत्री ...... जारी।

इस सारे संदर्भ मे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा श्री सुख राम जी ने कहा कि ये सड़क उत्तराखण्ड सरकार ने बनाई है और ज़मीन हिमाचल प्रदेश की है। उपाध्यक्ष महोदय इसकी वस्तुस्थिति इस प्रकार से है- सालवाला, सिंगपुरा, भगयणी, खोदरी माजरी गुजर किलोर मार्ग बारहवां वृत्त लोक निर्माण विभाग नाहन के अन्तर्गत पांवटा मण्डल के

अधीन 17/500 किलोमीटर से गांव डाक पत्थर तक पड़ता है। डाक पत्थर से किलोर पुल तक का भाग हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत आता है। इसका एक पोर्शन तो यह है। परन्तु उक्त सड़क का निर्माण एवं देख-रेख जिसकी लम्बाई लगभग 11 किलोमीटर है वह उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा की जाती है। ये दूसरा एक पार्ट है। जहां पर पुल स्थित है उसके अन्तिम छोर तक का कार्य भी उक्त विभाग द्वारा देखा जाता है। इस पुल को भारी वाहनों की आवाजाही हेतु बन्द कर दिया गया है। जबकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही हेतु इसे खोला गया है। यह पुल उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम से सम्बन्धित एवं उनके कार्य क्षेत्र में पड़ता है। भारी वाहनों के लिए डाकपत्थर पुल के पास एक वैकल्पिक क्रॉसिंग स्थान है जोकि किलौड़ पुल से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें वहां की सरकार की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूं कि किलौड़ स्टील पुल पर दिनांक 14-7-2017 को अवरोधक लगाकर भारी वाहनों के आवागमन के लिए बन्द कर दिया गया था। उक्त पुल का IIT रूड़की के विशेषज्ञों द्वारा 12-8-2017 को निरीक्षण करवाया गया था। जिसके उपरान्त दिनांक 27-8-2017 को विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें किलौड़ पुल पर भारी यातायात वाहनों का आवागमन बन्द कर दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पर सिर्फ छोटे वाहनों के आवागमन की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुल

04.04.2018/1210/TCV/YK-2

पर हल्के वाहनों की ओवर लोड़िंग न की जाये, ये सुझाव दिया गया है तथा किलौड़ पुल का विस्तृत विश्लेषण करवाये जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सहत्रधारा के पास स्थित पुलिया के संबंध में विशेषज्ञ द्वारा अपनी रिपोर्ट में संस्तुति दी गई है कि उक्त पुलिया से वाहनों का आवागमन न हों एवं आवश्यक सेवाओं

हेतु वाहनों को किनारे के बजाय वाहनों को पुलिया के मध्य से गुजरने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये। इसलिए आई0आई0टी0 रूड़की के विशेषज्ञों की रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार उक्त पुल को भारी वाहनों के आवागमन के लिए नहीं खोला जा सकता है। ताकि जान-माल की हानि को बचाया जा सकें। ये जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाहता था। इस पुल के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह पुल भारी वाहनों का बोझ उठाने की परिस्थिति में नहीं है और आई0आई0टी0 रूड़की की रिपोर्ट आने के बाद हम इस प्रकार का रिसक नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका क्या किया जा सकता है, लोगों की सुविधा की दृष्टि से, इस मामले पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थायें क्या की जा सकती है? वहां के स्थानीय लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो किया जा सकता है, हम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव आएंगे, उन पर विचार करके जो कार्रवाई की जा सकती है, हम करने की कोशिश करेंगे।

04-04-2018/1215/NS/YK/1

श्री हर्षवर्धन चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है। मगर प्रश्न यह है कि अगर यह पुल कमज़ोर होता तो क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह ईश्यू इनिशिएट होता? वहां से तो इनिशिएट ही नहीं हुआ कि हमारा पुल कमज़ोर है। यह हिमाचल प्रदेश के चंद कस्बों द्वारा पांवटा साहिब एस0डी0एम0 के माध्यम से इनिशिएट हुआ है। इसकी बहुत लम्बी कहानी है, मैं इसको सदन में नहीं बताना चाहता हूं। अगर पुल कमज़ोर है तो हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें भारी वाहन चलने चाहिए। वहां पर भारी वाहन नहीं चलने चाहिए। आप भारी वाहन को रोंके और उत्तराखंड की धरती में इस पुल के दूसरे अंत में वन विभाग का बैरियर है। आप हैवी ट्रेफिक को अपने बैरियर के माध्यम से कंट्रोल करें। हिमाचल की धरती पर जो हिमाचल वाला ऐंड है, उस पर गार्डर लगा दिया है। आप अपनी साईड से हैवी ट्रेफिक को कंट्रोल करें। लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं, अगर कोई शादी के लिए बस जा रही है या कोई फर्नीचर ला रहा है या छोटा-

मोटा सामान ला रहा है, उसको असुविधा न हो। इसलिए हिमाचल वाले ऐंड पर यह खोल दिया जाये। यह ठीक है और हम आपकी बात से सहमत हैं। यह पुल इतना कच्चा भी नहीं है, मगर इसमें और कोई ऑल्ट्रनेटिव भी नहीं है। आपको इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप जिला प्रशासन को हिदायत दें कि लोकल लोगों की सुविधा को देखते हुए मीटिंग करके कोई ऐसा ऑल्ट्रनेट निकाला जाये ताकि लोगों को जो दिक्कत है, उसका समाधान हो सके।

04-04-2018/1215/NS/YK/2

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि यह टैक्निकल चीज़ है और इस पर हमारा बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास आई0आई0टी0, रूड़की की रिपोर्ट भेजी गई है। मैंने इस बारे में निश्चित रूप से विभाग को कहा था कि इस अनावश्यक असुविधा का समाधान निकाला जाये। लेकिन जब रिपोर्ट इस प्रकार से आ जाती है कि वहां पर रिस्क है तो ऐसी परिस्थिति में हम कोई ज़ोखिम लेने की स्थिति में नहीं हैं। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसका सीधा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयेगा कि इन्होंने यह इस प्रकार से किया है। लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने सुझाव दिया है, प्रशासनिक दृष्टि से जो कहा है कि डिप्टी कमीश्नर को आदेश दे करके उनसे पूरी रिपोर्ट ली जाए **तो मैं निश्चित रूप से रिपोर्ट लेने के लिए कहूंगा और आगे इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे।**

04-04-2018/1215/NS/YK/3

उपाध्यक्षः नियम-62 के अन्तर्गत माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम-62 के तहत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। दिनांक 19 फरवरी, 2018 को अमर उजाला अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई। जब प्रधानमंत्री जी का "मन की बात" कार्यक्रम चला हुआ था तो चेष्टा

स्कूल के बच्चों को स्कूल से एक निजी घर में ले जाया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अलग से बिठाया गया और उनको कहां बिठाया गया? इनको cowshed में बिठाया गया। उस समय प्रधानमंत्री जी की "मन की बात" चल रही थी। विद्यार्थी स्कूल से निकले और एक विद्यार्थी ने फेसबुक पर यह पोस्ट डाली। कुछ दिनों बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई करने का बयान अख़वार के माध्यम से आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर हम इनके बीच में भेदभाव पैदा कर दें तो निश्चित रूप से समाज में एक अराजकता की भावना आएगी। दलित जाति के बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव हुआ। यही नहीं, वहां पर जो खाना बनाने वाली मिड-डे-मील वर्कर लगी है, यह बात भी ध्यान में आई है कि जब खाना बनाने के बाद बांटने की बात आती थी तो इन बच्चों को अलग से बांट कर अलग बर्तन के द्वारा खाना दिया जाता है। आज समाज 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। समाज में अगर ऐसी भावना बचपन से पैदा हो जायेगी तो समाज में विभाज़न पैदा हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और फिर अराज़कता पैदा हुई।

04.04.2018/1220/RKS/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु...जारी

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह चाहूंगा कि यह घटना तो प्रकाशित हुई है लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां यह घटना प्रकाशित नहीं हुई। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी सभी विभागों, सभी स्कूल्ज, कॉलेजिज, विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी भेदभाव की घटना न हो? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें समाज को एक रखने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय करने हैं। इन दिशा-निर्देश के अनुरूप हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब सरकार और समाज के सभी वर्गों की तरफ से एक नीति के तहत भेदभाव की भावना को खत्म किया जाए। तभी हम इस समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि स्कूलों में कम-से-कम ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हो। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी क्या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?

श्री जगत सिंह नेगीः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसमें माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है, यह वाकई में ही निंदनीय है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परन्तु फिर भी आप छुआछूत मिटा नहीं पा रहे हैं। आपके राम राज्य में यह हो रहा है।

मुख्य मंत्रीः आप राम के पीछे पड़ गए। (...व्यवधान...)

श्री जगत सिंह नेगीः सर, बिल्कुल पडूंगा। (...व्यवधान...) आपने प्रण लिया है। मेरा फर्ज आपको याद दिलाना है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, हमने नियमों के विरुद्ध आपको अलाउ किया है। कृपया आप अपना सुझाव दें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय मंत्री जी, जो अध्यापक थे, जिन्होंने यह काम किया है क्या उनके विरुद्ध एस.सी.,एस.टी. एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एफ.आई.आर. लॉज की है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

04.04.2018/1220/RKS/AG-2

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने नियम-62 के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है, उसके संबंध में मैं वस्तुस्थिति बता देता हूं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उपरोक्त मामले के संबध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः-

दिनांक 16 फरवरी, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री ने 'परीक्षा पर चर्चा' हेतु प्रोग्राम को टेलीविज़न पर स्कूलों में सीधा प्रसारण दिखाने के निर्देश दिए थे। यह मन की बात का कार्यक्रम नहीं था।

उपरोक्त प्रोग्राम के दौरान राजकीय उच्च पाठशाला, चेष्ठा, जिला कुल्लू के मुख्याध्यापक द्वारा संबंधित स्कूल के बच्चों को, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के घर पर ले जाया गया। जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अलग से बिठाया गया। इस प्रकरण में संबंधित स्कूल के 4 अन्य अध्यापक भी शामिल थे। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने इस पर तुरन्त कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें मेजिस्ट्रियल इन्क्वायरी बिठाई। जिसमें उपरोक्त अध्यापकों को दोषी पाए जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज कर दिया गया तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई गई। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

श्री राजन भारद्वाज, तत्कालीन मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला, चेष्ठा, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

विभागीय कार्रवाई, राजकीय उच्च पाठशाला, चेष्ठा से उच्चतर शिक्षा निदेशालय में दिनांक 20.02.2018 को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तदुपरांत दिनांक 17.03.2018 को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है तथा सामूहिक विभागीय जांच जारी है।

04.04.2018/1225/बी0एस0/एच0के0-1

माननीय शिक्षा मंत्री जारी

इसी प्रकार श्री संजय शर्मा, तत्कालीन शास्त्री, राजकीय उच्च पाठशाला चेष्ठा, जिला कुल्लू, राजकीय उच्च पाठशाला चेष्ठा से राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढलियाड़, संगम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथाड़ को प्रशासनिक आधार पर स्थानातंरित कर दिया गया है, साथ ही दिनांक 17.3.2018 को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है तथा सामूहिक जांच जारी है। अमर सिंह, टी.जी.टी. नॉन मेडिकल, राजकीय उच्च पाठशाला चेष्ठा, जिला कुल्लू, से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बटवाड़ा जिला मण्डी, को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही दिनांक 17.3.2018 को

आरोप पत्र जारी कर दिया है तथा सामूहिक विभागीय जांच जारी है। अजय ठाकुर तत्कालीन कला अध्यापक, एस.एम.सी. राजकीय उच्च पाठशाला, जिला कुल्लू , उक्त मामले में पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर. दर्ज होने के उपरांत इन दोनों अध्यापकों जोकि एस.एम.सी. द्वारा लगाए गए थे, की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। दूसरा अध्यापक इसमें मेहर चन्द, तत्कालीन भाषा अध्यापक, एस.एम.सी. राजकीय उच्च पाठशाला चेष्ठा, जिला कुल्लू में कार्यरत था। इस प्रकार के मामलों की प्रदेश में पुनरावृति न हो, इसलिए सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के निदेशक को भी यह स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को लोकल अथॉरिटी घोषित किया गया है। जिनका यह उत्तरदायित्व है कि कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ जातीय आधार पर स्कूलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषियों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए। इसी प्रसंग में सरकार ने निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को यह आदेश भी पारित किए है कि सभी जिलों के प्रारम्भिक उप निदेशको को यह निर्देश दिए जाएं कि स्कूलों में बच्चों के साथ किसी 04.04.2018/1225/बी0एस0/एच0के0-2
प्रकार का जातीय भेदभाव न होने दे तथा यह सुनिश्चत करें कि मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चो को स्कूलों में जो मध्याहन भोजन परोसा जाए उसमें मध्याहन योजना के

04.04.2018/1225/बी0एस0/एच0के0-2

अंतर्गत अनुक्रमांक के अनुसार बिठाने हेतु जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए ताकि किसी भी बच्चे के साथ जातीय भेदभाव न हो, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एंव सरकार को भेजी जानी सुनिश्चित करें। सरकार के उपरोक्त निर्देशों की पालना में निदेशक शिक्षा ने जिलों के समस्त प्रारम्भिक उप शिक्षा निदेशकों, उच्चतर शिक्षा निदेशकों एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 19 मार्च, 2018 को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं तथा निदेशालय स्तर पर

एक निशुल्क दूरभाष,टोल फ्री नम्बर 1808007 स्थापित किया है। जिस नम्बर पर पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के भेदभाव या मध्याहन भोजन योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10:00 बसे से सायं 5:00 बजे तक दर्ज की जा सकती है। जिस पर विभाग तत्काल कार्रवाई अमल में लाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही सामाजिक समस्या है, 16 फरवरी,2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ परीक्षा के ऊपर चर्चा की थी, इसलिए सारे देश भर में उसको समार्ट कक्षा द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा और सीधा टेलिविजन पर सीधा प्रसारण सभी विद्यालयों में दिखाया गया था और सभी विद्यालयों में निर्देश दिए गए थे कि विद्यालय में टेलिविजन सैट की अगर आवश्यकता पड़ी तो किराए पर ले सकते हैं ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी। लेकिन विद्यालय में ही उनको यह कार्यक्रम दिखाना है। इस विद्यालय के मुख्य अध्यापक और जो चार अन्य अध्यापक मैंने बताए हैं, उन्होंने स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के घर में यह प्रबंध किया। क्योंकि वहां पर डिश लगी होगी और वहां पर बच्चों को अलग-अलग बिठाया गया। वह किसी का घर था इसलिए उन्होंने वहां दूसरी जाति के बच्चों को बाहर बिठाया। जब यह समाचारा पत्रों में आया तो एक दम से उसका संज्ञान केवल मात्र हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिया गया, हमने तुरंत डी.सी. कुल्लू की अध्यक्षता में मजिस्ट्रियल जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट आने पर उसकी तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

4.4.2018/1230/DT/DC/-1

शिक्षा मन्त्री जारी......

इसके साथ उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है, जिनको हटाना था उनको हटा दिया गया है। क्योंकि वे लोग उच्च शिक्षा व प्राईमरी शिक्षा से सम्बन्धित थे, इसलिए सामूहिक चार्ज़शीट उनको दे दी गई है। उनके ख़िलाफ विभागीय जांच हो रही है और उस जांच के आधार पर एक्शन लिया जायेगा। 21

मार्च तक यह सारी कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि इसका संज्ञान केवल प्रदेश सरकार ने ही नहीं लिया था बल्कि इसका संज्ञान प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा भी लिया गया था। इसलिए इसमें तुरन्त कार्रवाई की गई है। इस संबंध में माननीय सदस्य और माननीय सदन को कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी पूर्व सरकार द्वारा बहुत सारे आदेश अलग-अलग तिथियों में ज़ारी किये गये हैं, 16.11.2015, 16.12.2015, 26.2.2016, 18.6.2016, 13.10.2016, 16.12.2016, 16.8.2017, 15.9.2017, 25.11.2017, यह इतने सारे आदेश विभागों को भेजे गये हैं और मध्यान्न योजना में बच्चों को रोल नम्बर के हिसाब से बिठाया जाये, यह आदेश उच्च शिक्षा व प्राईमरी शिक्षा निदेशालय द्वारा सबको प्रेषित किये गये है। लेकिन इस प्रकार इक्का-दुक्का घटनायें अगर कहीं पर हो जाती है तो विभाग इसका कड़ा संज्ञान लेगा। **हम किसी भी आधार पर जातीय भेदभाव सहन नहीं करेगे और कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ़ की जायेगी , यह आवश्वासान मैं माननीय सदन को देना चाहता हूं।**

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि अनुसूचित जाति के बच्चों से भेदभाव हुआ है तो जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है क्या वह एट्रोसीटि एक्ट के अन्तर्गत दर्ज़ हुई है?

4.4.2018/1230/DT/DC/-2

शिक्षा मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि बाक़ायदा एट्रोसीटि एक्ट में भी और उसमें जो अन्य आई0पी0सी0 की धारायें लगती होंगी उसके अन्तर्गत किया गया है और उपायुक्त कुल्लू ने इसकी जांच की थी।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस मामले में कोई गिरफतारी नहीं हुई है। अगर एट्रोसीटि एक्ट के तहत कभी भी कोई एफ0आई0आर0 दर्ज़ की जाती है तो उसमें पहले गिरफतारी की जाती है। मेरा माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय

जी से यह अनुरोध है कि, ठीक है आप को विभाग के अधिकारियों ने कहा भी है लेकिन आप तो खुद भी लॉयर हैं और आप जानते है एट्रोसीटि एक्ट में पहले गिरफतारी होती है, अगर गिरफतारी नहीं हुई है तो इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये।

शिक्षा मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एफ0आई0आर0 उचित प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज़ हुई है। मैं उपायुक्त कुल्लू से आज ही जानकारी लूंगा कि इस पर क्या हुआ है। क्योंकि एट्रोसीटि एक्ट में जो गिरफतारी का प्रोविज़न है, हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसमें कोर्ट में सरण्डर किया जाता है और उसी समय उनकी बेल हो जाती है। तो टेक्नीकली अरेस्ट होती है लेकिन उसको, माननीय जगत सिंह नेगी जी जानते हैं कि वो अरेस्ट मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती, कागजों में ऐरेस्ट होती है लेकिन बेल तुरन्त हो जाती है।

4.4.2018/1230/DT/DC/-3

अध्यक्षः अब माननीय रमेश चंद ध्वाला जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से दिनांक 2 अप्रैल 2018 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक *सराय में चल रहा ज्वालामुखी हस्पताल* से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

04/04/2018/1235/RG/DC/1

श्री रमेश चंद ध्वाला------जारी

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारे यहां ज्वालामुखी अस्पताल बस अड्डे के पास था और पिछली सरकार बनने के बाद से वह अस्पताल एक सराय में चल रहा है। पहले वह अस्पताल सी.एच.सी. था और अब सब-डिवीजन अस्पताल है। अब वह सराय

स्वास्थ्य विभाग के नॉर्म्ज के अनुसार तो बनी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां दस आदमी भी खड़े नहीं हो सकते। वहां के शीशे सारे टूटे हुए हैं और गन्दगी चारो तरफ फैली हुई है। मैं इस बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार यहां दे सकता हूं। इस बारे में वहां रोज़ ही ख़बरें लगती हैं। उस अस्पताल के कमरे और मरीज के सारे फोटो अख़बार ने प्रकाशित किए हैं। वहां की शौचालय पूरी तरह से बंद हैं। वहां बहुत गन्दगी और बदबू है। वहां की हालत ऐसी है कि रोगी के साथ जो भी अटैन्डेंट जाता है वह भी दूसरे या चौथे दिन बीमार हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के नाम पर इससे चालीस पंचायतों को सुविधा मिलती है और लोग यहां रोज़ आते हैं। बस अड्डे से उतरकर 50/-रुपये थ्रीव्हिलर वाले को देने पड़ते हैं और इस प्रकार से आने-जाने का 100/-रुपया लगता है। इसके अलावा दवाई लेनी है, तो 100/-रुपये उनके और लगते हैं और अगर दूध भी लेना होगा तब भी उनके 100/-रुपये लगते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के नॉर्म्ज के अनुसार तो वह सराय बनी नहीं है। उसको वहां अस्थाई रूप से बनाया गया था क्योंकि वहां नीचे हमारे ही समय में 3,00,00000/-रुपये एन.आर.एच.एम. के तहत एक भवन बना था। वह भवन स्वास्थ्य के नॉर्म्ज के अनुसार बना है। वहां सीटें लगी हैं, वहां बढ़िया कमरे हैं। जबकि वहां तो केवल 15 रोगियों को ही दाख़िल किया जा सकता है। इसके अलावा और कमरे नहीं हैं जहां मरीज़ों को दाखिल किया जाए। यह जो भवन बना है, इसके अतिरिक्त वहां एस.डी.एम., डी.एस.पी. तहसीलदार साहब बैठते हैं और इसके अलावा वहां एक-दो विभाग और भी हैं। बाकी की वह बिल्डिंग वहां खाली है। इसलिए वह बिल्डिंग हैल्थ के नॉर्म्ज के अनुसार बनी है। हां, थोड़ी-बहुत तोड़फोड़ वहां की गई है। जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है हम तो उनको ही लिखकर देंगे, वहां जो नहीं हो सकता और नियमानुसार जो बिल्कुल गलत है। वहां स्वास्थ्य विभाग की 17 कनाल जमीन थी और ऊपर जो सराय में अस्पताल चल रहा है। वहां पर वह जमीन मंदिर

04/04/2018/1235/RG/DC/2

ट्रस्ट की है और मंदिर ट्रस्ट की जमीन ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण स्वास्थ्य विभाग की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर नीचे सैक्रेटेरियेट के लिए कर दी

और ऊपर स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन ट्रांसफर कर दी जोकि नियमों के अनुसार ट्रांसफर नहीं हो सकती है। एक विधवा महिला की जमीन, नाबालिक के नाम की जमीन और मंदिर ट्रस्ट एवं गिरजाघरों की जमीन ट्रांसफर नहीं होती है। यह किस नीति के तहत किया गया, यह तो एक अलग बात है। इसकी तो जांच होगी और जिसने ऐसा किया होगा, वह भुगतेगा। लेकिन वहां सरासर गलत हुआ है। आज भी उस अस्पताल के 5-6 कमरे पुराने हैं, वे बंद पड़े हैं और उनमें कोई नहीं बैठता। माननीय मंत्री जी ने भी वहां निरीक्षण किया था। कई आंखों से अन्धे होते हैं और कई दिमाग से अन्धे होते है

03/04/2018/1240/जेके/एचके/1

श्री रमेश चन्द ध्वालाः-----जारी------

वहां पर एक फाउंडेशन निकाल दी है और उसकी गहराई 15 फुट की है। पांच-सात दिन पहले की बात है। वहां से कोई बेचारा बुजुर्ग अपने पौत्र को ले कर गया, वह वहां से गिरा और उसकी दोनों टांगे टूट गई। वहां यात्री निवास के साथ ही दो मीटर की दूरी पर खुदाई कर दी है। वहां पर डिपार्टमैंट ने न कोई तार लगाई है और न अन्य कुछ लगाया है। वह बुजुर्ग रात के अंधेरे में दवाई लेने के लिए गया और वहां पर गिर पड़ा। उसकी दोनों टांगे टूट गई। इस तरीके से वह हॉस्पिटल चल रहा है। वहां पर जो चंगर के लोग आते हैं मैक्सिमम हमारी जो 20 पंचायतें हैं, लोग वहां से आते हैं, अड्डे में उतर कर 50/-रूपए देते हैं, एक तो उनको यह दिक्कत है। दूसरे जो भी रोटी, पानी है, वहां जो हॉस्पिटल था, वहां से सारा कुछ आ जाता था। अब इनकी समस्या को मध्यनज़र रखते हुए मेरी माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है और मैंने इनको कहा था कि you have to visit and inspect the spot. आप खुद ही देख लें। वहां पर आदमी आधे घंटे तक खड़ा नहीं हो सकता है वहां इतनी बुरी हालत है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में मंत्री जी को पहले भी कहा है और वहां की खबरें रोज़ाना लगती हैं। वहां पर चार-पांच कमरे अलग से बने हैं, वहां पर ऑफिसर्ज़ बैठते हैं और बाकी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। उसके अलावा भी वहां पर पांच-सात कमरे हैं। पहले

टैम्परेरी शिफ्ट किया था और अब ज़मीन ट्रांसफर करके गलत तरीके से वहां पर हॉस्पिटल चल रहा है। वहां पर लोगों की सुविधा के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है जबकि वह सब डिविज़नल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह हॉस्पिटल तुरन्त एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर शिफ्ट किया जाए ताकि उसका लोगों को कुछ फायदा मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

03/04/2018/1240/जेके/एचके/2

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द ध्वाला जी द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत "सराय में चल रहा ज्वालामुखी अस्पताल"। उसके कारण जो वहां पर हालात व परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनकी तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। वैसे तो माननीय विधायक जी ने बहुत विस्तार से उस अस्पताल की दयनीय स्थिति की ओर इशारा किया है। जब मैं कांगड़ा के प्रवास पर था तो उस अस्पताल को देखने के लिए मैं भी वहां पर व्यक्तिगत रूप से गया था। अध्यक्ष महोदय, आज इस अस्पताल का स्तर सिविल अस्पताल के रूप में है। यह अस्पताल 28.03.2017 को स्तरोन्नत किया गया था। 50 बिस्तरों से बढ़ा करके इसकी संख्या 100 की गई थी। परन्तु जब यह सारी कहानी शुरू हुई तो वह वर्ष 2013 था। उस समय यह सी0एच0सी0 अस्पताल के रूप में था। जैसे कहा गया, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस अस्पताल के भवन का निर्माण हो रहा था और इसके ऊपर लगभग 2 करोड़ 48 लाख रु0 खर्च करके इसको प्रशासनिक मान्यता प्रदान की गई थी। लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा भी हो चुका था।

04.04.2018/1245/SS-HK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

इसी मध्य में जो तत्कालीन डायरेक्टर, हैल्थ सर्विसिज़ थे उनका टेलीफोन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धर्मशाला को जाता है कि इस अस्पताल को स्थानांतरित किया जाए। उसमें एक चिट्ठी भेजी जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि उसमें जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। उसमें एक्सियन आई0पी0एच0, पी0डब्ल्यू0डी0 के संबंधित अधिकारी उस कमेटी के सदस्य होते हैं और वे फैसला करते हैं कि इस सी0एच0सी0 भवन के निर्माण का काम चल रहा है इसलिए यहां पर धूल बहुत है, पीने के लिए पानी है नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस अस्पताल को तुरन्त बदलने के आदेश प्राप्त होते हैं और ये अस्पताल मां ज्वालामुखी का मातृ छाया, जिसको हम सरायं कहते हैं, वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इसको स्थानांतरित करने के पीछे उद्देश्य क्या था? जहां पर इसको बदला गया है, अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपनी आंखों से उस अस्पताल के परिसर को देखा, निरीक्षण किया कि वहां पर एक अस्पताल के लिए जो नॉर्म्स होने चाहिए, वे हैं नहीं। वहां जो शौचालय हैं, मैंने वहां के बी0एम0ओ0 से पूछा कि ये बंद क्यों हैं तो उन्होंने कहा कि हमने इसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन वे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। यानी अध्यक्ष महोदय अगर एक हाइजिनिक फैक्टर की बात की जाए तो मैं यह कह सकता हूं कि मातृ छाया में चल रहा यह अस्पताल स्वास्थ्य मानकों के ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं उतरता। माननीय रमेश ध्वाला जी ने जो यहां पर बात कही है और लगभग 40 पंचायतों का यह अस्पताल, दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीज पहले बस अड्डे पर उतरते हैं फिर वहां पर कोई गाड़ी करते हैं तो फिर उस मातृ छाया/सरायं में पहुंचते हैं। दवाई के लिए फिर ज्वालामुखी अड्डे के नज़दीक पहुंचते हैं। अगर उन्हें दूध या कुछ और खाद्य सामग्री की आवश्यकता महसूस होती है तो दोबारा उनको वहां पर आना पड़ता है। इसलिए माननीय सदस्य की जो भावना है उस भावना के साथ मैं बिल्कुल अपने आपको शामिल करता हूं। परन्तु जो माननीय सदस्य ने कहा कि किन नियमों के तहत मंदिर ट्रस्ट की जमीन को बदल दिया जाता है। बाकायदा यहां पर जो मुझे जानकारी मिली है उसमें मुख्य आयुक्त मंदिर एवं प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) द्वारा दिनांक 21.11.2013 को भूमि का तबादला हेतु आदेश जारी किये जाते हैं। अब अगर ये आदेश जारी किये गए हैं तो ये कह सकते हैं कि यह छानबीन का विषय हो सकता है कि किन नियमों के तहत

04.04.2018/1245/SS-HK/2

यह सब कुछ हुआ है। परन्तु अध्यक्ष महोदय जो आजकल मातृ छाया/सरायं के साथ हॉस्पिटल बनना प्रस्तावित है, प्रस्तावित ही नहीं है उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस पर लगभग 10 करोड़ की राशि खर्च होगी। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि इस पर डॉक्टर्ज़ के जो क्वार्टर्ज़ हैं उस भी राशि लगभग खर्च हो चुकी है और जो अन्य कर्मचारी के क्वार्टर्ज़ बनने हैं उसके लिए भी राशि खर्च हो चुकी है तो माननीय अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस विषय को बार-बार उठाया और

4.04.2018/1250/केएस/वाईके/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

मुझे भी यह लग रहा है कि यह जो सिविल हॉस्पिटल मातृछाया के नज़दीक वर्तमान समय में चल रहा है, एन.एच.एम. की फंडिंग के द्वारा बस अड्डे के नज़दीक बनाया तो वह अस्पताल के लिए था परन्तु आज उस भवन में एस.डी.एम. कार्यालय व अन्य कार्यालय भी है। हमने आपके बार-बार आग्रह करने पर, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आप कई बार मिले और आपने कहा कि परिस्थितियों के मध्यनज़र एक स्वास्थ्य केन्द्र के जो मानक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और लोगों को अधिक खर्चा न करना पड़े , वे आसानी से अस्पताल में पहुंच सके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जिलाधीश कांगड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और हमने उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रेषित की जाए। मैं माननीय सदस्य को माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपकी भावना है, उसके साथ हम शामिल हैं और कोशिश करेंगें कि जिस विषय को लेकर आप और ज्वालामुखी हलके की जनता चिन्तित है, उस पर रिपोर्ट आने के बाद हम स्टीक व ठीक निर्णय लेने का प्रयास करेंगें।

4.04.2018/1250/केएस/वाईके/2

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़े विस्तार में उत्तर दिया लेकिन कमेटी को बने हुए तो दो-तीन महीने हो गए, उसने तो रिपोर्ट ही नहीं दी। कमेटी के लोग पता नहीं अपनी जो गल्तियां की हैं, उनको छिपा रहे हैं या क्या है? एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब नियम में प्रोविज़न नहीं है तो वह जमीन स्थानांतरित कैसे की गई, किस नियम के तहत की गई और कब की गई? दूसरे, जो वहां पर रैजीडैंस क्वार्टर्ज़ बनाए हैं, वहां पर जगह तो काफी थी लेकिन ऊपर बनाए हैं। वह अधिकारी या कर्मचारी तो वहां तक आ सकता है, उसका अपना व्हीकल होगा लेकिन आम नागरिक वहां पर डेली कैसे जाएंगें? वहां पर स्थिति यह है कि अगर नादौन में बारिश लगती है तो बल्डिंग पहले टपकने लगती है। हम आपसे तीन महीनों से, जब से सरकार बनी है, इस मामले को उठा रहे हैं कि यात्री निवास में जो हॉस्पिटल है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से सरासर गलत है। वहां पर तो जो जाता है, वही बीमार हो जाता है, मरीज की तो आप बात ही छोड़िए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसको टाइम बाउंड करिए । कब तक यह डिसिज़न होगा? दो-तीन महीने हो गए वरना जिन्होंने जो किया है, वह हम करेंगें। वे रात के अंधेरे में सामान लाए थे, हम दिन के उजाले में उठा करके ले जाएंगें । मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि मैं तीन महीने से इन्तज़ार कर रहा हूं, कमेटी कब तक यह रिपोर्ट दे देगी?

4.04.2018/1250/केएस/वाईके/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, श्री रमेश ध्वाला जी के कन्सर्न के साथ मैं भी अपने आप को जोड़ रहा हूं इसीलिए तो सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद ही मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे हालात को जानने के लिए हॉस्पिटल का दौरा किया था। उससे तो मैं मना नहीं कर रहा हूं और जो लोगों की भावनाएं हैं, उनसे आप जुड़े हैं, तो उसका मैं भी आदर कर रहा हूं। जमीन का जो तबादला हुआ, वह किन नियमों के तहत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह एक जांच का विषय तो है और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगें कि इसके बारे में जांच करवाई जाए कि जो हो ही नहीं सकता, वह कैसे हो गया?

दूसरे, इन्होंने कहा कि एक समयावधि निश्चित की जाए। मुझे लगता है कि रमेश ध्वाला जी, आपको दिन के उजाले या रात के अंधेरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और न्याय देने की विभाग कोशिश करेगा, मैं इस बारे में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं

4.4.2018/1255/av/yk/1

अध्यक्ष : इससे पहले कि हम राकेश पठानिया जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लें,

इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन अवकाश के लिए 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

04.04.2018/1410/TCV/AG-1

माननीय सदन की बैठक भोजन अवकाश के उपरान्त 2.00 बज़े (अपराह्न) पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः नियम-62 के अन्तर्गत अब श्री राकेश पठानिया जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

Shri Rakesh Pathania: Hon'ble Speaker, Sir, with your permission, I would like to call the attention of the Health & Family Welfare Minister to the situation arising out of precarious condition of Dr. Rajinder Prasad Medical College, Tanda.

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आदरणीय मंत्री जी से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मांगा है, मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आज हमारे 6 जिलों का लाईफ-लाईन का काम टांडा मैडिकल कॉलेज कर रहा है। इस संस्थान को इस स्थान पर आने में लगभग 20 साल लगे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछली

सरकार द्वारा की गई पर्चेजिस की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जहां मैंने Linear accelerator की बात पिछले धर्मशाला के सेशन में की थी, उसको आपने कैबिनेट में लाकर अप्रूव किया। इसको आप पी0पी0पी0 मोड़ पर कर रहे या आउटसोर्स कर रहे हैं, ये तो सरकार निर्णय करेगी। अभी तक 3 महीने हो गये हैं और लगता है कि 6 महीने और लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरी बात पर ध्यान दें तो ये जो Linear accelerator का Equipment है it is around something Rs. 40/- to Rs. 45/- crores. जो पिछले डेढ़ सालों से आपके टांडा के बॉक्सों में बन्द पड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि मैं Cardiac Centre की बात करूं, आपके पास मंत्री जी वहां पर इतने Equipments हैं कि आप ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन वह करोड़ों के Equipments पिछले 2 सालों से आपके बन्द पड़े हुए है। If you correct me पिछले दिनों आई0जी0एम0सी0 में आपको एक टेबल की जरूरत पड़ गई थी, वह आप टांडा से उठाकर लाये थे and that is above Rs. 1/- crore जो वहां पिछले 2 सालों से बन्द पड़ा हुआ था। अभी एक और टेबल वहां पर बन्द पड़ा हुआ है। आपके पास वहां पर पूरा इक्विप्मेंट ओपन हार्ट सर्जरी का है, किडनी
04.04.2018/1410/TCV/AG-2

Transplant का है। लेकिन आपके पास डॉक्टर नहीं है। आपके पास स्पेशियलिस्ट यहां शिमला में हैं, लेकिन आप उनके आर0 एण्ड पी0 रूल्ज़ चैंज नहीं करने देते हैं। मरीज़ आपका मर रहा है। स्नेक बाइट के मैक्सिमम केसिज़ निचले क्षेत्र में होते हैं। देहरा, नूरपुर, परागपुर से लेकर कांगड़ा तक को हार्ट-प्रोन/snake prone एरिया कहा जाता है। माननीय मंत्री जी आप रिकॉर्ड को देखें, कितने लोग स्नेक बाइट से टांडा में मरे हैं। अगर आपके पास वहां पर एक Nephrologist होता और आपके वैंटिलेटर काम कर रहे होते तो अभी तक आपने 1000 आदमी बचा लिए होते। Nephrologist आपका आई0जी0एम0सी0 में बैठा है। मैं इनमें Comparison नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो वर्कलोड है, वह यहां से ज्यादा है। आज टांडा में 47 परसेंट पैरामैडिकल स्टॉफ की शार्टेज है। वहां पर फैकलटी की 38 सीटें खाली हैं, सीनियर रेजीडेंट की 32 खाली है, नर्सिंग स्टॉफ के 178 पद खाली है। पैरामैडिकल स्टॉफ के 96, Ministerial Staff के 36 पद खाली है। नर्सिंग टयूटर्ज़ 8 में से 4 हैं। मिस्लिनियस कैटगेरी में 26 पद खाली है। क्लास-IV में 75 पोस्टें खाली हैं। More than 47 per cent posts are lying vacant in Medical College, Tanda. दो

मैडिकल कॉलेज पिछले दिनों प्रदेश में आये। They came in shape. 10 डॉक्टर आपने टांडा से भेज दिए और एक जगह आपने 16 डॉक्टर टांडा से भेज दिए। 24-26 स्पेशियलिस्ट डॉक्टर आपने टांडा से निकाल कर भेज दिए। लेकिन आई0जी0एम0सी0 और बाहर से कितने गये? अध्यक्ष महोदय, वैंटिलेटर का जवाब मुझे आपके माध्यम से मिला कि 16 वैंटिलेटर काम कर रहे हैं। अढ़ाई-तीन हजार की ओ0पी0डी0 की हालत इतनी खराब है, जिसका कोई हिसाब नहीं। आपके पास नियूरोसर्जन वहां पर बैठा हुआ है। आदरणीय मंत्री जी वैंटिलेटर का ये हाल है कि एक वैंटिलेटर के पीछे 8 मरीज़ बैठे हुए हैं और यह देख रहे हैं कि वैंटिलेटर उसका खुले और मेरे मुहं पर लगे। किसी भी अच्छे इंस्टीच्यूश्न्ज के नार्मज़ में every ventilator after 48 hours needs at least 12 hours of de-germination. यहां तो आपके all ventilators are lived their lives. उनकी लाईफ तो खत्म हो चुकी है। आपके पास 16 बचे हैं, जबकि कायदे से आपके पास 40 होने चाहिए थे। आदरणीय मंत्री जी मैं जिस प्वाईंट पर आ रहा हूं, वह यह है कि आपके पास 100 करोड़ रुपये के Equipments बन्द पड़े हुए हैं

04-04-2018/1415/NS/AG/1

श्री राकेश पठानिया----जारी।

पर जो लाईफ सेविंग उपकरण हैं, आप उनके ऊपर आई0एफ0एस0एच0 क्यों नहीं करते? लाईफ सेविंग उपकरणों के ऊपर आप अपनी एनर्ज़ी को क्यों नहीं लगा रहे हैं? केवल सारे-का-सारा ढांचा एक सरकारी व्यवस्था से चला हुआ है। It may work in PWD and IPH but it does not work in Health. In Health, we want instant results. आप लाईफ सेविंग के साथ खेल रहे हैं। Here is a matter of life and death. कितने पेशैंट आपके रैफर हो करके चण्डीगढ़ जा रहे हैं? Why should our people go to Chandigarh? हमारे कांगड़ा में तो एक रिवाज़ हो गया है कि आप जिस मर्ज़ी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर मरीज़ की बाजू बाद में पकड़ता है और यह पहले कहता है कि आप टांडा ले जाओ। अध्यक्ष महोदय, टांडा मैडिकल कॉलेज में इतना प्रैशर बढ़ता जा रहा है can I request the Minister क्या आप एमरजैंसी सर्विसिज़ में जो हमारा एमरजैंसी एरिया है,

क्या वहां पर कोई एक टीम डॉक्टर्ज़ की बिठा करके इस बात को वेरिफाई करेंगे कि जितने लोग रैफर हो करके आ रहे हैं were they worth referring or not? और क्या आप ऐसे डॉक्टर्ज़ के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि जो लोग बिना मतलब के लिए डॉक्टर्ज़ और पेशैंट को रैफर करके टांडा में एमरजैंसी में भेजते हैं? टांडा में एमरजैंसी में मेला लगा हुआ है। हमारे अस्पताल से हर बात पर एकदम रैफर करके टांडा भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटे-छोटे ईश्यूज़ हैं। मैंने जो आपको linear accelerator की बात कही है। This is the latest form of radiotherapy. माननीय मंत्री जी, जो हमारे पास मशीन लगी है, वह आउटडेटिड है। आज यही रेडियोथरेपी करवाने के लिए हमारे पेशैंट को टांडा से चण्डीगढ़ या लुधियाणा जाना पड़ेगा। हमारा एक साइकिल का लगभग 3 से 5 लाख रुपया लगता है। ये मशीनें हमारी सरकार के पास पिछले दो सालों से खरीदी हुई पड़ी हैं। हमें यह नहीं पता कि आप इसके लिए किस मोड के ऊपर जायेंगे? जो अरबों रुपया आपके बॉक्सों में बंद पड़ा है, वह हमारे पेशैंट के ऊपर कब लगेगा? इसे तो भगवान ही जानें। तब तक हमें कितना लोस हो जायेगा, कितने मर जायेंगे और कितना खर्च और हो जायेगा? क्या आप इसकी चिन्ता करने का प्रयास करेंगे? आप टांडा मैडिकल कॉलेज में स्वयं जाईये। आज मैंने यहां पर नियम-62 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है तो शायद आज इस अस्पताल की हालत कुछ ठीक हो। आदरणीय मंत्री जी, आप मेरी बात का बुरा न मानें। आप भी कांगड़ा से संबंध रखते हैं। आप कभी अचानक जा करके टांडा

04-04-2018/1415/NS/AG/2

मैडिकल कॉलेज के किसी बाथरूम में खड़े हो करके देखिये। आप वहां पर पांच मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पायेंगे। 90 प्रतिशत नलके आपको टूटे हुए मिलेंगे। अगर आप आई0सी0यू0 में चले जायें तो वहां पर पत्थर के साथ सिलैंडर खोलते हैं। मेरे मोबाइल में इसकी फोटोज़ मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने गैस के सिलैंडर को खोलने के लिए पत्थर रखे हुए हैं। जो मर्ज़ी आ रहा है, बूट पहन करके आई0सी0यू0 के अंदर/बाहर जा रहा है। जितने पेशैंट्स हैं, उतनी मक्खियां आपको आई0सी0यू0 के अंदर मिल जायेंगी। वह आई0सी0यू0 किस नाम का है और इसकी फुल फोर्म क्या है। Tanda Medical College is in a very bad shape. और आदरणीय मंत्री जी इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने का भी यही मतलब था। आज अगर एक एक्स-रे करवाना हो तो

हमारे पास रेडियोग्राफर कितने हैं? We have got only seven Radiographers. एक इस महीने रिटायर हो रहा है? शिमला में 25 रेडियोग्राफर हैं। हमें वहां एक-एक एक्स-रे करवाने के लिए कई दिन लग रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर एम0आर0आई0 लिख दे, फिर तो समझ लो कि दिनों और हफ्तों में बात चली गई है। इस ओर हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। लेकिन जो करोड़ों रुपये का उपकरण हमारे पास बंद पड़ा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। The financial management is not proper what I want to point out. जहां पर पैसा लगना चाहिए, वहां पर नहीं लग रहा है और जहां पर नहीं लगने चाहिए, वहां पर लग रहे हैं और उपकरण बंद पड़े हुए हैं और आपके पास इसके लिए डॉक्टर नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एंडोक्राईन में आपके पास डॉ0 जरयाल शिमला में पोस्टिड हैं whereas you needed a Doctor in Kangra. व्यवस्था आपकी हो नहीं रही है। ओपन हार्ट सर्ज़री व्यवस्था आपकी हो नहीं रही है। आप एम0सी0आई0 की दौड़ में पीछे लगे हुए हैं। आप यहां-वहां मैडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं और स्टॉफ आपके पास मौजूद नहीं है। आपके पास स्पैशलिस्ट्स भी नहीं हैं। I will recall small incidence. आदरणीय मंत्री जी। हमारी सरकार बनने से 5-6 महीने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी टांडा में आये थे। मुझे लगता है कि आपको याद होगा और हम भी साथ में थे। वहां पर छोटे-छोटे 2-3 विषय आये थे और मैंने वहां के प्रमुख अधिकारियों, डॉक्टर्ज़, प्रिंसीपल को आदरणीय मंत्री जी के साथ बिठाया था। बड़े, छोटे-छोटे 3-4 विषय आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोल कर गये थे। हम फॉलोअप के लिए चार दिन बाद गये थे तो हमें जो जवाब मिला था, वह मैंने आपको

04-04-2018/1415/NS/AG/3

बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे कई मंत्री आते हैं और कई चले जाते हैं। उन लोगों ने वहां बैठ करके पर्टिकुलर पोलिटीकल पार्टीज़ का काम किया है। This is wrong. अगर आपकी सरकार में ऐसा कोई डॉक्टर करेगा तो उसको उठा करके बाहर फैंकिये। A Doctor is not a politician. उसको वहां पर बैठ करके मरीज़ को देखना है, उसको वहां बैठ करके किसी का प्रोपगेंडा नहीं करना है। वह आपके लिए ऐसा करेगा तो हम इसके लिए आपके पीछे पड़ेंगे। आपने ऐसे लोगों को पाल कर रखा है

04.04.2018/1420/RKS/DC-1

श्री राकेश पठानिया...जारी

They have been shielded time and again. मेरी आपसे प्रार्थना है, we are not against anybody personally, परन्तु जो लोग नॉर्म्स के खिलाफ हैं, जो लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मंत्री नहीं समझते, वे आपको और माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या समझेंगे? एस.आर.एल. लैब में इस वर्ष कितने टैस्ट हुए? It turns into couple of crores. क्या हमारे पास पैरा-मैडिकल स्टाफ के बच्चे नहीं है? क्या हमारे सारे बच्चे इम्प्लॉईज हो गए हैं? क्या हमारे पास कोई भी लड़का फ्री नहीं है? हमारे लोग जो यहां पर जॉब कर रहे हैं they are working at sub- human conditions 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपये उनको देते हैं। अगर आउटसोर्स को आप अपने सैक्टर में लाएं तो जो पैसा ब्याज से आ रहा है, आप उस पैसे से इंडिविजुअली भी अपने लोगों को आराम से अच्छी सैलरी दे सकते हैं। इनके पास आप टी.एल.सी. टैस्ट करवाने के लिए जाइये, ये आपकी पूरी बॉडी स्कैन कर देंगे। they will get all the tests done. जो टैस्ट 200-250 रुपये का होना था वह 2200-2300 रुपये में होगा। कितनी लूट पड़ी हई है? यह बड़ी प्रेक्टिकल बात है। माननीय मंत्री जी आपसे बड़ी उम्मीद है। We expecting very much from you and our expectations are very high. मेरा आपसे निवेदन है कि इस वक्त टांडा, मैडिकल कॉलेज में लगभग 829 बैड हैं। लेकिन आज आप टांडा, मैडिकल कॉलेज में जाएं तो लगभग 50-100 मरीज़ गैलरीज में ड्रीप लगाकर लेटे होते हैं। मेरा आपस निवेदन है कि फाइनैंशियल मैनेजमैंट को ठीक किया जाए। जहां धन राशि लगानी है, वहां पर लगाइएगा। कम-से-कम 100-200 बिस्तरे और बढ़ाए जाएं। जिस फैकल्टी के बारे में लिखा है, यह बहुत पुरानी 50 बैडिड हॉस्पिटल की फैकल्टी थी। आज यह हस्पताल 100 बैडिड का है। 100 बैड की फैकल्टी तो चल नहीं रही है, आगे पीछे आप कहां से पूरा करेंगे। होगा क्या न तो ये चलेगा और न वे चलेगा। क्योंकि न तो वे हमारे दुश्मन हैं और न ये हमारे दुश्मन हैं। We want it equally for everybody in the Pradesh but the issue is that the

everybody will die. किसी का भला होने वाला नहीं है। न भला A का होगा न भला B का होगा और न भला C का होगा। बड़ी मुश्किल से

04.04.2018/1420/RKS/DC-2

एक व्यवस्था खड़ी हुई थी। जो लोग आपने विभिन्न मैडिकल कॉलेजिज में भेजे हैं क्या आपने उनके बारे में पता किया कि उनमें से कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं? उन डाक्टर्ज के ऊपर भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कितना पैसा लगाया है? जो लोग रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं उनके साथ कितने लोग अटैच हैं? जब वे आगे-पीछे जाएंगे तो क्या उनका रिसर्च वर्क सफर नहीं करेगा? I have nothing personal against anybody, आदणीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि टांडा, मैडिकल कॉलेज में लैवल-3 का ट्रॉमा सैंटर भी नहीं है। पूरे प्रदेश में लैवल-2 का ट्रॉमा सैंटर भी नहीं है। शिमला में लैवल-1 का ट्रॉमा सैंटर तैयार किया जा रहा है। Doesn't District Kangra deserves for it? कितने हमारे नैशनल हाईवे हैं, कितने हमारे fatal accidents हो रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिला कांगड़ा में कम-से-कम लैवल-1 का एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाए। आज भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, आपको किस बात की कमी है? Why don't you go for Level-1 Trauma Center for district Kangra? रेडियोथेरपी आज हम नहीं कर पा रहे हैं। बर्न यूनिट खाली पड़ा हुआ है। कितने केसिज बर्न के आते हैं परन्तु आपके पास पैरा-मैडिकल स्टॉफ नहीं है। आपके पास रिसोर्सिज हैं। आप इन सबको आउटसोर्स करें तभी आपके पास पूरी स्ट्रेंथ हो सकती है। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप 6-6 महीने के लिए आउटसोर्स करें। 6-6 महीने के लिए आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजिज से लड़कियां लाएं, 3-3 महीने के लिए ट्रेंड स्टाफ नर्सिज लाएं और उनको आपातकालीन सेवा में डेप्यूट करें। जितने भी आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट हैं, किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास स्टाफ नहीं है। Tanda Medical College needs your attention and also the attention of the Government. यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने का मेरा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन

करना चाहूंगा with folded hands, I would like to request the Hon'ble Health Minister to please give attention towards Tanda Medical College. This College is dying slowly.

04.04.2018/1425/बी0एस0/डी0सी0-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश पठानिया जी ने मैडिकल कॉलेज टांडा की जो उद्यतन स्थिति है, उसको नियम 62 के अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं के ऊपर विस्तार से अपनी बात यहां पर रखी है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में एक ही मैंडिकल कालेज आई.जी.एम.सी. शिमला में था। 1996 में टांडा में मैंडिकल कालेज का कार्य शरू हुआ, शुरूआत तो हो गई, 1997-98 में कक्षाएं तो चल पड़ी परंतु किन परिस्थितियों और किन हालात पर वे कक्षा चलीं, अध्यक्ष जी, आप भी उस वक्त इस माननीय सदन के सदस्य थे। आज हिमाचल प्रदेश में मैडिकल कालेजिज की संख्या, एक नहीं, दो नहीं, पांच है और हमीरपुर में अभी प्रस्तावित है। यानि आई.जी.एम.सी. शिमला, टांडा, चम्बा, नेरचौक और नाहन ऐसे हिमाचल प्रदेश में छः कालेजिज आने वाले दिनों में फंक्शनल हो जाएंगे और लगभग इन मैडिकल कालेजिज से हर वर्ष 500 डॉक्टर्स पास हो करके निकलेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर में टांडा मैडिकल कालेज की बात करूं, अगर टांडा मैंडिकल कालेज 1996-97 में शरू हुआ तो उस समय कैसे हालात रहे होंगे, फेकल्टी कैसे पूरी की गई होगी, एम.सी.आई. के सामने कैसे-कैसे तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे? हम आई.जी.एम.सी. के उन प्रोफैसर्ज का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उस समय एस. सी. आई. के नार्म को पूरा करने के लिए टांडा मैडिकल कालेज में आते रहे और आज टांडा मैडिकल कालेज फंक्शनल है, काम कर रहा है। उसमें आई.जी.एम.सी. कालेज का भी पूरा योगदान है। मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आज यहां पर कुछ बात आ रही है कि कुछ प्रोफेसर्ज को कुछ डाक्टर्स को भेजा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मानीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि टांडा किन परिस्थितियों में एक वट वृक्ष के रूप में लोगों को छाया दे रहा है , अब टांडा का भी फर्ज बनता है कि वे नेरचौक को, नाहन को और चम्बा को परस्पर सहयोग दे। इस दिशा में हमारा विभाग कोशिश कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जहां तक फेकल्टी की बात आती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टांडा मैडिकल कालेज है यहां पर लगभग 151 faculty posts are sanctioned, out of which 98 posts are filled and 53 posts are still vacant. अध्यक्ष जी, दूसरा मैं यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 1996-97 में जब यह मैडिकल कॉलेज चला तब इस मैडिकल कॉलेज की जो बैड संख्या थी वह 500 थी।

04.04.2018/1430/DT-HK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री…….जारी

अब ये बैड संख्या संख्या 800 के ऊपर चली गई है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इमसें सुपर स्पेशलिटी भी जुड़ गई है। अगर ये सारी फंक्शनल नहीं है तो इसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। वहां पर कुछ सुपर स्पेशलिटी है। न्यूरोलोजी की बात है, न्यूरोसर्जरी की बात है, कार्डियोलोजी की बात है, सी0टी0वी0एस0 की बात है। स्टैंटिंग वहां पर होती है, टी0एम0टी0 वहां पर होती है, इको वहां पर होती है । भाई राकेश पठानिया जी कह रहें है कि वहां पर नेफ्रोलोजी की कमी हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारा आई0जी0एम0सी0 का नैफ्रोलोजी डिपार्टमैंट है, वह ही सशक्त और मजबूत नहीं हो पा रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने इसके लिए काम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को वर्षों से निवेदन कर रहे हैं परन्तु इस स्तर के डाक्टर्ज हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में किसी एक व्यक्ति ने पी0आई0एल0 डाल दी कि शिमला का आई0जी0एम0सी0 नैफ्रोलोजी विभाग मजबूत होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया कि इतने महीनों के अंदर-अंदर यह विभाग फुल फंक्शनल होना चाहिए। उसके बावजूद भी आज वहां पर एक प्रोफेसर और एक असिसटैंट प्रोफेसर है। डॉ0 अजय जरयाल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग टांडा में है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के बाद उनको शिमला रखा गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यावाद करने चाहते हैं कि गुर्दा प्रत्यारोपण में इस बार के बजट में 4 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बजट में बात रखी गई है उसको हम जरूर पूर्ण करेंगे ताकि गुर्दे सबंधी जो बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए यहां के मरीजों को कहीं दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़ें। हम टांडा मैडिकल कॉलेज की बात करें तो अध्यक्ष

महोदय, टांडा में प्रतिदिन लगभग 2200 ओ0पी0डीज0 होती है। वहां पर लगभग 35-40 के बीच में इनक्लूडिंग सजेरियन प्रतिदिन डीलिवरीज होती है। आपातकालीन सेवा में प्रतिदिन 50 और 60 के बीच लोग पहुंचते हैं। आपने चिंता प्रकट की है कि लीनर एक्सीलेटर एंड सीटी सीमूलेटर, कैंसर उपचार की करोड़ों रूपये की मशीनें भारत सरकार ने वहां पर भेजी हैं। इसके लिए हम भारत सरकार का धन्यावाद करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं पठानिया

04.04.2018/1430/DT-HK/2

जी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस मशीन को आप्रेशनल करने के लिए पिछले महीने हम एक प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर गए थे। पठानिया जी आपने इसके लिए धन्यावाद किया परन्तु आपके माध्यम से मैं माननीय सदन को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। अब जिस मशीन का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वहां टैक्निशियन्ज लगाने की बात हो, मैडिकल फीजीस्ट लगाने की बात हो, यह पोस्टें सैंक्शन हो गई हैं । लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ी हुई है। इसकी अनुमति भावा टोमिक सैंटर मुम्बई से आना बाकी है। जैसे आप इस मशीन की चिंता प्रकट कर रहें हैं

04/04/2018/1435/RG/HK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री------जारी

और आप ठीक चिन्ता प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप जनता की आवाज़ हैं और जनता की आवाज़ को आप इस माननीय सदन में रख रहे हैं। **<u>हम माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह मशीन शीघ्रातिशीघ्र आने वाले दिनों में ऑपरेशनल होगी।</u>**

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वेन्टीलेटर की बात कही है, तो वहां 26 वेन्टीलेटर हैं, 16 वेन्टीलेटर इस समय ऑपरेशनल हैं और 11 कार्यशील नहीं हैं। जिस कम्पनी ने ये लगाए हैं अगर वे वेन्टीलेटर वारन्टी पीरियड में हैं, तो हमने उनसे कहा है कि जल्दी-से-जल्दी इनको ठीक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कार्डियोलौजी डिपार्टमेंट के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां इस समय सीनियर रेजीडेंट्स एवं जूनियर

रेजीडेंट्स काम कर रहे हैं और हाल ही में CTBS Surgeon has joined और 2 अप्रैल से वहां सर्जरी शुरू हो गई। इस माननीय सदन को मैं इस बात से भी अवगत करवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि भारत सरकार से टांडा मैडिकल कॉलेज के राशि के बारे में कहा, तो इस बात को लेकर मुझे भी चिन्ता है कि जो धनराशि 175 करोड़ रुपये भारत सरकार ने Mother and Child Health Care Centres या Hospitals के लिए भेजी थी, कुछ एक स्थानों को छोड़कर वह काम शुरू नहीं हो सका है। इसमें टांडा मैडिकल कॉलेज Mother and Child Health Care Centre के अन्तर्गत 40,00,000,00/-रुपये आया है। हिमाचल प्रदेश में जो इस प्रकार के लगभग दस अस्पताल हैं वहां इसके लिए धनराशि आई है। स्किल सेन्टर्ज के लिए पैसा भेजा गया है, बोन बैंक के लिए 50,00,000/-रुपये भेजे गए हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि जिला कांगड़ा में कहीं भी ट्रॉमा सेन्टर नहीं है। तो ट्रॉमा_सेन्टर की प्रस्तावना भी टांडा मैडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार को भेजी है। जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल के लिए लगभग 12,00,000,00/-रुपये हमारे पास टांडा मैडिकल कॉलेज में है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां बर्न यूनिट काम नहीं कर रही है, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्न यूनिट वहां काम कर रही है और 4,00,000,00/-रुपये भारत सरकार ने भी इसके लिए भेजा है, Centre of Excellence of Mental Health के लिए 32,00,000,00/-रुपये भारत सरकार ने भेजे हैं, 1st Year MBBS Hostel (Boys & Girls) के लिए 12,00,000,00/-रुपये

04/04/2018/1435/RG/HK/2

हमारे पास है, PG Hostel (Boys & Girls) के लिए 14,00,000,00/-रुपये हमारे पास टांडा में हैं। माननीय सदस्य ने वहां की हालत और हालात के बारे में कहा, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले तीन महीनों में दो बार टांडा मैडिकल कॉलेज का दौरा किया और माननीय मुख्य मंत्री जी भी पिछले दिनों जब कांगड़ा के प्रवास पर थे, इन्होंने भी उस मैडिकल कॉलेज का दौरा किया। वहां अलग-अलग वाड्र्ज में गए, लोगों से मिले भी और जिन बाथरूम्ज एवं शौचालयों का ये जिक्र कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने अपने आप जाकर देखा है। इसके अतिरिक्त वहां रसोई में भी गए। इसलिए हम इस बात को लेकर संवेदनशील हैं और श्री शान्ता कुमार जी एवं श्रीमती विप्लव ठाकुर जी ने भी सराय

भवन निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से पैसे दिए हैं। परन्तु वह काम भी कई वर्षों से लटका रहा। आज से लगभग चार वर्ष पहले इसके लिए पैसे दिए थे। अब उस सराय को बनाने में कौन अड़चन पैदा कर रहा था और वह क्यों नहीं बनती थी? अब उसकी टैण्डर प्रक्रिया भी पिछले महीने ही पूरी हुई है और लगभग अढ़ाई करोड़ रुपये उस पर खर्च हो रहे हैं और जो मरीज़ों के रिश्तेदार या अटेनडेंट्स हैं

04/04/2018/1440/जेके/एचके/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-------जारी----

वे बरामदे में सोये होते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जब यह सरांय बनकर तैयार हो जाएगी तो शायद जो लोग वहीं बरामदे में सोते हैं और शौचालयों, बाथरूम और वॉशरूम का प्रयोग व दुरूपयोग करते हैं, उससे भी निज़ात मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर सारी बातें बड़े विस्तार से रखी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बैड्ज़ के बारे में मैंने यहां पर ज़िक्र किया है, टांडा मैडिकल कॉलेज़ 500 बैड्ज़ के हिसाब से चल रहा है। पैरा मैडिकल की कुल पोज़िशन 140 है। इस समय वर्तमान में 89 कार्यशील है और 51 पद खाली हैं। स्टाफ नर्सिज़ के 479 पद है जिनमें से 336 भरे हैं और 148 पद खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, सुपर स्पेशिएलिटी की अगर हम बात करते हैं, कई बार कई लोग हमारे से मिलते हैं और अपना दुख-दर्द बताते हैं। जो सुपर स्पेशिएलिटी वहां पर शुरू हुई है उनके पास अलग से कोई पैरा मैडिकल स्टाफ की पोस्टें स्वीकृत नहीं है। टांडा मैडिकल कॉलेज़ जिला कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर और निचले हिमाचल के जरूरतमंद लोगों को बहुत बढ़िया सेवाएं दे रहा है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी है, जिन महत्वपूर्ण पदों की कमी है और अगर ब्लड बैंक की बात करें तो वहां पर टैक्निशियन की जरूरत है। अगर कार्डियोलॉज़ी की बात करें तो वहां पर अनुभवी टैक्निशियन की जरूरत है, यह सारा प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से हम वित्त मंत्रालय को भेजेंगे। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद होगा। मुझे लगता है कि बहुत गम्भीर या बहुत चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। इन छोटी-छोटी बातों को हल करने की कोशिश करेंगें। मुझे लगता है कि हमारा टांडा

मैडिकल कॉलेज़ जिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहा है, बहुत बढ़िया सेवाएं दे रहा है, जो कमियां हैं वे हमारे ध्यान में है। आपने यहां पर विषय रखा है तो इसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर रहे हैं। उसमें कोई लीपापोती नहीं कर रहे हैं। अपने आपको शील्ड करने की बात

04/04/2018/1440/जेके/एचके/2

नहीं कर रहे हैं। उन कमियों को हम अवश्य दूर करेंगे। हमारा टांडा मैडिकल कॉलेज़ चला है उसमें शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अगर आज हमारी फेकल्टी के प्रोफैसर्ज़, डॉक्टर्ज़ कहीं छोटी-मोटी सेवाएं एम0सी0आई0 के नॉर्म्ज़ को ध्यान में रखते हुए दे रहे होंगे तो वह स्थाई व्यवस्था नहीं बल्कि स्टॉप-गैप अरेंजमैंट हैं। जो विषय माननीय पठानिया जी ने यहां पर रखे हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से रखे हैं। ये कांगड़ा जिला के मुद्दे को हमेशा उठाते रहते हैं। चुनाव क्षेत्र अरुण कुमार जी की है। अरूण जी को लोग कम जानते है और कूका को ज्यादा जानते है। इनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र में यह मैडिकल कॉलेज़ पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता यहां पर प्रकट की गई है, हम आने वाले दिनों में माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन से उन समस्याओं का हल निकालेंगे। धन्यवाद।

04.04.2018/1445/SS-YK/1

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी कुछ स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं।

श्री राकेश पठानियाः मंत्री जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि I am not in mood to argue with you. मैं कोई बहस करने की दृष्टि से यह आपके सामने मुद्दा लेकर नहीं आया हूं। जो आप पढ़ा-लिखा जवाब दे रहे हैं मैं उस जवाब की भी बात नहीं कर रहा हूं। I just want you to address the basic points. आपने छोटी-छोटी बातें बोलीं। स्नेक वाइट से लोग मर रहे हैं, आप छोटी-छोटी बातें बोल रहे हैं। एक्स-रे कराने के लिए चार दिन लग जाएं, आपके लिए छोटी-छोटी बातें। कहीं गलती से एम0आर0आई0 करानी पड़ जाए और दस दिन लग जाएं तो छोटी-छोटी बातें। आज आपका यहां पर भाषण हो गया। जिस दिन वहां मुख्य मंत्री जी चले गए उस दिन बाथरूम साफ हो गया और हफ्ते बाद

जाकर पॉजिशन देखो तो वे छोटी-छोटी बातें। जनाब, हालत खराब है। Things are not in good shape. मैंने तो कभी आपसे कहा ही नहीं कि जो मरीज वहां पर लेटे हैं वे उनके रिलेटिव हैं। जो वहां पर ड्रिप लगाकर लेटे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने कब आपसे कहा कि मरीज बाहर लेटे हुए हैं! मैं तो केवल आपकी सीरियस एटैंशन इस तरफ लाना चाहता हूं कि वहां पर हालात ठीक नहीं हैं। Things are not good. यह केवल कागज़ों में ही है। जो आपको अफसरों ने जवाब लिखकर दिया उसके सिर पर हमारे टांडा का इलाज होने वाला नहीं है। प्रैक्टीकल बात पर आईये। वहां जाकर देखिये कि क्या हालत है। कभी आप इमरजैंसी में जाकर दो घंटे के लिए देखना। इमरजैंसी में स्नेक वाइट केस हैं तो आपके लिए वह छोटी बात है। हमारे को वहां पर वैंटीलेटर नहीं मिलता है तो छोटी बात। हमारे को जब गम्भीर कंडीशन में पी0जी0आई जाना पड़ता है तो छोटी बात। मैंने कब कहा कि मैं शिमला के अगेंस्ट हूं? आपने कहा कि टांडा में कंट्रीब्यूट किया we welcome that, why not . आपने 1996-97 की बात की। तो क्या मैं आपके 1996-97 के जवाब से इस बात को मान लूं कि अब अगले मेडिकल कॉलेज को खड़े होने में 22 साल लगेंगे? आपकी शब्दावली के हिसाब से तो टांडा मेडिकल कॉलेज को खड़ा होने में 22 साल लगे हैं। अगर में इसको यार्डस्टिक लेकर चलूं तो अगले 22 साल में बाकी मेडिकल कॉलेज खड़े होंगे। तब तक तो हमारी जिन्दगी पूरी हो जानी, जनाब। जो प्रैक्टीकल छोटे-छोटे इश्युज़ हैं मैं उनको एड्रैस करने के लिए आपसे निवेदन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं बहस करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। I want these small basic amenities. हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की आपने बात कही। Why not, आदरणीय मुख्य मंत्री जी की बेटी भी वहां पर एम0बी0बी0एस0 कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो वहां पर बेसिक एमिनिटीज़ हैं

04.04.2018/1445/SS-YK/2

उनको एड्रैस करियेगा। हमारे को रेडियोग्राफर और भेजियेगा। हमारे वहां पर जो बेसिक इलाज है उसको एड्रैस करियेगा। आपने ब्लड प्लाज़मा की करोड़ों रुपये की मशीन लगा रखी है। हमारी पिछली सरकार में उसका उद्घाटन हुआ था। हम और आप उस उद्घाटन में इकट्ठे थे। परन्तु उसके लिए आपके ब्लड बैंक में ब्लड यूनिटस ही नहीं हैं क्योंकि आपकी रेगुलर ब्लड ड्राइव का सिस्टम नहीं है। अभी हमने नूरपुर में एक ब्लड बैंक लगाया था। हमारे पास साढ़े 600 यूनिटस हुए, एक रिकॉर्ड बना। तो वे साढ़े 600 यूनिटस कहां गए?

टांडा वाले तो 150 यूनिटस ले गए और बाकी यूनिटस पठानकोट भेजने पड़े। Just imagine the seriousness कि आपका प्लाज़मा यूनिट बेहला पड़ा हुआ है। आपके पास ब्लड ही नहीं होगा तो उसको चलायेंगे कैसे? मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं कि आप इस पर ज़रा स्पैशल अटैंशन दीजिए। अधिकारियों की बातें कम और अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करिये।

04.04.2018/1445/SS-YK/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, एक तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये उत्तर दे रहा हूं। मुझे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुरूप उत्तर दे रहा हूं। इसलिए विषय छोटी या बड़ी बात का नहीं है। विषय यह है कि अगर वहां पर टेक्निकल स्टाफ, इक्विपमैंट्स, स्टेचर इत्यादि की कमी है या और कमियां हैं तो मैंने आपको कहा है कि उस चिन्ता में हम भी शामिल हैं। इसलिए जिस विभाग में जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी या जिसका निवारण करने की ज़रूरत होगी उसको हम प्राथमिकता से हल करेंगे। आपकी चिन्ता वाजिब है। जहां तक भाषण देने की बात है तो भाषण मैं देता नहीं हूं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि माननीय अधिकारियों का रखा हुआ पक्ष है

4.04.2018/1450/केएस/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

मेरे दिमाग में जो बातें थीं, वे मैंने यहां पर रखी है परन्तु हवाई बातें इस माननीय सदन में नहीं हो सकती। जो विभागीय तथ्यों पर चलता है उसको ही इस माननीय सदन में रखना मंत्री की जिम्मेवारी है। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

4.04.2018/1450/केएस/एजी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था। वैसे तो आई.जी.एम.सी. और टांडा मैडिकल कॉलेज

दो ऐसे संस्थान हैं जो पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं देने में वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक बात को हमें स्वीकार करना होगा कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अगर सुझाव आए तो उनका स्वागत करना चाहिए और मैं उनका स्वागत भी करता हूं लेकिन मुझे लगता है कि अगर कमी है तो वह आज की नहीं है, वर्षों से है। आज माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विस्तार में उत्तर दिया। मैं आज से नहीं वर्षों से टांडा मैडिकल कॉलेज जाता रहता हूं। हमने बहुत सी चीजों को जब व्यक्तिगत रूप से देखा तो उसी वक्त हमने स्पॉट पर जा कर वहां के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम को हिदायत दी है। यह बात भी सत्य है कि वहां पर कैंसर के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा सैटअप तैयार किया गया और लगभग 23 करोड़ रु0 की लागत से मशीनरी लाई गई और स्पेस अवेलेबल करवाया गया लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए टैक्निशियन्ज़ की जो आवश्यकता थी, वे वहां पर नहीं थे। वहीं पर मैंने कहा कि अगली केबिनैट मीटिंग में इन सारी पोस्टों का मामला ले कर आएं। चार-पांच स्टाफ की वहां पर आवश्यकता है उसकी कमी के कारण 23 करोड़ रुपये की मशीनरी लगभग एक साल से बेकार पड़ी है। । हमने वे पोस्टें क्रिएट की हैं। इसके साथ-साथ जो दूसरे विषय बताए विषय छोटे हैं या बड़े, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत के मुताबिक वहां पर मरीज का ठीक प्रकार से इलाज हो, आपका टैस्ट चाहे छोटा है या बड़ा है, उसके लिए वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई कमी आई है, निश्चित रूप से हम विभाग को आदेश दे कर सुनिश्चित करेंगें कि वे कमियां दूर हों। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया, प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में हम हॉस्पिटल में खुद जा कर देखते हैं और एक दिन लोग मण्डी हॉस्पिटल का फोटो हमें भेज रहे थे । एक बैड पर तीन-तीन मरीज हैं, ऐसी परिस्थिति है। ये हकीकत है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज के दौर में पॉप्युलेशन बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं । जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य की दृष्टि से हैं उसको स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है । यही परिस्थिति आई.जी.एम.सी. में भी कई बार देखने को मिलती है लेकिन जो विषय यहां पर उठाया गया, इसका समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं।

4.4.2018/1455/av//1

मुख्य मंत्री---------- जारी

कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो बैस्ट पोसिबल हो पायेगा और हिमाचल प्रदेश में लोगों का ठीक प्रकार से इलाज हो सरकार उस बात को सुनिश्चित करेगी। हमारी क्षमता के अंतर्गत जो कुछ भी किया जा सकता है उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां तक यहां पर छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया गया है तो एक बीमार आदमी के लिए वह छोटी चीज बहुत बड़ी हो सकती है। अगर एक बीमार आदमी के लिए होस्पिटल में अल्ट्रासांउड की सुविधा मिलेगी तो उसके लिए यह एक बड़ा विषय है। अगर किसी बीमार आदमी के लिए किसी इनवैस्टिगेशन की सुविधा वहां नहीं मिलेगी तो उसके लिए वह बड़ा विषय है। यहां पर जिन बातों का जिक्र किया गया है उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है हम इस बारे में विभाग को आदेश करेंगे। दो-तीन चीजें जो सरलता से होनी चाहिए मुझे लगता है कि विभाग को थोड़ा चुस्त होकर उसको करना चाहिए। हमने जैसे वहां पर सफाई के बारे में देखा, आई0जी0एम0सी0 या दूसरे होस्पिटलों में जब हम नेता लोग जाते हैं तो वहां पर सफाई अच्छी कर दी जाती है लेकिन दो दिन बाद हट-फिरकर स्थिति वहीं पहुंच जाती है। टॉयलट, किचन और उसके साथ-साथ सफाई की स्थिति के बारे में जो हमने कहना था वह उसी वक्त कह दिया था। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मोनिटर करने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि हमारे विजिट होने के साथ वहां सारी चीजें सुधरी हुई दिखें और हमारे जाने के बाद लोगों को उस प्रकार की सुविधा न मिले। यहां पर जितने भी मसले उठाये गये हैं हम उनके प्रति गम्भीर है और हम हिमाचल प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर सम्भव कोशिश करेंगे। हमारे पास सुझाव के माध्यम से जो-जो चीजें आयेंगी और उसमें विभाग को जो कुछ भी करने के लिए आवश्यक लगेगा उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

4.4.2018/1455/av//2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मामला विधान सभा के संचालन और इसके नियमों से जुड़ा हुआ है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि विधान सभा के जो नियम बने हुए हैं या जो स्पीकर की डायरैक्शन्ज लिखित में हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो बजट स्पीच थी, उस दिन उस स्पीच को फेसबुक के ऊपर पूरे तीन घंटे लाइव चलाया गया जिसकी शायद आपने अनुमति नहीं दी है। यदि आपने अनुमति दी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको सभा पटल पर रखा जाए। यह एक गम्भीर मामला है जबकि नियम यह है कि यहां से कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। यह किस तरह से सम्भव हुआ कि इस हाउस की प्रोसिडिंग्ज को फेसबुक पर पूरे तीन घंटे लाइव चलाया गया। यहां से जो बाहर प्रोसिडिंग्ज गई है वह चोरी का मामला बनता है और जिसने भी यह किया है उसके खिलाफ चोरी के साथ में इस हाउस की कन्टैम्प्ट का मामला भी बनता है। इस गम्भीर विषय के ऊपर मैं आपका निर्णय चाहता हूं। मैंने एक और प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया था जिसका आपने निर्णय नहीं दिया है कि इस सभा के परिसर के अंदर झंडे, ढोल-बाजे लेकर आना, नारेबाजी या भाषणबाजी करना इत्यादि सारे-का-सारा आपके नियमों में दिया हुआ है कि नहीं किया जा सकता और उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त है। जिन अधिकारियों ने यहां पर नियमों की उल्लंघना की है क्या मुझे उनके खिलाफ प्रिविलैज का केस लाना पड़ेगा?

4.4.2018/1455/av//3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यहां जो विषय लाया है उसमें पहले विषय के बारे में भी आपको बता दिया जायेगा और दूसरे के बारे में भी अवगत करवा दिया जायेगा।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अब माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी कार्यसलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करता हूं और अंगीकार हेतु प्रस्ताव भी करता हूं।

04.04.2018/1500/TCV/AG-1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने द्वितीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत हैं।
तो प्रश्न यह है कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने द्वितीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकार

विधायी कार्य
सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

04.04.2018/1500/TCV/AG-2

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते, और अन्य प्रसुविधाएं विधयेक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

04.04.2018/1500/TCV/AG-3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का बिल यहां सदन में रखा है। इस तरह से एक नई परम्परा और नई परिपाटी इस सदन में डालने की कोशिश हो रही है। पिछले कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं खर्चे घटा रहा हूं और नियुक्तियों पर अंकुश लगा रहा हूं। उसके 24 घण्टे के अन्दर ही ---(व्यवधान)--- एक मिनट संसदीय कार्यमंत्री जी सुनिये, आप भी बोलना।

अध्यक्षः कल इस पर चर्चा होगी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, इंट्रोडक्शन में, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि ये जो दो पोस्टें आप कर रहे हैं, ये पार्टी की पोस्टें हैं। ये सरकार की पोस्टें नहीं हैं। ये पार्टी की पोस्टें है- Chief Whip and Whip. माननीय मुख्य मंत्री जी आप इतने कमज़ोर कहां से हो गये? इसके उद्देश्य में ये लिखा है कि मुख्य मंत्री को हम सब पर नज़र रखने के लिए सदन में दो व्यक्तियों की ज़रूरत है। इसलिए दो व्यक्ति आप कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर के रैंक में ला रहे हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर पहले है। इसका मतलब है कि तीन व्यक्ति नज़र रखने के लिए आपने इस सदन में लगा दिए है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप अकेले ही काफी है, लेकिन तीन व्यक्ति नज़र रखने के लिए हो गये हैं। इसमें आगे भी कहा गया है कि हम लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए भी इनकी ज़रूरत है। इनको लगता होगा कि संसदीय कार्यमंत्री रास्ता बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर विदआउट पोर्टफोलिओ है। अब आप Constitutional Procedure को बाईपास कर रहे हैं कि 12 मंत्री हो सकते हैं। आप इसी हाउस में दो और कैबिनेट मंत्री बनाने जा रहे हैं। इससे आपकी संख्या 14 हो जाएगी और कोई-न-कोई अदालत में चला जाएगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य क्या चर्चा खत्म हो गई है, क्या कल चर्चा नहीं करनी है, अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ।

04.04.2018/1500/TCV/AG-4

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः लेकिन हम इट्रोड्यूस स्टेज पर ही आपको कह रहे हैं कि इस बिल को आप वापस ले लें, तो अच्छा रहेगा। ऑफिस ऑफ प्रोफिट से बचाने के लिए आप सी0पी0एस0 या चेयरमैन से ताकि उनकी सदस्यता समाप्त न हो जाये, आपने एक और तरीका इस हाउस में निकाल लिया है। कि इसी हाउस में उन पर ऑफिस ऑफ प्रोफिट न लगे। लेकिन हमने अपना स्टैंड आपको स्पष्ट कर दिया है।

04-04-2018/1505/NS/DC/1

अध्यक्षः ठीक है, माननीय सदस्य। इस पर कल चर्चा करेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो परम्परा यह है कि जब हम बिल को इंट्रोडयूस करते हैं तो उस दिन इस पर चर्चा नहीं होती है। पारण से पहले एक दौर आता है, उस वक्त चर्चा, सुझाव और जो भी बात है, उसको कहने का समय होता है। लेकिन मुकेश जी मुझे इतना ही कहना है कि आपने अपना मामला दर्ज़ करना है और आपने दर्ज़ कर दिया है। इससे ज्यादा कोई और विषय नहीं है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की परम्पराओं के साथ कुछ इस तरह का नहीं है कि हमने उल्लंघन किया है। पूरे देश में एक नहीं अनेक विधान सभाओं में, अनेक प्रदेशों में यह व्यवस्था आज से नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है। हम इसका पालन करने की दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस बात को मानना चाहिए कि आपके ज़माने में नौ सी0पी0एस0 थे। हम अगर दो सी0पी0एस0 न भर के पहले दो पोस्टों की क्रियेशन के लिए आ रहे हैं और थोड़ा और restrict कर रहे हैं तो इस कदम को इस दिशा से देखने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपका यह कहना एक आवश्यकता है और एक विवशता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। यह नया नहीं है, पूरे देश के अनेक प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे

प्रदेश में इस व्यवस्था के माध्यम से अगर हम इसका संचालन करें। इसमें ऐसा नहीं है। नज़र की बात नहीं है, नज़र के लिए वे (अध्यक्ष महोदय की तरफ ईशारा करते हुए) काफी हैं, जो ऊपर बैठे हैं। यहां के सभी माननीय सदस्य अच्छी नज़र रखे हुए हैं। को-ऑर्डिनेशन की दृष्टि से और सारी भूमिकाओं को निभाने की दृष्टि से अगर हमारे कुछ और साथी इसमें शामिल हो जायें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है।

04-04-2018/1505/NS/DC/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि " हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

04-04-2018/1505/NS/DC/3

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय शिक्षा मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करेंगे।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

04.04.2018/1510/RKS/YK-1

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी की तरफ से संशोधन आया है जो इस प्रकार से हैः-

क्र0	सदस्य का नाम	पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु	7	9	(छ)	17	"पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रखे जाए।
Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sh. Sukhvinder	6	9	(g)	16	For the words "fifteen

	Singh Sukhu					percent" the words "twenty five percent" shall be substituted

माननीय सदस्य, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी क्या आप इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे?

04.04.2018/1510/RKS/YK-2

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश 96% हिन्दू बहूल राज्य है। यहां गाय को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय को पेटैंट करने लगे हैं। जबकि पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने सबसे पहले गौ-सदन की स्थापना के लिए कानून बनाया। पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत को यह डायरैक्शन दी गई कि कम-से-कम 5 बीघा या 5 कनाल जगह एकत्रित कीजिए और उसके बाद गौ सदन के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, वह विभाग उपलब्ध करवाएगा। गौ-सदन के खर्चे के लिए Section-22 , Clause-9, Sub-clause-g में 15% की राशि का प्रावधान है। यहां गाय को प्रमुख स्थान दिया गया है। हम सब लोगों को गाय के बारे में चिंता रहती है। जब गाय दूध देने के लायक नहीं रहती तो हमारे ही लोग उनकों सड़कों पर छोड़ देते हैं। पशुपालन विभाग ने इसके लिए काफी प्रयास किया कि टैग लगाया जाए। लेकिन पंजाब के लोग ट्रकों-के-ट्रक भरकर हिमाचल प्रदेश में छोड़ देते हैं। हरियाणा के लोग भी हिमाचल प्रदेश में गायों को छोड़ देते हैं। परन्तु हिमाचल के लोग गौ-सदनों के माध्यम से, चाहे वे निजी तौर पर चल रहे हों या सरकारी तौर पर, जहां से भी धन उपलब्ध होता है, गाय की सेवा करते हैं। Section-22, Clause-9, Sub-clause-g में मैंने एक प्रस्ताव किया है कि 15% की जगह 25% खर्चा किया जाए। जिससे हर पंचायत लैवल पर जो खर्च करने की जरूरत होगी, उससे अच्छी तरह गौ-माता की सेवा की जा

सकेगी। इससे हम गौ-सदनों और जो गौ सम्वर्धन का जो आपका नारा है उसकी देखभाल भी ठीक तरीके से कर सकेंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस पर विचार किया जाए।

04.04.2018/1510/RKS/YK-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) प्रस्तुत किया है मैं उसके कुछ पहलुओं पर माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे माननीय सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने कहा कि पूर्व सरकार ने गौ-सदन बनाने का काम किया था। मैं उससे भी पीछे जाना चाहूंगा। जब केंद्र सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी भारतवर्ष के प्रधान मंत्री थे तो फोरैस्ट डिपार्टमैंट के माध्यम से गौ-सदनों को निर्माण शुरू हुआ था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चंगर एरिया है जहां नैना देवी जी के पास लैड़ी जगह है। वहां पर गौ-सदन की स्थापन हुई। लेकिन वह गौ-सदन आगे नहीं चल पाया। लोग ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। अध्यक्ष महोदय, बाद में इस गौ-सदन का रख-रखाव पशुपालन विभाग को दिया गया।

04.04.2018/1515/बी0एस0/एच0आर0-1

श्री राम लाल ठाकुर जारी

जब वह पशुपालन विभाग को दिया गया, तो वहां पर 27 गाये थीं, जो 6 महीने के अन्दर-अन्दर मात्र एक गाय रही बाकी सब भगवान को प्यारी हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि कोई भी पशु सड़क के ऊपर मिलेगा तो गांव के प्रधान/उपप्रधान, जो उस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह प्रधान की शक्तियों में है कि अगर मान लो

रात को कोई उस पंचायत के एरिया में ऐसे पशुओं को छोड़ करके चला जाता है, क्या उसके लिए प्रधान जिम्मेवार होगा? हाईकोट ने कह दिया कि दो पंचायतों के ऊपर एक गौसदन बनेगा। मैंने पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन किया था, ये जो हम दो-दो पंचायतों के ऊपर गौसदन बनाने की बात कर रहे हैं ये गौसदन जहां-जहां पर भी बने आप रिकार्ड उठा करके देखिए, उन गौसदनों को चलाने के लिए आज तक भी लोग आगे नहीं आए हैं। लोग अगर उसमें धार्मिक भावना को लेकर शामिल नहीं होंगे तब तक आपके ये गौसदन नहीं चलेंगे। पंचायतों के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, इन गौसदनों के पास जो गाये आएंगी उन गउंओं को चारा, उनके लिए डॉक्टर्ज, उनकी देख-रेख उनके पानी के लिए इंतजाम पंचायत नहीं कर पाएंगी। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पिछली बार भी कहा था जब चर्चा में हिस्सा लिया था कि बड़े-बड़े कल्स्टर हम छांटे जहां पर 5-5, 10-10 हजार गाये रखी जाएं और उसमें मैं कहूंगा कि लोग भी आगे आने के लिए तैयार हैं। मेरे पास कुछ लोग बिलासपुर से आए थे, उनका कहना था कि गोविंद सागर पर जो पानी उतरता है , उन गायों को चारा भी वहीं पैदा करेंगे। सरकार हमारे को वहां पर शैड बना कर दे दें बाकी सारा इंतजाम हमारे ट्रक ऑप्ररेटर और दूसरी पंचायतों के लोग करेंगे। अगर अध्यक्ष महोदय, तीन-चार जगहों को हिमाचल प्रदेश में छांटेंगे तो हर पंचायत में एक गौसदन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी देख-देख भी ठीक होगी । कई जगह अगर आप देखें, जो साधु लोग है उन्होंने 6-6 हजार गउंओं का प्रबंध किया है। वहां पर धार्मिक भावनाओं से जो लोग उसके पास आते हैं, वे मदद भी करते हैं। मेरा निवेदन है कि सारे मंदिरों से 15-15 प्रतिशत पैसा गौमाता के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मंदिरों से पहले से पैसा नहीं आ रहा है,

04.04.2018/1515/बी0एस0/एच0आर0-2

पिछली सरकार ने भी आदेश दिए थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि मां नैना देवी का जो ट्रस्ट है वहां पर 60-62 हजार रूपये महीने में लैहरी गौसदन को प्रदान किया जाता है। एक संत पंचगाईं में रहते हैं उनके अधीन यह संस्था चली है उनके साथ कुछ लोग ट्रक ऑप्रेटर हैं वे मदद करते हैं और नैना देवी में दानपात्र वहां पर लगा रखा है। हर महीने 50-60 हजार रुपया दानपात्र से भी आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम पैसा

तो इक्टठा करें क्योंकि गौमाता की रक्षा करना भी जरूरी है लेकिन हमारे को व्यवहारिक प्रश्न के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज हो क्या रहा है, आज गउएं जब दूध नहीं देती तो वे सड़कों पर आ रही है। सरकार ने उनके लिए क्या कानून बनाया? हिमाचल प्रदेश में कब से हम सुनते आए हैं कि हां जी, अब कानून आ जाएगा। टैगिंग होगी जो छोड़ेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा लेकिन क्या उसके ऊपर कोई कदम आगे उठाए गए? मेरा निवेदन यह कि जिस बीमारी को रोकने का प्रयास हमको करना चाहिए उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। आज एक और दिक्कत आ गई है। अब लोगों ने बैल छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हमने किसानों को छोटी-छोटी मशीनरी दे दी और कहा कि यह आपको 60 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगी, कोई 80 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जहां पर छोटे-छोटे बैल काम करते थे। अब लोगों ने बैल भी छोड़ने शुरू कर दिए क्योंकि जो हैंड टिलर है वह आपके सारे खेतों का काम कर रहा है। उससे क्या नुकसान हो रहा है, आपकी गउंए छोड़ी जा रही है आपके बैल छोड़े जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी परंतु जब खाद नहीं होगी, गोबर नहीं होगा तो कैसे फसलों की पैदावार होगी?

04-04-2018/1520/DT/YK/1

श्री रामलाल ठाकुर ----जारी।

बैल नहीं होंगे, गाय नहीं होगी तो मैं यह कहूंगा कि ये चीज़ें कैसे पूरी हो जायेगी? इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम कुल मिलाकर इन चीज़ों को साथ में देखें। अगर मान लो गउओं की रक्षा करने के लिए गौ-संवर्धन का कोई काम करना है, जहां पर लोग पशु चराने का काम करते थे उसके बाद वहां पर फोरेस्ट एंट्रीज हो गई। जंगल चरांद देहाती उसका मतलब यह है कि गांव में जो गउऐं है, जो पशु हैं उनको चरने की जगह है। उसे अगर हम डवैल्प करें तो 250-250, 300-300 बीघे जगह एक-एक जगह पर है। वहां पर अगर हम बड़े-बड़े गउ सदन खोलें तो उसमें लोग भी मदद करने के लिए आयेंगे और उसमें पचांयतों के लोग भी सिद्धकर हो पायेंगे। नैना देवी से किसी ने पद्रंह लाख रूपया दे दिया, कहीं से दस लाख रुपये दे दिए,कोई चांदपुर में आ गया और कोई रानी कोटला से आ गया। मुझे

बता दे कि कौन सा गऊ सदन पिछले 4-5 सालों से चला है। केवल मात्र पैसा वहां गया है। इसलिये मैं कहूंगा कि बड़े पैमाने पर सोचने की आवश्यकता है। अगर सही तौर पर हमने इसे करना है तो गउओं के लिए क्लस्टर एक जगह पर बनाया जाये। जिसमें मेडिकल फैसिलिटी हो, पानी का इंतजाम हो, जिसमें गउओं की देखभाल करने के लिए लोग आगे आयें तो मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा, मैं आपसे नैना देवी की बात भी करूंगा। मैं जितने भी मंदिर ट्रस्ट हैं उनकी बात भी मैं करना चाहता हूं। आपने ट्रस्टों के ऊपर 15% तो लगा दिया लेकिन कई ट्रस्टों को हम उसकी परिधि से बाहर निकाल रहे हैं। कुल्लू का उदाहरण है। बिलासपूर में वहां पर जो धौलरा मंदिर है, नारसिंह मंदिर है, मैं जब मंत्री था तो उस समय हमने वहां पर ट्रस्ट बनाया था । ट्रस्ट था धौलरा मंदिर नारसिंह का। उसके साथ हनुमान मंदिर, बिलासपूर की ऐतिहासिक व्यास गुफा, मारकंडा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया काम चला हुआ था। मंदिरों का भी विकास हो रहा था और उसमें सिर्फ एक बात छुटी थी, वह थी व्यास ऋषि की गुफा और उसके विकास के लिए कुछ भी नहीं हो पाया था। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कारण था कि उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रूपये दिया गया और कहा गया कि एक साल के लिए इसका ट्रस्ट नहीं रहेगा। इसे पंडित जी चलायेंगे। एक साल निकल गया, पांच साल माननीय वीरभद्र सिंह के भी निकल गये। वहां के सीनियर सिटीजन हाई कोर्ट में गये । हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पिछले सालों की आमदनी को देखा जाये। जब यह ट्रस्ट था तब कितनी

04-04-2018/1520/DT/YK/2

आमदनी होती थी और बाद में कितनी आमदनी रह गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बाकायदा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किये थे कि अगर मान लो पंडित आमदनी कम बता रहे है तो इसको दौबारा से ट्रस्ट में बदल दिया जायेगा। लेकिन आज तक वह ट्रस्ट नहीं बना। आपके सामने हाई कोर्ट के आदेश भी हैं लेकिन उसके बाद भी यह नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप कई ट्रस्टों को मंदिरों की परिधि से बाहर निकाल दो। आज जितने पाण्डें है और जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, ज्वाला जी का मंदिर है, मां नैना देवी का मंदिर है, मां चिंतपूर्णी का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में जो विद्यापीठ हैं, मंदिर हैं जब यह टैम्पल ट्रस्ट बने थे तो उस समय जो उनके पुराने राइट थे उनको भी ध्यान में रखा गया था। उनके

राइट कोई आज के नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो उनके राइट दर्ज है वह राजाओं के समय से है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे और साउथ के टैम्पल ट्रस्ट हैं, उसमें अंतर यह है कि साउथ में उन्होंने सबको निकाल दिया है। जितने भी पुरोहित थे उनको वहां पर पूजा करने के लिए तनख्वाह देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब आपने कहा कि उनका भी हिस्सा कटेगा उनको भी 25% मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह कानूनी पहलू है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मसले गये, सुप्रीम कोर्ट से वह मसला दोबार हाई कोर्ट को भेजा गया। हाईकोर्ट के बाद आज मैं कहना चाहूंगा कि नैना देवी का मसला डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज की कोर्ट में लम्बित पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में आज भी लम्ब्तित पड़ा है। जो लोग अपने राइटस के बारे में कोर्ट में गए हैं क्या इस अमैंडमैंट को लाने से पहले आपने इसके कानूनी पहलू के बारे में भी सोचा? यह न हो साउथ की तरह

04/04/2018/1525/RG/YK/1
श्री राम लाल ठाकुर------जारी

जितने भी पण्डे हैं उनके सारे अधिकारों को खत्म करें और यहां पूजा करने वालों को रखें। वे वहां पूजा करें और बाकी सारे-का-सारे सरकारी ट्रस्ट उसको चलाए और वे हमारी धार्मिक संस्थाओं को और आगे ले जाने के लिए काम करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिण भारत, हिमाचल, बिलासपुर, माँ ज्वालाजी और कांगड़ा माता में कुछ और है। इसलिए एक जैसा हिसाब-किताब रखें।

अध्यक्ष महोदय, जो मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी से कहूंगा कि कृपा करके ऐसा काम करें कि कल को हमारे सामने इस प्रकार से कोई कानूनी अड़चन न आए। जो भी करना है, आप करें, लेकिन the cases are pending in Hon'ble High Court and Subordinate Judiciary. जब तक यह नहीं होगा तब तक ठीक नहीं है और जो मुद्दे वहां पर खड़े किए हुए हैं जब तक उनके बारे में भी फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार की कार्रवाई सही नहीं लगेगी। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कानूनी पहलू के बारे में भी और हिमाचल प्रदेश में जो अलग-अलग मंदिरों पर अलग-अलग फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला सबके लिए बने और जो

रिकॉर्ड होल्डर्ज हैं, राजस्व अभिलेख में पुश्त-दर-पुश्त जिनके राइट्स हैं उनको भी नज़रन्दाज़ न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मंदिरों में सोना-चांदी चढ़ता है। पहले उसकी नीलामी करते थे। पिछली सरकार ने भी कहा कि नहीं सुनारों के माध्यम से इनके कुछ क्वाइन्ज बनाओ या कुछ और करो। लेकिन 10-10 सालों तक सोना-चांदी बंद रहता है, उसके बाद सरकार में विभागों के सचिवों का आदेश होता है कि अब इसको पिघलाकर कन्वर्ट करो। तो क्या सोना-चांदी 5-6 सालों के बाद जिसके क्वाइन्ज बनेंगे, जिसको कन्वर्ट किया जाएगा, क्या यह भी इनकम में शामिल होगा?

अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे पहलू थे जिनके बारे में मुझे सदन का ध्यान आकर्षित करवाना था और माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि कृपा करके इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जो कहा कि गौसदन पंचायतों के द्वारा नहीं चलेंगे और यह बात आज मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। अगर गऊ माता की रक्षा करनी है, तो इसके लिए सरकार को नई सोच से आगे आना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

04/04/2018/1525/RG/YK/2

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 'The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions And Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2018 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेक्शन-17, 26, 31 और 32 जो ओरीजनल ऐक्ट में है उसको ओमिट किया गया है? उसका संशोधन कब हुआ? क्योंकि जो बिल के ऐक्सट्रेक्ट में दिया है उसमें ये सारे सेक्शन्ज गायब हैं। साथ में सेक्शन-22 जिसमें आप संशोधन कर रहे हैं, उसके सब-सेक्शन 'एफ' में जो क्लॉज है उसमें सेक्शन-17 को रेफर किया जा रहा है। तो सेक्शन-17 तो इसमें है ही नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है? क्या आपका प्रशासन इतना कमजोर है? इसके साथ यह भी देखने में आ रहा है कि जितने भी बिल आप

दे रहे हैं उनका आखिरी पेज गायब है। यह इस ऐक्ट में भी गायब है, पुलिस ऐक्ट में भी आखिर पेज़ नहीं है। यह सभी माननीय सदस्यों के पास है। आखिर आप यह पेज भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें यह नहीं पता चल रहा है कि इसके आगे भी कोई और सेक्शन है या नहीं या यह अन्तिम पेज है? इसलिए मेरा पहला ऑब्जेक्शन तो यह है कि यह जो बिल आपने यहां लाया है, यह मिसलीडिंग बिल है, इसमें ओरिजनल के सेक्शन्ज गायब हैं और आखिरी पेज ही इसमें नहीं है। इसलिए इसको तो वापस लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब इसके आगे अपने विचार रखना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव के समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको थोड़ा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी। आप जो गाय पर बजट ला रहे हैं और जो आवासीय विद्यालय खोलने की बात इन्होंने कही है, मैं उस समय भी इन दोनों में बजट की तुलना कर रहा था। मैंने कहा कि जहां स्कूल खुलने हैं वहां के लिए 10 करोड़ रुपये है और गाय के लिए 17 करोड़ रुपये का बजट है। अब आप मंदिरों से भी पैसा देना चाहते हैं, तो मेरी आपत्ति यह थी कि यह प्राथमिकता की बात है। आपकी प्राथमिकता गाय के लिए रह सकती है और मेरी प्राथमिकता स्कूल के लिए रह सकती है। मेरी प्राथमिकता उन गरीबों के लिए हो सकती है जिनके पास आज छत नहीं है, जो नीली छत के नीचे रहते हैं

04/04/2018/1530/जेके/एचके/1

श्री जगत सिंह नेगीः-----जारी-------

उनको मकान की जरूरत है। शिमला के अन्दर रैन बसेरा नहीं है। जब भी आप रात के समय जाएंगे तो ओल्ड बस स्टैंड के नीचे आप देखेंगे कि ठिठुरती ठंड में लोग वहां पर सो रहे हैं, उनकी मुझे चिन्ता है। मैंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। मैं भी उतना ही हिन्दू हूं। आपसे ज्यादा हिन्दू नहीं हो सकता हूं लेकिन कम भी नहीं हूं। तिरूपति मैं भी जाता हूं, हरिद्वार भी जाता हूं और मैं शिकारी देवी मन्दिर अभी हाल ही में गया था। आपने कहा कि यह ठंडा आदमी गर्म हो रहा है। आप भी मेरे से ज्यादा गर्म इलाके के नहीं है। आपका इलाका भी मेरे से थोड़ा ही गर्म है। इसमें राजनीतिकरण न किया जाए। मेरा इस बिल में यह ऑब्जैक्शन है कि जो सैक्शन-22 आपने लाया है उसमें लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया है। उसमें आपने 15 परसेंट के बारे में कहा कि यह 15 परसेंट पैसा कहां डालेंगे?उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे आपकी नीयत में शक नहीं है परन्तु जो आप सब की संकीर्ण

विचारधारा है वह यहां पर दिखती है। कैसे, आपने कहा स्पष्टीकरण, इस खंड प्रयोज़न के लिए गोवंश सम्वर्द्धन से देसी गाय की नस्ल का संरक्षण से विकास अपेक्षित है। अब आप लोग गाय में भी राजनीति ला रहे हैं। आपने देसी गाय और ज़र्सी गाय में फ़र्क कर दिया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारे देश में दूध का उत्पाद बढ़ा है तो जो गाय की नस्लें हैं इसको हाई ब्रीड ला कर किया है। अरबों रूपए न केवल हिमाचल प्रदेश ने बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों ने, केन्द्र सरकार ने ब्रीड चेंज करने के लिए लगाए हैं। आप आज इनकी इन्सेमिनेशन बन्द कर दो, आपके पास आज की तारीख में ज़र्सी गाय नहीं है। आपको डी0एन0ए0 टैस्ट करना पड़ेगा जिसको आप गोसदन में एडमिशन देंगे। यह आप कैसे करेंगे? आप बी0जे0पी0 की गाय और कांग्रेस की गाय बना देंगे। आप देसी और विदेशी गाय को उसमें करते हैं इसलिए ये मामला आपका चलने वाला नहीं है। यह आर.एस.एस. की सोच हिमाचल प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को डुबो देगी, खत्म कर देगी। आप इस बात की चिन्ता कीजिए। आप यह मत रखिये ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप सभी किस्म की गाय को एडमिशन दीजिए। दूध न देने वाली गाय उस ज़र्सी गाय का क्या कसूर है, जिसने आपको 20-20 लीटर दूध दिया है? पहाड़ी गाय और देसी गाय एक लोटा दूध भी नहीं देती है। आप उसके

04/04/2018/1530/जेके/एचके/2

संरक्षण में लगे हुए हैं। आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यह आपकी संकीर्ण सोच है। इसको आपको बदलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दूसरा प्वाइंट और है। आपने बहुत अच्छी बात की कि मन्दिरों में बहुत ज्यादा सोना-चांदी है। उसको किस तरह से बेच कर उसको आगे देना चाहते है, परन्तु यह पैसा आप किसको देंगे? मन्दिरों से जो पैसा आएगा, इस एक्ट में आपने कहीं नहीं बताया कि किसको देना है? यह पंचायत को देंगे या किसको देंगे, यह पैसा कहां जाएगा इसकी कोई चर्चा नहीं की है। आप इसमें दूसरे चारा खाने वाले तैयार कर देंगे। आपने कोई तरीका नहीं रखा हुआ है कि कितने का खरीदेंगे और कितना गाय खाएगी और कौन खिला रहा है? आप एक केस और तैयार कर देंगे। इसके ऊपर चिन्ता कीजिए, धन्यवाद।

04/04/2018/1530/जेके/एचके/3

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल की चर्चा के दौरान यहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बड़ा सीधा और स्पष्ट सा विषय है। हमने कभी नहीं कहा कि यह काम हम पहली बार कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि यह सिर्फ हमारी ही मंशा है। हमारे विपक्ष के सदस्यों ने यहां पर कहा कि पहले भी इस दिशा में पूर्व सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके साथ-साथ मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहना एक बात होती है लेकिन करना बहुत अलग चीज़ होती है। अभी तक जो बात होती रही वह सिर्फ कहने तक होती रही है कि हमने कह दिया लेकिन हम इस दिशा में बढ़-चढ़ कर कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ कहना ही नहीं चाह रहे हैं बल्कि करना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से यह हमारा मूल भाव है।

04.04.2018/1535/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

यहां पर इसी माननीय सदन में हम उस वक्त भी उपस्थित थे जब आप लोग सत्ता पक्ष में थे। आपकी ओर से प्रस्ताव आया। आप लोगों ने कहा कि इस प्रकार से करना चाहिए, हमने उस वक्त भी स्वागत किया। हमने कभी विरोध नहीं किया। उसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय कहा गया लेकिन वह ज़मीन पर हो नहीं पाया। बाद में हाई कोर्ट ने सूओमोटो इस सारे मामले को लेकर आदेश कर दिया। उस वक्त हिमाचल प्रदेश की कुल 3243 पंचायतें थीं। उन्होंने आदेश कर दिया कि सभी पंचायतों में अनिवार्य कर दिया जाए कि गोसदन खोल दिए जाएं। गोसदन खोलने के साथ-साथ वहां पर इस तरह से गाय की रक्षा/सुरक्षा की जाए, इस प्रकार का आदेश दिया। क्योंकि वह कोर्ट का आदेश था इसलिए उसकी अवमानना न हो, उस दृष्टि से सरकार ने निचले स्तर पर प्रयत्न किये कि इस पर अमल करो। अध्यक्ष महोदय, जब अमल करने की बात ज़मीनी स्तर पर आई, पंचायत के स्तर पर आई तो सोचने लगे कि इसका काम कैसे करें। अभी यहां पर सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कह

रहे थे कि हमारी सरकार ने कहा कि पंचायत में गोसदन बनाओ, पांच बीघा जमीन दीजिए। कितनी पंचायतों ने दी? आपने कहना तो शुरू किया लेकिन वह कितनी जगह सम्भव हो पाया? वह नहीं हो पाया। कारण यह है कि वह व्यावहारिक नहीं था। सम्भव नहीं था। 3243 पंचायतों में गोसदन खोलना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उनका संचालन करना कैसे सम्भव था? क्योंकि कहीं से भी उनको संचालित करने के लिए जो धन का प्रवाह आना चाहिए था, मदद मिलनी चाहिए थी, वह प्रोविजन कहीं से भी नहीं जुड़ पाया था। इसलिए जब हमने कहा कि इस सारी बात को लेकर इस माननीय सदन में एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार चर्चा हो गई, उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ने की अगर बात आई तो सबसे बड़ी बाधा तो हमारे लिए यही है कि ये जो सारी चीज़ें हम करने के लिए सोच रहे हैं इसे ज़मीन पर तब उतार पायेंगे जब इसके लिए कुछ बजट का प्रावधान करेंगे। फिर प्रश्न हिमाचल की आर्थिक स्थिति का पैदा हुआ। जब हम हिमाचल की आर्थिक स्थिति देखने लगे तो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा बजट प्रोविजन इस एक काम के लिए कर पायेंगे। फिर हमने तलाशने की कोशिश की कि कहां से मदद आ सकती है और उस दिशा में हमने ये कदम उठाया। एक कदम हमने यह उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर, ट्रस्ट हैं कुछ जगह उनकी

04.04.2018/1535/SS-AG/2

अच्छी आय है। उससे मंदिर, ट्रस्ट बहुत सारे सामाजिक सेवा के काम भी करते हैं। कई जगह संस्थाएं, स्कूल चलाते हैं। कई जगह हॉस्पिटल के लिए मदद करते हैं। कई जगह और भी सेवाओं के काम करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि उसके बावजूद भी गौसेवा का एक यह भी काम है, इसको भी इसके साथ जोड़ दें तो उसमें हमको थोड़ी-सी मदद मिलेगी। उस दृष्टि से हमने प्रोविजन किया, जिसका ज़िक्र यहां पर सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कर रहे थे। जो आपने सैक्शन-22 (9) के "G" भाग के संदर्भ में कहा, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने इसमें थोड़ा-सा असैसमैंट किया कि पिछले वर्षों में हमारे मंदिरों/ट्रस्टों की स्थिति क्या रही। शिडयूल-I में जो हमारे 35 मंदिर और ट्रस्ट आते हैं उनमें आय कितनी है। हमने उसमें देखा कि 2017 में लगभग 119,53,65,142/- रुपये की इंकम हुई है। फिर उसके बाद हमने इस बात पर भी सोचा कि अगर हम इस पर थोड़ा सा पैसा लगाते हैं तो इस पैसे में से कितना पैसा गौसम्वर्धन की दृष्टि से और गौसदन के

संचालन के लिए मुहैया कर सकते हैं। फिर यह भी एक बात आई, जिसका ज़िक्र सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कर रहे हैं, हमने इसमें 15 प्रतिशत रखा है लेकिन आप कह रहे हैं 25 प्रतिशत करना चाहिए। इसे और बढ़ाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमको कहीं और से भी आय का साधन बढ़े। लेकिन हमने इसका दूसरा पक्ष भी देखा कि जो हमारे पास मंदिर/ट्रस्ट हैं उनके पास पहले से ही बहुत सारे समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं वे डिस्टर्ब न हों। वहां पर मंदिरों/ट्रस्टों के संचालन का भी इश्यु है वह भी प्रभावित न हो। इसलिए हमने कहा कि हम शुरूआत थोड़े से करें।

4.04.2018/1540/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी----

इसलिए हमने उसमें फिलहाल 15 प्रतिशत का ही प्रावधान रखा है। आपके सुझाव पर आने वाले समय में जब आगे बढ़ेंगें तो निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। यह खुला विषय है और आपका सुझाव बहुत अच्छा है क्योंकि अगर 25 प्रतिशत करते हैं तो उससे आय बढ़ेगी और हम इसको और बेहत्तर ढंग से करने की स्थिति में हो पाएंगें। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री राम लाल जी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए सरकार ने आदेश कर दिए कि हर पंचायत में गोसदन खोलने की व्यवस्था की जाए लेकिन अध्यक्ष महोदय, पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह गोसदन बनाए और उसका संचालन कर सके। आपका सुझाव व्यवहारिक है। हम भी जिस माध्यम से इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मतलब यह नहीं है कि यह हर पंचायत में होगा क्योंकि यह सम्भव ही नहीं है। आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उसी मन्शा के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगें। क्लस्टर छांटेंगें, वहां पर रख-रखाव के लिए जमीन भी ठीक ढंग से उपलब्ध हो और वहां पर अगर गोवंश रखते हैं तो उनके लिए चारे की भी व्यवस्था हो और वहां पर उनके लिए सर्दी और गर्मी के मौसम में पानी की, शैल्टर की माकूल व्यवस्था हो। इसी तरह से अगर जमीन ज्यादा मिल सके तो उनको नज़दीक अगर चारागाह होगी तो

वहां पर उनको खुला छोड़ सके, उस दृष्टि से भी काम किया जा सके । इस प्रकार से उसको संचालित करने की हम कोशिश करेंगें। हम यह भी सुनिश्चित करेंगें कि जहां भी गोसदन खोलें, वहां पर बीमार होने पर गाय के इलाज की व्यवस्था भी हो, उसके लिए पशु-पालन विभाग के अंतर्गत वैटरिनरी हॉस्पिटल्ज़ में डॉक्टर्ज़ जाएं और गायों की देखभाल करें , इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगें। श्री जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे कि सेक्शन 17, 26, 31 और 32 में संशोधन नहीं दिखाई दे रहा। यह इसलिए नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इसमें संशोधन ही नहीं है।

4.04.2018/1540/केएस/डीसी/2

वह इन्टैक्ट है जैसे पहले थे उसमें तरमीम करने की कोई बात नहीं है। नस्ल के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पता नहीं आपको देसी नस्ल की गाय पर क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है? ज्यादा दूध देना एक विषय है लेकिन यह हकीकत है कि जो हमारी देसी नसल की गाय है, उसका संवर्द्धन करना, उस प्रजाति को जो आज की परिस्थिति में विलुप्त होने की कगार पर है, उसकी चिन्ता करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और नेगी जी एक नहीं अनेकों रिसर्चिज़ के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि जो हमारे हिन्दुस्तान की देसी गाय है, पहाड़ी नस्ल की गाय है अगर इसमें और जर्सी गाय के दूध की क्वालिटी में, पोषक तत्वों का और मैडिसिनल वैल्यूज़ का आकलन करें तो रात-दिन का अंतर है। यह लम्बा विषय है जिस पर मैं नहीं जाना चाहता। हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में यह कन्सैप्ट है कि जहां से ज्यादा पैदावार मिल सके, हम उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। चाहे वह फसल की बात हो,

4.4.2018/1545/av/dc/1

मुख्य मंत्री ---------- जारी

चाहे वह एग्रिकल्चर सैक्टर है या होर्टिकल्चर सैक्टर है; उसके कारण हम खामियाजा भी बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं। एग्रिकल्चर और होर्टिकल्चर के क्षेत्र में ज्यादा प्रोडक्शन को सुनिश्चित करने के लिए और लालच में आकर के हम लगातार पैस्टिसाइड तथा खाद इत्यादि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपने हाथों से ही ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हम आज भोजन नहीं खा रहे बल्कि एक तरह से जहर खा रहे हैं और इन सारी चीजों के कारण आज इतनी ज्यादा लाइलाज बीमारियां हो गई हैं। इसलिए इस तरफ भागने में हमारा नुकसान है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे बर्बाद हो जायेगी। आज की तारीख में हमें इस बात को सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि ऐसा करते-करते तथा दुनिया की दौड़ में ज्यादा-से-ज्यादा हासिल करने की दृष्टि से हम अपने संस्कार व मूल से जुड़ी हुई चीजों को छोड़ते-छोड़ते कहीं और भटक गये हैं। नेगी जी, एक दिन ऐसी परिस्थिति आयेगी कि जब आप यह बोलेंगे कि एक देसी गाय किन्नौर ले जाने के लिए मुझे भी दे दो। हम यहां दूसरी गाय का भी विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि उस दिशा में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और यह आज की परिस्थिति है। आपने इसके अंतिम पेज का जिक्र किया है तो इसके बाद तो सिर्फ कवर ही था। इसके बाद और कुछ नहीं था केवल कवर था, आपको कवर लगाकर दे देंगे ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। सभी माननीय सदस्यों की तरफ से अच्छे सुझाव आए हैं और हम सभी लोग इस बारे में चिन्तित है। हम चाह रहे हैं कि यह सिर्फ सरकार का कार्यक्रम न हो, इसमें लोगों की सहभागिता की दृष्टि से भी कुछ और चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के क्षेत्र में यदि इस प्रकार के पशुधन/गोवंश सड़कों या चौराहे पर छोड़े हुए मिलते हैं तो उसके लिए वह भी उसमें अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करें और उसे गोसदन तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। इसके अतिरिक्त, हमारे महिला मण्डल बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं

4.4.2018/1545/av/dc/2

लेकिन इस बारे में उन्हें जागरुक करने की आवश्यकता है। हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और आने वाले समय में अगर हमारा यह प्रयोग सफलता की तरफ बढ़ता है तो चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मण्डल या दूसरे वर्ग के लोग भी इसमें सहयोग की दृष्टि से आगे आयेंगे और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के बारे में भी सरकार विचार करेगी। मंदिरों के साथ-साथ इसमें आय के दूसरे जरिए भी अपनाए गए हैं और उसके लिए एक बोतल पर एक रुपया टैक्स लगाया गया है। इसके लिए लोगों के हमारे पास सुझाव आ रहे हैं कि आप इसको एक रुपये से ज्यादा कर सकते हैं। हमने कहा कि यह शुरुआत है और आने वाले समय में इस बारे में विचार किया जा सकता है। इससे कुछ लोगों को थोड़ा सा टैक्स लगेगा लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग इस पुण्य के काम में अपना सहयोग देने को आगे आयेंगे और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरुरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पारण की तरफ आगे बढ़ाया जाए।

4.4.2018/1545/av/dc/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री वीरभद्र सिंह जी।

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार के मन में क्या है। क्या सरकार गोवंश का संवर्धन करने के लिए सीरियस है या महज एक टाल-मटोली हो रही है? मैं समझता हूं कि हमने इतना बड़ा पशु पालन विभाग खोला हुआ है क्या उसके द्वारा हम इन छोड़े हुए पशुओं को; मैं अवारा पशु नहीं बोलूंगा बल्कि यह कहूंगा कि अवारा लोगों द्वारा जो अपने पशु बाहर छोड़ दिए जाते हैं क्या वे उनकी सेवा नहीं कर सकते?

श्री टी सी द्वारा जारी

04.04.2018/1550/TCV/HK-1

श्री वीरभद्र सिंह .... जारी

क्या हम इतने गरीब हो गये हैं, इतने पिछड़ गये हैं, इतने साधनहीन हो गये हैं कि आज हम इतनी छोटी-सी समस्या के समाधान के लिए भी अपने मन्दिरों को टटोल रहे हैं। लोगों को यह बहुत गलतफ़हमी है, कि हिमाचल प्रदेश के मन्दिर भव्य, प्राचीन है और वे सब अमीर है। उनके पास इतना धन है कि उस धन से वे गऊपालन करेंगे। ठाकुर राम लाल जी ने ठीक कहा है कि जब ये हिमाचल प्रदेश के मन्दिर सरकारी कंट्रोल में आये, उनके ट्रस्ट बने, उनमें बहुत झगड़े हुए हैं। उसमें कितने पारीदार है, कितने लोग है। There are dozens and dozens of families which are surviving on one temple. उनको इन्कम का शेयर देना पड़ता है। ये कोर्ट के आदेश हैं। जिनको हम झूठला नहीं सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये गऊ की सेवा करेंगे, मन्दिरों से पैसा देकर तो आप इस भावना को छोड़िए। ये गलत बात होगी। It would be counterproductive. पिछले कुछ अर्से से सरकार ने जो कुछ कोशिश की है, उसकी वज़ह से मन्दिरों में सुधार हुआ है। उनके लेन-देन पर चैक रखा गया है, जिसकी वज़ह से पारीदार का खर्चा पूरा करके, जो बचा है, उसको मन्दिर के रख-रखाव और दूसरे धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। अगर कोई सरकारी अधिकारी यह कहता है कि मन्दिरों के पास बहुत धन पड़ा हुआ तो यह औरेंगजेब वाली सोच है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने छोटा-सा कदम उठाया। मैंने गऊवंश संवर्धन बोर्ड कायम किया। इसके लिए 10 करोड़ रुपये शुरू में रखे। ये शुरूआत थी कि सरकार अपने खज़ाने से या शराब के ऊपर टैक्स लगा करके, साधन पैदा करें ताकि इसका बोझ सरकारी खज़ाने पर भी ज्यादा न आये और मन्दिरों का भी रख-रखाव हो। ये जो आवारा लोग हैं, जिन्होंने पशु को आवारा बनाया है, उन पशुओं की भी सेवा की जाये। आपकी ये सोच ही गलत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि don't touch temples. ये आपकी गलतफ़हमी है कि मन्दिरों के पास आपार धन पड़ा हुआ है, वह बात नहीं है। कई

मन्दिरों की इन्कम है, मगर उनके पारीदार इतने है कि उनको उनका हिस्सा देने के बाद मन्दिर के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो आप इस चीज को पायेंगे। मन्दिर के

04.04.2018/1550/TCV/HK-2

एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से बहुत सुधार हुआ है। लेकिन सुधार आगे और भी करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन हम गऊ संवर्धन की जिम्मेवारी मन्दिरों पर थोपना चाहते हैं। क्या हम इतने नंगे-भूखे हो गये हैं। हम इतने साधनहीन हो गये हैं कि हम मन्दिरों से पैसा लेकर गऊ की देखभाल करेंगे। ---(व्यवधान)--- नहीं बिल्कुल नहीं। सरकार जानती है, हमने 10 करोड़ रुपये से शुरू किया था। मेरा आइडिया था कि गऊवंश संवर्धन बोर्ड का आंतरिक खर्च बढ़ेगा। 10 करोड़ सदा के लिए नहीं होगा it may increase to 20, 30 or even 40, rather than touching the temples, can't we raise these much of resources. कई लोग है, दानी लोगों की कमी नहीं है।

04-04-2018/1555/NS/HK/1

श्री वीरभद्र सिंह ----जारी।

मगर इसको कैसे आर्गेनाईज करना है? यह ठीक से करना है। यह औरंगजेबी किस्म की सोच है कि जिसको पैसा चाहिए, उसको मंदिर से दे दो। आप यही समझते होंगे कि मंदिरों के पास अपार धन है। Once you see their budget . उनकी पर्चियां प्राप्त कीजिए। वास्तव में मंदिरों को अपना day-to-day खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, because there are so many shareholders in each temple. यह अज़ीब बात है, जो मैंने हिमाचल में देखी है। चंद मंदिरों को छोड़ कर जो स्टेट टैम्पल्ज़ थे। बाकी जितने मंदिर हैं, चाहे ज्वाला मुखी है, चाहे नैना देवी जी है, इसमें इतने शेयरहोल्डर्ज़ और पालीदार हैं कि उनके बीच भी स्टेकहोल्डर्ज़ हैं। इन स्टेकहोल्डर्ज़ को भी पैसा देना पड़ता है and it is as per the Hon'ble Court's orders. इसलिए जो आपकी भावना गौ सेवा करने की है और

गौ संवर्द्धन की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। आपके अन्दर दर्द है, गाय और आवारा पशुओं के लिए और उन पशुओं के लिए जिन्हें आवारा लोगों ने बेघर किया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्लीज़, यह इतना बड़ा controversial issue हो जायेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जायेगा। इससे अच्छा है कि गौवंश के लिए वर्तमान में लगभग 10 करोड़ रुपये का बज़ट था, आप उसको 20 या 25 करोड़ कर लीजिये। गर्वनमैंट से हिस्सा दीजिये। आप शराब के ऊपर सैस लगाईये और किसी ओर चीज़ के ऊपर सैस लगाईये। इससे पैसा इक्ट्ठा कीजिये, मंदिरों से नहीं। धन्यवाद।

04-04-2018/1505/NS/HK/2

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, आज पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस चर्चा में अपने सुझाव दिये हैं। लेकिन मैं भी इस बात से थोड़ा हैरान हूं। हमारी मंदिरों के बारे में इस प्रकार की बिल्कुल धारणा नहीं है, जिस प्रकार से आप यहां पर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मंदिरों को बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करने की दृष्टि से उनको अपने पैसे की आवश्यकता रहेगी। इसके बावजूद, जहां तक मैं देख रहा हूं कि प्रयास पूर्व सरकार ने भी किये हैं। यहां इन्होंने बात कही कि हमने भी प्रयास किये हैं और यह पैसा मंदिरों से क्यों लेना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, यह आज की परिस्थिति है और ये वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे हैं तो इनको इस परिस्थिति को समझना चाहिए। प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, वह इनसे छुपी हुई नहीं है। सरकार भी मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इसका एक नहीं कई उदाहरण हैं। मंदिरों का पैसा गाड़ियां खरीदने के काम में लग रहा है। कई जगह अफसरों की गाड़ियां ली गई हैं। मंदिरों का पैसा वहां लग रहा है, जहां धार्मिक आस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस पैसे का उपयोग इस काम में होना चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा का एक स्थान है और जो एक अभिव्यक्ति है, उसको पूरा करने की दृष्टि से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपस में भी बहुत विरोधाभास है। एक तरफ इनकी ही पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसको 25 प्रतिशत कीजिये, इसको और बढ़ाना चाहिए और

04.04.2018/1600/RKS/YK-1

मुख्य मंत्री... जारी

दूसरी तरफ से पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मंदिरों को नहीं लेना चाहिए। यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कम-से-कम एक मंशा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा बड़ी साफ है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हम पुण्य के भाव के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। इसलिए इस पुण्य के भागीदार आप भी बनिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसमें आप कोई भी बाधा न करें। जो आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, उनका हम पालन करेंगे। जो सुझाव स्वीकार करने योग्य होंगे, उन्हें हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा जाहिर करना कि यह गलत होगा, वह गलत होगा, इसमें गलत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि " हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

इस पर खंड 9 पर माननीय सदस्य, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने संशोधन दिया है। उस पर उन्होंने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद क्या माननीय सदस्य, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु जी अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अपनी एक राय प्रकट की है और जब कोई राय प्रकट करता है तो उस पर विस्तृत विचार होना चाहिए। लेकिन

सुझाव के तौर पर हमने एक राय रखी है। यह देखा गया है कि मंदिरों के पैसे से गाड़ियां खरीदी जाती रही है, मोबाइल खरीदे जाते रहे हैं। वर्ष 2007 में जब धूमल साहब मुख्य मंत्री थे तो डिप्टी कमिश्नर साहब को नई गाड़ी खरीदी गई, मोबाइल खरीदा गया।

04.04.2018/1600/RKS/YK-2

इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रस्ताव दिया है। गाय, मंदिरों से संबंधित, धर्म से संबंधित एक प्रतीक है। गाय कोई जानवर नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक प्रतीक है। हो सकता है कि मंदिरों के धन का मिसयूज हो उसको रोकने के लिए पूर्व मुख्य मंत्री जी ने राय दी है। मेरी यह राय है कि 25 प्रतिशत पर विचार करके इसको इम्प्लिमैंट किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि खंड 9 में जो संशोधन माननीय सदस्य, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु से प्राप्त हुआ है, उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन अस्वीकार हुआ

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 और 12 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि " हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि " हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) को पारित किया जाए।

04.04.2018/1600/RKS/YK-3

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि " हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 विधेयक संख्याक 4) पारित हुआ।

04.04.2018/1605/बी0एस0/वाई0के0-1

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2,3,4,5,6,7,8 और 9 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने ?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पारित किया जाए।

04.04.2018/1605/बी0एस0/वाई0के0-2

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) विचार किया जाए।

श्री राकेश पठानिया जी।

04.04.2018/1605/बी0एस0/वाई0के0-3

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि the Bill is wonderful. The same Bill has been passed in Telangana. There they have given a specific guideline that any industrial application

coming through Single Window Clearance, if the Government has any objections or doubts over that application it stands clear within 15 days. 15 दिन के अंदर-अंदर उसकी सारी क्लीयरेंस हो जाएगी और 15 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो 16वें दिन उसे ऑटोमेटिकली मंजूर माना जाएगा 'Deemed to be Approved'. उससे क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई जिससे उद्योगपतियों को एक फ्री वातावरण मिला। They were more bold to invest in that Pradesh. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी इंप्रूवमेंटस ले करके आएं हैं। क्या आप इस विषय को टाइम फ्रेम के साथ तय करेंगे। उन्होंने 16 दिन किया है आप 14-15 दिन करिए, आप 11 दिन करिए, 20 दिन करिए। कुछ ऐसा टाइम फ्रेम करने का प्रयास करें for which I will be grateful. Thank you.

04-04-2018/1610/DT/AG/1

अध्यक्षः अब माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया है, मैं माननीय पठानिया जी की बात से सहमत हूं। इसमें कहीं-न-कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सिंगल विंडो हमारे समय में भी था। आप इसको एक्ट के माध्यम से ला रहे हैं। Section 14(2) इसमें "within the timeline" लिखा है। अगर कोई e-portal के माध्यम से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए एप्लीकेशन देता है तो टाइमलाईन है। वह कौन-सी टाइमलाईन है? कितने दिन तक रहेगी और कब इसको प्रोसैस किया जायेगा? इस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपके रूल्ज़ में क्या प्रोवीज़न है? क्योंकि आपने रूल्ज़ के अलावा एक्ट में प्रोवीज़न कर दिया है। अच्छा होता, अगर आप एक्ट में ही प्रोवीज़न कर देते कि इतने दिन की टाइमलाईन है। क्योंकि आपने टाइमलाईन शब्द किया और "deemed to be" कर दिया है। दूसरा, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाने आता है, चाहे हाइड्रो से संबंधित है, चाहे इंडस्ट्री से संबंधित है, चाहे बद्दी से संबंधित है। कहीं धारा 118 की वायोलेशन तो नहीं हो

रही है। जे0पी0 इंडस्ट्रीज़ और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग आये और हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया तो इन्होंने अपने साथ काफी जगह साथ में ली। इस बात का भी ध्यान रखा जाये, जब आप प्रोजेक्ट लगायें तो कम-से-कम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोजेक्ट लगें। वहां बागवानी और खेती के लिए एक भी प्रोजेक्ट अलग से न लगे। इस बात का भी ध्यान रखा जाये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने एक Review Committee बनाई है। तीन चैनल बना दिये हैं। आपने Promotions Board बना दिया और उसके बाद Single Review Committee बना दी तथा फिर उसके बाद Single Window में आयेगा। इसमें एक चैनल को कम करने की जरूरत थी। State Industrial Promotion Cell से सीधा अगर सिंगल विंडो में आता तो इतने चैनलों से इसको गुज़रना न पड़ता। इस बारे में अगर आप टाइम फ्रेम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक दस करोड़ से कम की जो लिमिटेशन्ज़ हैं कि दस करोड़ के ऊपर तो सिंगल विंडो में आ रहे हैं और दस करोड़ से जो नीचे हैं, वह प्रोजेक्ट कितने दिन के अंदर, अगर कोई हिमाचल के छोटे उद्योगपति हैं, अगर हिमाचल का कोई युवा साथी उद्योग लगाना चाहता है और दस करोड़ से कम का लगाना चाहता है,

04-04-2018/1610/DT/AG/2

दो करोड़, चार करोड़ या पांच करोड़ का लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या टाइमलाईन होगी? टाइमलाईन के अलावा उसको कौन करेगा? यह इसमें क्लीयर कट मेन्शन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें। यह ठीक है कि एक्ट के बाद रूल्ज़ बनते हैं और रूल्ज़ में टाईम आ जाएगा तथा ये सब चीज़ें आ जायेंगी। लेकिन कुछेक चीज़ें जब इन्होंने सारी एक्ट में रख दीं थी तो वे चीजें भी लिख देनी चाहिए थी ताकि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती। मैं यह आपसे जानना चाहूंगा और खासकर हिमाचलियों के लिए जो दस करोड़ से कम के उद्योग हैं, दस करोड़ से ज्यादा का कोई एक ही होगा, उसके लिए भी आप prescribe कर दें, अगर एक्ट में नहीं है तो रूल में जरूर कर दें।

04-04-2018/1610/DT/AG/3

अध्यक्षः अब माननीय मुकेश जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो का काम बड़े अर्से से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रहा था। इसके लिए हम पूर्व सरकार में अक्तूबर महीने में ऑर्डिनैंस लेकर आये थे और इसको अब बिल में बदला जा रहा है। क्योंकि काफी लम्बे अर्से से जरूरतें महसूस हो रहीं थी कि इसको कानूनीज़ामा पहनाया जाना चाहिए। क्योंकि यह लैप्स हो जाना था या हो गया होगा तो इसलिए इसे बिल में बदल रहे हैं। यह एक अच्छी शुरूआत है। यह एक अच्छी पहल है। इसके लिए कानून की जरूरत थी और इसके लिए कानून बन रहा है।

04-04-2018/1610/DT/AG/4

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री राकेश पठानिया जी ने जो तेलंगाना वाली बात कही है कि वहां पर टाईम लिमिट है और भाई सुखविन्द्र जी ने भी इस विषय में बोला है कि अगर आपने इसमें version दिया है

04/04/2018/1615/RG/AG/1

उद्योग मंत्री------जारी

तो टाईम लिमिट के बारे में मेन्शन नहीं किया गया है। तो इन लोगों की चिन्ता का हमने इसमें ध्यान रखा है। इस अधिनियम के अधीन हम जो नियम बनाएंगे, उसमें टाईम लिमिट का विषय लेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने सुझाव दिया है, तो हम भी यह चाहते हैं कि कम-से-कम दिन इसके लिए दिए जाएं ताकि जो व्यक्ति वहां से उद्योग लगाने आया है या अपना कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक और चिन्ता सेक्शन-118 की भी ज़ाहिर की है कयोंकि ये अभी तक इस चिन्ता से ग्रस्त ही हैं और जब भी कोई बात करते हैं, तो आप सेक्शन-118 पर आ जाते हैं, लेकिन इसमें सेक्शन-118 के उल्लंघन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह क्यों नहीं होता क्योंकि राजस्व विभाग में इस बारे में काफी सेफ गार्ड है। तो उद्योग केवल मात्र उसी के लिए है। जैसी इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि वे उद्योग तो लगाते हैं, लेकिन साथ में कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 10,00,000,00/-रुपये से कम के उद्योग के बारे में भी कहा है, तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि छोटे निवेशक जो 10,00,000,00/-रुपये से कम के निवेशक हैं, उनके उद्योग उद्योग निदेशालय के स्तर पर ही स्वीकृत हो जाएंगे। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं और इसके लिए ये ऑर्डिनेन्स लाए थे, हम इसको आगे लाए हैं। तो आपने जो प्रयास इसके लिए किए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। जो आपके सुझाव आए हैं, इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए अब मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पास किया जाए।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 और 28 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

04/04/2018/1615/RG/AG/2

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 और 28 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' को पारित किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)' सर्वसम्मति से पारित हुआ।

04/04/2018/1615/RG/AG/3

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष : नियम-324 के अन्तर्गत आज विशेष उल्लेख के चार विषय लगे हैं। यदि सदन की अनुमति हो, तो यह सूचना सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाए और माननीय सदस्यों को उत्तर की प्रतिलिपि आज ही उपलब्ध करा दी जाएगी। नियम-324 के अन्तर्गत उठाए गए विषय निम्न प्रकार से है:-

श्री नरेन्द्र ठाकुर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित विषय उठाना चाहता हूं जोकि इस प्रकार है :- 'मैं, सरकार का ध्यान हमीरपुर शहर में लगातार ब़ढती यातायात व पार्किंग की समस्या की ओर दिलाना चाहता हँ। सरकार ने हमीरपुर जिलाधीश कार्यालय के सामने एक तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण का निर्णय लिया था परन्तु बाद में मात्र एक लैंटर डाल कर कार्य बंद कर दिया है। लोगों को पार्किंग की सुविधा न मिलने के कारण वाहनों को जहां-तहां ख़ड़ा कर देते हैं जिससे यातायात की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पार्किंग के निर्माण को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि स्थानीय जनता को इस समस्या से निजात मिल सके।'

अध्यक्ष : अब संबंधित मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:-
देव भूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय एवं आकर्षक गंतव्य है जिसमें धार्मिक, साहसिक, धरोहर, ग्रामीण व स्वास्थ्य पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास के मध्यनजर विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं तथा सरकार पर्यटन को ब़ढावा देने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उपरोक्त के मध्यनजर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग, शौचालय, पार्क, मार्गों में दी जाने वाली सुविधाएं व पर्यटक सूचना केन्द्रों का चरणबध्द तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हमीरपुर में बहुमंजिला कार पार्किंग के निर्माण कार्य को डिपौजिट कार्य के रूप में सौंपा गया था जिसके लिए मु0 2.12 कऱोड रूपये की धनराशि जिलाधीश, हमीरपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को दी गई थी। इस कार्य के निर्माण

04/04/2018/1615/RG/AG/4

का स्ट्रक्चरल डिजाईन सिविल इंजीनियरिंग विभाग एन.आई.आई.टी. हमीरपुर द्वारा करवाया गया था। इस योजना को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य प्रारूपकार द्वारा सत्यापित करवाया गया था। इस निर्माण कार्य में एक धरातल मजिंल व दो अन्य मजिलें बनाने का प्रावधान रखा गया था। इस निर्माण कार्य को शुरू करने के

लिए नींव व एक स्लैब में ही मु0 2,06,07,920/- (दो करो़ड छः लाख सात हजार नौ सौ बीस) रूपये का आकलन तैयार किया गया था। अतः यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध धनराशि से बहुमजिंला पार्किंग की नींव व एक स्लैब का निर्माण प्रथम चरण में किया जाये तथा भविष्य में धन उपलब्ध होने पर इस ढाचें पर दो अन्य मजिंलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। इस भवन का निर्माण कार्य दिनांक 23.03.2011 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 03.04.2012 को पूर्ण कर लिया गया तथा इसके निर्माण पर पर्यटन विकास निगम द्वारा मु0 2,07,75,999/- (दो करो़ड सात लाख पचहतर हजार नौ सौ निन्यानबे) रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है जिसका निर्मित क्षेत्र 2340 वर्ग मीटर (/kjkry मंजिल 1170 वर्ग मीटर व स्लैब 1170 वर्ग मीटर) है। इस पार्किंग में धरातल मजिंल में 66 वाहन व प्रथम मंजिल में 46 वाहन खड़े करने की सुविधा उपलब्ध है। पार्किंग के अलावा जिलाधीश के आदेशानुसार दो गार्डरूम का निर्माण किया गया है जिस पर मु0 5.30 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। इस पार्किंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपायुक्त, हमीरपुर को चलाने के लिए दे दिया गया है तथा यह पार्किंग पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं :- मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 से बांगरन-शिवपुर-पुरूवाला-सिंहपुर-भंगानी-गौजर-खोदरीमाजरी, MDR स़डक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण स़डक है तथा इसकी लम्बाई 27 किलोमीटर के करीब है। यह स़डक भंगानी गुरूद्वारा सहिब, तीरग़ढ गुरूद्वारा साहिब तथा औद्योगिक क्षेत्र आदि से हो कर गुजरती है तथा प्रतिदिन उतराखण्ड से हिमाचल आने वाले ह़जारों

04/04/2018/1615/RG/AG/5

लोग इस स़डक से प्रवेश करते हैं, जिस कारण इस स़डक पर गा़डियों की आवाजाही अत्याधिक रहती है। इस स़डक के बीच में गढ्डे प़डे हुए हैं, जिस कारण काफी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसकी दयनीय स्थिति होने के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का

सामना करना प़ड रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स़डक को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः

बांगरन-शिवपुर-पुरूवाला-सिंहपुर-भंगानी-गौजर-खोदरी-माजरी स़डक को हाल ही में सरकार द्वारा MDR No. 94 दिनांक 9/3/2018 को अधिसूचित किया गया है। इस स़डक की कुल लम्बाई 26.500 कि0 मी0 है। इसमें पिछले तीन सालों में निम्नलिखित कि0 मी0 में AMP शीर्ष के अंतर्गत Renewal coat की गई हैः-

क्र0 सं0	वर्ष	कि0 मी0	लम्बाई कि0 मी0 में	AMP के अंतर्गत व्यय (लाखों में)	रख रखाव के अंतर्गत व्यय (लाखों में)
1	2015-16	3/0 से 5/0	2.00	56.39	10.03
		6/0 से 7/0	1.00		
		16/0 से 17/0	1.00		
		23/0 से 24/0	1.00		
2	2016-17	4/0 से 5/0	1.00	41.90	12.13
3	2017-18	1/0 से 3/0	2.00	93.91	13.60
		14/0 से 16/0	2.00		
		21/0 से 22/0	1.00		
		जो़ड	**11.000**	**192.20**	**35.76**

इस के अतिरिक्त वर्श 2018-19 में निम्नलिखित कि0 मी0 में AMP शीर्ष के अन्तर्गत Renewal coat प्रस्तावित है जिन के टेंडर हो चुके है और कार्य सम्बन्धित ठेकेदार को अवार्ड किये जा रहे हैः-

04/04/2018/1615/RG/AG/6

क्र0 सं0	वर्श	कि0 मी0	लम्बाई कि0 मी0 में	AMP के अंतर्गत व्यय (लाखों में)	रख रखाव के अंतर्गत व्यय (लाखों में)
1	2018-19	0/0 से 1/0	1.00	अनुमानित व्यय 102.20	अनुमानित व्यय 25.00
		5/0 से 6/0	1.00		
		7/0 से 11/0	4.00		
		11/0 से 12/0	1.00		
		12/0 से 13/0	1.00		
		17/0 से 18/0	1.00		
		18/0 से 20/0	2.00		
		22/0 से 23/0	1.00		
		जो़ड	**12.00**	**102.20**	**25.00**

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विभाग इस स़डक के रखरखाव पर सुचारू रूप से ध्यान दे रहा है। जैसा कि पिछले तीन वर्षों में इस स़डक मार्ग के 11 कि0 मी0 में AMP षीर्श के अंतर्गत Renewal coat बिछाया गया है। वित वर्श 2018-19 में भी इस स़डक में 12.00 कि0 मी0 में AMP शीर्ष के अंतर्गत Renewal coat किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त इस स़डक पर पिछले एक माह से पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-324 के अन्तर्गत अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं :- ‟मै सरकार का ध्यान Giri Irrigation Left Bank Canal की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, यह प्रोजैक्ट सिरमौर जिला का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है । वर्ष 2008 में Giri Irrigation Left Bank Canal, RD 10600 Aqueduct at Banka Khala के पास लगभग 10 वर्ष पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी । इस RD

Aqueduct के आगे 14 किलोमीटर नहर है, जिससे लगभग 852 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसके क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त विभाग ने 300mm की छः

04/04/2018/1615/RG/AG/7

प्लास्टिक की पाईपें लगा कर जिनमें केवलमात्र 25 प्रतिषत पानी ही आता है। इस तरह 875 हैक्टेयर की जगह 125 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई गोंदपुर, निहालगढ. , अमरकोट, निचला कांशीपुर, ऊपरला कांशीपुर, पहाड़वाल, षिवपुर, बं◌ूगरनी तथा बरोटीवाला नामक गांव में नहीं हो रही है जिसके कारण यह गांव सिंचाई से वंचित है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षतिग्रस्त Aqueduct की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मुरम्मत करवाने की कृपा करें।छ

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मण्डल पांवटा साहिब के अन्तर्गत गिरि सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति हि0 प्र.0 सरकार द्वारा दिनांक 1.3.1976 को 491.04 लाख रू0 की प्रदान की गई थी। यह परियोजना गिरि हाईडल प्रोजेक्ट गिरि नगर के टेलरेस पानी पर आधारित है। इस परियोजना द्वारा 5263 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था व इस लक्ष्य को प्राप्त करन◌े के लिए इस योजना के अन्तर्गत बायें व दायें तट पर दो नहरों का निर्माण प्रस्तावित था। बांयां तट व दांयां तट नहरों का निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 में पूर्ण कर लिया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत दोनों नहरें कई स्थानों पर साईफन व एक्वाडक्ट द्वारा गुजारी गई है। इस योजना को बनाये हुए लगभग 36 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जिसके कारण कई जगह लीकेज इत्यादि होने के कारण सिंचित क्षेत्र कम हो गया है।

<u>बायां तट नहरः-</u> तट नहर की कुल लम्बाई 24 कि0मी0 है तथा इसके अन्तर्गत 2492 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रावधान था तथा उतने ही क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2008-09 के दौरान बायां तट नहर पर आर0डी0 10600 पर भूस्खलन व भारी बाढ के कारण aqueduct क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके उपरान्त वर्ष 2009-10 मे aqueduct के स्थान पर 300 एम0एम0 व्यास की 6 पाईपों द्वारा पानी नहर मे डाला गया। लेकिन समय के साथ-साथ इन पाईपों में लीकेज तथा मिट्टी इत्यादि भरने के कारण

सिंचाई हेतू पानी की आपूर्ति कम हो गई है। जिससे गांव गोंदपुर, निहालग़ढ, अमरकोट, निचला कांषीपुरा, ऊपरला कांषीपुर, पहा़डवाला, षिवपुर बूंगरनी तथा बरोटीवाला का सारा क्षेत्र सिंचित नही हो पाता।

04/04/2018/1615/RG/AG/8

इस Aqueduct को नये सिरे से बनाने के लिए अधिशासी अभियन्ता पांवटा मण्डल द्वारा एकमुश्त (Lump Sum) निविदा दिनांक 30.11.2015 को ठेकेदार को 28.03 लाख रू0 की आंबटित कर दी गई थी तथा ठेकेदार ने कार्य भी शुरू कर दिया था परन्तु इस कार्य को रोक दिया गया था क्योंकि Site पर Actual Bearing Capacity कम पाये जाने के कारण Aqueduct का Design बदलना प़ड रहा था व इस की लागत बहुत अधिक ब्रढ रही थी । **इसलिए वर्तमान में Aqueduct को Design के आधार पर बनाने के लिए पुनः निविदाएं आमन्त्रित किया जाना तय किया गया ।** इस निर्णय के अनुसार वास्तविक Bearing Capacity के आधार पर Design बनाकर 52.25 लाख रू0 का प्राक्कलन बनाया गया है **व निविदा आमन्त्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।** इस कार्य को सिंचाई की विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।

अतः उपरोक्त स्थिति तथा कार्य के महत्व को मध्यनजर रखते हुए विभाग इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति नियम-324 के अन्तर्गत अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं :-मैं सरकार का ध्यान नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गांव बूसल में Advance Training Institute की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इस संस्थान के प्रारम्भ होने से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ पहुंचेगा। इस संस्थान को प्रारम्भ करने में देरी की जा रही है जबकि भारत सरकार से इस संस्थान हेतु अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा विभाग ज़मीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, परन्तु अभी तक इस संस्थान का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।
अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने की कृपा करें।

04/04/2018/1615/RG/AG/9

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है :भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 27 Advance Training Institute प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए खोले जाने थे | हिमाचल प्रदेश में Advance Training Institute नगरोटा बगवां तहसील के अंतर्गत गुजरेहरा में खोला जाना प्रस्तावित था जिसके लिए 3-26-83 है० भूमि मुहाल थाना लहार, मौजा थाना बडग्राम, तहसील बड़ोह, जिला काँगड़ा में विभाग के नाम स्थानांतरित हो चुकी है |तदोपरान्त मामला भारत सरकार को प्रेषित किया गया था परन्तु भारत सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय हीं लिया गया है |

04/04/2018/1620/जेके/एचके/1

नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

अध्यक्षः अब श्री जवाहर ठाकुर जी दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और माननीय उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। जवाहर ठाकुर जी यह बहुत अल्पावधि का रहता है। श्री जवाहर ठाकुर जी।

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम-61 के तहत प्रश्न संख्या 232 पर चर्चा करने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार माननीय सदन में आया हूं। मैंने बहुत से प्रश्न किए थे लेकिन चर्चा के समय हमें समय नहीं मिला क्योंकि दो-तीन प्रश्नों पर ही सारी चर्चा माननीय सदन में होती रही जिसकी वज़ह से मैंने जो विषय रखे थे मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करना चाहता था लेकिन समय के अभाव की वज़ह से ये प्रश्न नहीं लग सके। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे मौका दिया गया, इसमें मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप तो सौभाग्यशाली हैं। मुझे 20 साल में नियम-61 के अन्तर्गत अपना मामला उठाने का एक बार भी मौका नहीं मिला।

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जिला मुख्यालय के नज़दीक कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर पर एक स्टोन क्रशर 2003 से काम कर रहा था। उसके बाद 2010 से मई, 2012 तक उसको अनुमति प्रदान की गई थी। यह क्रशर वन खंड रेड़धार वनक्षेत्र 0.78 हेक्टेयर वन भूमि में पट्टे पर दिया गया था और उसके बाद वर्ष 2010 से इस पट्टे को मई 2012 तक बढ़ाया

04/04/2018/1620/जेके/एचके/2

गया था। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 के पश्चात इस स्टोन क्रशर के मालिक के पास वैधानिक स्वीकृति नहीं थी। वन मण्डल मण्डी द्वारा 22.04.2014 को एक पत्र खनन अधिकारी, मण्डी को लिखा गया था कि रसूखदार लोगों के द्वारा अवैध खनन और पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 4 जुलाई, 2014 को प्रैस के माध्यम से "कांग्रेस सरकार में वन व खनन माफिया का राज़" मामला उजागर हुआ था। "बिना मंजूरी क्रशर चला रहा मंत्री" और "खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण"। लेकिन खेद की बात है कि 5 मई, 2012 के पश्चात भी इस स्टोन क्रशर के पास कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं थी। शिकायतकर्त्ता के बावजूद भी उपभोक्ता एजैंसी द्वारा की गई रेत व बज़री सरकारी विभागों को बेची गई थी। इस पट्टा धारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत न तो सीमा के बाहर कोई सीमेंट के पोल लगाए गए थे और न ही पौधारोपण किया गया था। क्रशर का जो वेस्टेज़ मलबा है उसको भी साथ में जो सड़क जाती है, उसके बाहर जो नदी नीचे बहती है उसकी तरफ फेंका गया था। वर्ष 2012 के बाद 2017 तक पट्टा धारक द्वारा अवैध तौर पर रेत व बज़री बेची गई और उसमें

सरकारी क्षेत्र में भी सभी विभागों के लिए रेत व बज़री बेची गई। खनन अधिकारी द्वारा 03.04.2004 को

04.04.2018/1625/SS-DC/1

श्री जवाहर ठाकुर क्रमागतः

वन विभाग को यह बताया गया था कि लगभग 2 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि बनती है। अवैध खनन की वजह से वन अधिकारी द्वारा खनन अधिकारी को बताया गया था कि कम-से-कम 2 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि बनती है, यह 3.4.2014 की बात है। इसे शीघ्र वसूला जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय खेद की बात है कि उसके बावजूद भी इस पट्टाधारक द्वारा जहां क्रशर लगा हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा खनन हुआ है। कम-से-कम वह दो या ढाई हैक्टेयर एरिया बनता है जोकि बिल्कुल सामने है। हम यदि नेशनल हाईवे से भी देखें तो वह जगह बिल्कुल मंडी शहर से सामने नज़र आ रही है। मैं यह मान कर चल रहा हूं कि कोई दो हैक्टेयर से ज्यादा भूमि में कटान हुआ है।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

जिसकी वजह से वहां जो गांव को जाने वाली सड़क है और पीछे जो आबादी बसती है उनको भी भारी नुकसान होने के आसार हैं। आने वाले समय में वहां कभी भी बहुत बड़ा भू-स्खलन हो सकता है और जो गांव के लिए सड़क जा रही है उसको भी नुकसान हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक इसमें कितना अवैध खनन हुआ है? इसमें सरकारों को कितनी रेत-बजरी बेची गई है? उसमें सरकार की कितनी रायलिटी बनती है? उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। ये जो रायलिटी शेष बचती है उसको भी जल्दी-से-जल्दी वसूला जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मालूम हुआ है कि यहां पर कुछ दिन पहले भी बात उठी थी कि यहां पर जनरेटर का प्रयोग करके रेत-बजरी बनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका बिजली का कनैक्शन कब से काटा गया है? उसके बाद कब से जनरेटर लगाया गया है और कितनी रेत-बजरी इस क्रशर द्वारा बनाकर विभागों को बेची गई है? इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। वैसे इस बारे आंकड़ा और भी है। 2003 से लेकर 2008 तक इन्होंने रेवेन्यू 34,09,200/- सरकार के खाते

में डाले हैं। उसके बाद इनका बिजली का बिल भी 2012 तक 45,48,511/- रुपये बनता है। मेरा निवेदन है कि 2012 से 2018 तक जो भी यहां पर बिजली का इस्तेमाल हुआ है और जनरेटर द्वारा क्रशर को चलाया गया है उसमें किस रेशो के हिसाब से आंकड़ा लगवाया जाए और मुझे जानकारी प्रदान की जाए कि इस दौरान इससे कितना माल बेचा गया।उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में चर्चा के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

04.04.2018/1625/SS-DC/2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा का माननीय उद्योग मंत्री जी उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-61 के अन्तर्गत श्री जवाहर ठाकुर जी जो विषय लाए हैं, --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः बीच में बात न करें। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जो लक्ष्मी स्टोन क्रशर के विषय में यहां पर सम्माननीय विधायक, श्री जवाहर ठाकुर जी चर्चा लाए हैं, इसमें जो इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है और इस चिन्ता के माध्यम से ये तो पिछली सरकार में चलने वाले कामों की एक छोटी-सी झलक है।

4.04.2018/1630/केएस/एचके/1

उद्योग मंत्री ....जारी---

इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने चिन्ता जाहिर की है, बिना अनुमति के, बिना क्लीयरैंसिज़ के यह क्रशर पिछली सरकार के समय में चलता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह जो क्रशर है, यह डेढ़ किलोमीटर की दूरी से है, जो मुख्यालय की बात माननीय सदस्य होशयार सिंह जी कर रहे हैं। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2008 में इस खनन पट्टे का कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन पट्टेदार श्रीमती

कांगदू ठाकुर द्वारा उक्त खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु विभाग को पुनः प्रार्थना की गई थी लेकिन इस दौरान पट्टाधारी के पास वन भूमि से सम्बन्धित मंजूरी न होने के कारण उपरोक्त खनन पट्टा उसको पुनः प्रदान नहीं किया जा सका। वन विभाग ने इसकी मंजूरी 13.08.2010 व 16.03.2011 को प्रदान की थी और इस पत्र के अनुसार वन सम्बन्धी जो आप फोरैस्ट क्लीयरैंस की बात कर रहे हैं, 2015 तक उसको बढ़ा दिया गया था लेकिन इसी दौरान वर्ष 2011 में श्रीमती कांगदू ठाकुर, पत्नी श्री लक्ष्मी दास का देहांत हो गया और श्रीमती कांगदू ठाकुर ने मरने से पूर्व इस आशय से इच्छा पत्र जारी कर रखा था कि मरने के बाद लक्ष्मी स्टोन क्रशर का पूर्ण अधिकारी या भोक्ता उसका पोता श्री चंद्रशेखर, सुपुत्र श्री कौल सिंह ठाकुर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी अनुमति वर्ष 2009 में समाप्त हो गई और इसके बाद भी यह स्टोन क्रशर अवैध तरीके से चलता रहा जिसका संज्ञान लेते हुए खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर 7.10.2010, 19.04.2010, 22.07.2011 , 04.07.2014, 19.07.2017 को चालान करके माननीय न्यायालय में दायर किए गए। इन चालानों का निपटारा करते हुए माननीय न्यायालय ने स्टोन क्रशर के विरुद्ध 4 हजार रुपये की जुर्माना राशि लगाई थी। वर्ष 2009 से लेकर 14 अगस्त 2017 तक बिना परमिशन के खनन करने पर उक्त स्टोन क्रशर के विरुद्ध 2 करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपये का जुर्माना वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वसूली हेतु आगामी कार्रवाई जारी है। खनन

4.04.2018/1630/केएस/एचके/2

अधिकारी मण्डी, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार स्टोन क्रशर के नज़दीक कोई भी रिहायशी घर नहीं है और न ही लोक निर्माण विभाग की सड़क को आज तक कोई नुकसान हुआ है। वन विभाग को भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हमारे विभाग द्वारा लक्ष्मी स्टोन क्रशर को दिनांक 21.03.2018 को 2 करोड़ 90 लाख 8 हजार रुपये का अन्तिम नोटिस जारी कर दिया है। उक्त नोटिस के तहत श्री चन्द्र शेखर, लक्ष्मी स्टोन क्रशर को उपरोक्त राशि

सरकारी कोष में जमा करवाने के लिए 15 दिन का अन्तिम अवसर प्रदान किया है। यदि उपरोक्त क्रशर मालिक उक्त समयावधि में उपरोक्त राशि सरकारी कोष में जमा नहीं करवाते हैं तो उनके विरुद्ध arrear of land-revenue की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत पार्टी की चल-अचल सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, उस विषय में मैंने इनको पूरी डिटेल दी है और मुझे लगता है कि इस विषय पर जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको बताया जाए। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः नियम-61 के ही अंतर्गत अब श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा करेंगें।

4.4.2018/1635/av/hk/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को अतिरिक्त तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा के लिए समय दिया गया है, मैं आपका और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं।

यह कुल्लू के लिए एक बहुत ही अहम विषय है और सौभाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मान्य सदन में उपस्थित है। प्रश्न यह था कि जिला कुल्लू स्थित वैष्णो माता मंदिर का निर्माण वैध भूमि पर है? यदि नहीं, तो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी? इसमें जवाब दिया गया है कि वैष्णो माता मंदिर का निर्माण अवैध रूप से सरकारी भूमि पर हुआ है। उसके आगे 'ख' भाग के जवाब में यह कहा गया है कि वैष्णो माता मंदिर का अवैध रूप से निर्मित्त कुछ हिस्सा जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि पर बना था उसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है। यहां इस प्रकार से बताने की कोशिश की गई है कि मानो हमारी सरकार ने कोई बहुत बड़ा

कदम उठा लिया। वहां पर 5 बीघे से ऊपर तो उसका कनस्ट्रक्टिड एरिया है और हर साल विस्वे में नहीं बल्कि कई बीघों में यह कनस्ट्रक्शन बेरोक-टोक बढ़ती जा रही है। अगर यह अवैध निर्माण नहीं था तो पिछली सरकार के समय में वहां पर बिजली-पानी का कनैक्शन क्यों काटा गया? यह मंदिर नहीं है बल्कि यह एक परिसर है और यहां पर हाल ही में अनेकों प्रकार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वहां पर एक विस्वा भी मलकियत जमीन नहीं है और न ही किसी डोनर ने वहां पर जमीन दी है लेकिन मंदिर की आड़ में तथा धर्मशाला के नाम पर मुख्य मंत्री जी, वह वहां पर लगभग 70 कमरों का होटल चला रहा है। उस होटल के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, उससे सरकार को कोई आय नहीं आ रही है और आप इनकम की बात कर रहे हैं। यह होटल पूरे-का-पूरा फोरैस्ट एरिया में बना हुआ है। उस व्यक्ति की इतनी चलती है कि जब वहां से यह नेशनल हाई-वे बनना शुरू हुआ तो उसने अपने मुख्य भवन को बचाते हुए उस नेशनल हाई-वे के सर्वे को नदी की तरफ से मोड़ दिया और अपना सारे-का-सारा एरिया बचा लिया। डेढ़ साल पहले उसका बिजली-पानी काटने के बावजूद

4.4.2018/1635/av/hk/2

आज भी वह मंदिर परिसर बल्कि मैं तो कहूंगा कि वहां वर्तमान में 4 स्टार होटल बना हुआ है। उस होटल में सारे कमरों में अटैच्ड बाथरूम हैं और हनीमून कपल्स व बड़े-बड़े टूरिस्ट ग्रुप्स वहां पर आते हैं। आप जायेंगे तो देखेंगे कि वहां रोज 15-15, 20-20 टूरिस्ट बसें खड़ी होती हैं। वैष्णो देवी माता मंदिर में जहां साउथ या दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों से टूरिस्ट आता है उन्हें यह लगता है कि वैष्णो माता का मंदिर यहीं पर है। वहां पर गुफा हमारे सामने-सामने बनाई गई और उस गुफा के अंदर मूर्ति रखी गई तथा आज वहां पर वह होटल अवैध रूप से चल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि कृपया हिमाचल में इस प्रकार की संस्कृति को रोकिए। यहां पर बताया गया कि यह सामान्य विषय का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैं आपसे यह पूछना

चाहूंगा कि क्या इस पर कोई स्टे है? इस पर कोई स्टे नहीं है, कोई इन्टैरिम ऑर्डर नहीं है। अगर कोई ऐसा इन्टैरिम ऑर्डर है तो उसका बिजली-पानी का कनैक्शन क्यों काटा गया

04.04.2018/1640/TCV/YK-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर... जारी

क्योंकि वह अवैध निर्माण था, अवैध भवन था, उसका कोई स्टे नहीं था। आज वह बिना परवाह किए हुए जनरेटर से पूरे-के-पूरे परिसर को चला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको बहुत-सारे लोगों का संरक्षण है। आपने कहा कि मन्दिर की कमाई से गाड़ियां खरीदी जाती है। वह व्यक्ति तो बड़े-बड़े नेताओं को गाड़ियां ही बेच देता है। वहां पर कुछ लोगों को चुप रहने के लिए गाड़ियां बेची गई है। एक और बात कहना चाहूंगा। वहां पर कोई भी चैरिटी का काम नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी मैं फिर से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। आपने कहा 15 प्रतिशत गऊवंश को जाएगा। इसकी आप विजिलैंस से जांच करवा लीजिए, पठानिया जी ने यहां पर कहा था, हररोज इस व्यक्ति की इन्कम कम-से-कम 5 से 10 लाख रुपये हैं। इस तरह से इस मन्दिर की 10 करोड़ के करीब इन्कम पूरे साल की है। आज इसकी विजिलैंस से जांच करवाईये। हम नहीं कहते कि मन्दिर तोड़ें। लेकिन वहां पर जो परिसर है, जिसको अभी भी अवैध रूप से चलाया जा रहा है और वह उसको धड़ले से चला रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुझ में हिम्मत है और मैंने ये बात कही है। आप इसकी जांच करवाईये। वैसे तो यह कई करोड़ों का मामला है और सी0बी0आई0 का मामला बनता है। लेकिन इस परिसर की जांच स्टेट विजिलैंस से होनी चाहिए कि इस परिसर की हररोज़ की कितनी इन्कम है? ऐसे कौन-से व्यक्ति है, जो इसको संरक्षण देना चाहते हैं। वहां पर एक कन्जर्वेटर है, जिसके पास बहुत पहले ये आदेश पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्य मंत्री ने इसी बात के लिए, क्योंकि वह कार्रवाई नहीं कर रहा था, उसका वहां से तबादला कर दिया था। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इण्डियन फॉरेस्ट सर्विस के किसी व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल से स्टे लेकर सरकार के फैसले को मानने से इन्कार किया है। आप ऐसे ऑफिसरों को वहां रखना चाहते हैं, जो

ऐसे लोगों को संरक्षण दें। आज उस ऑफिसर की वज़ह से कुल्लू को एन0जी0टी0 में कई जगह फटकार लगी है। वैष्णों माता मन्दिर मामले में, इसका सीवरेज का पानी कहां

04.04.2018/1640/TCV/YK-2

जाता है? एन0जी0टी0 ने ये cognizance लिया था और विभाग की ओर से कुछ और ज्यादा नहीं किया गया। मुझे लग रहा है कि फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर उसको संरक्षण देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि जब उसका बिजली-पानी काटा गया है तो तुरन्त प्रभाव से उस बाबे को आगे और लूट-खसूट करने से रोका जाये। अभी-अभी उसने करोड़ों रुपये की ज़मीन वहां कुल्लू में खरीदी है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बाबे की ज़मीन की जांच की जाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत गम्भीर विषय है। वहां पर पिछले दिनों में कई हत्याएं हुई हैं। जो Unreported matters हैं। वहां पर कई लाशें मिली हैं, जो Unreported matters हैं। आप कृपया करके ऐसे बाबों को हिमाचल की संस्कृति में पनपने से रोकिए। ये भी एक जांच का मामला बनता है। एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार से ऐसा एक अवैध करोबार चला रहा है, जिसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता है। ये जो अवैध रूप से परिसर चल रहा है, इस पर तुरन्त कार्रवाई कीजिए। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि उस अवैध परिसर की आय का आक्कलन जरूर करवाईये। उस अवैध परिसर को सरकारी कब्जे में लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं इस संदर्भ में आपसे आश्वासन चाहता हूं, माननीय मंत्री जी वहीं से है और आप भी इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे बाबों के खिलाफ़ हमें आवाज़ बुलन्द करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना पड़ेगा। मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

04-04-2018/1645/NS/YK/1

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा का उत्तर माननीय वन मंत्री जी देंगे।

वन मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कुल्लू विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य ठाकुर सुन्दर सिंह जी का प्रश्न 2 तारीख को इस माननीय सदन में लगा था। लेकिन उस दिन हम इसका उत्तर नहीं दे पाये थे क्योंकि समय समाप्त हो गया था। नियम-61 के अन्तर्गत आपने इस विषय पर चर्चा मांगी है। आपने जो इस विषय पर प्रश्न किये हैं, मैं आपको उनका उत्तर भी दूंगा। लेकिन वास्तव में कुछ और तथ्य भी हैं, जो हमारे ध्यान में आने चाहिए। एक तो केवलमात्र वैष्णो माता मंदिर, कुल्लू का ही प्रश्न नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश या पूरे देश में भी असंख्य धार्मिक स्थान ऐसे हैं, जो कहीं-न-कहीं वन भूमि पर बने हुये हैं। इसमें चर्च, मस्जिद, मंदिर और गुरूद्वारे हैं। ये कई प्रकार के हैं। लेकिन तब भी यह लगता है कि किसी भी बात को कहने के लिए हमारे पास पूरे तथ्य होने चाहिए। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पूरे फैक्ट्स के साथ इस बात को रखना उचित है। क्योंकि सदन में जिम्मेदारीपूर्वक बात आये तो अच्छा लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैष्णो मंदिर बहुत वर्ष पहले बना हुआ है। शायद हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे। यह मुझे मालूम नहीं था कि यह बात यहां तक आएगी। एक स्वामी जी वहां पर आये और वे वहां रह कर छोटी-सी गुफा में तपस्या करते थे। कुल्लू के लोग कहते थे कि वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अवतार हैं और वे शक्ल से भी वैसे ही लगते थे। अब मुझे यह मालूम नहीं है। क्योंकि हम तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। वहां पर बहुत ही घना जंगल था और वे इस गुफा में रहते थे। अन्ततः वहां पर लोगों का आना-जाना प्रारम्भ हुआ और पूरे ज़िले में स्वामी जी की बहुत श्रद्धा थी। धीरे-धीरे पूरे कुल्लू नगर और आसपास के लोगों की भी श्रद्धा बनती गई। फिर कुल्लू के एक परिवार की महिला ने इसे संभाला। अब इनको सब लोग माता जी कहते हैं और वे अब लगभग 85 या 90 वर्ष की हो गई हैं। इन्होंने सन्यास लिया और स्वामी जी की मृत्यु के बाद वहां की मुखिया बनी हैं। वर्ष 1964 में वहां पर एक छोटी गुफा और एक छोटे मंदिर का निर्माण हुआ। अभी वर्तमान में जो यह मंदिर है, यह शारदा मां सेवा संघ है और यह सोसायटीज़

04-04-2018/1645/NS/YK/2

रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आदि अधिकतर कुल्लू नगर के लोग हैं। दूसरी बात जो आपने कही है, मैं मानता हूं कि वैष्णो माता मंदिर का जो हमने आपको उत्तर दिया है, यह पूरी तरह से वन विभाग की भूमि पर बना हुआ है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। वैष्णो माता मंदिर के निर्माण के संबंध में 31.12.2010 को 'The Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 के अन्तर्गत इसको अवैध पाया गया

04.04.2018/1650/RKS/YK-1

वन मंत्री.... जारी

और इसके बारे में चालान पेश किया गया। अब 0.7583 हैक्टेयर ज़मीन है। इस भूमि की बेदखली का मामला डी.एफ.ओ.-कम-कलैक्टर की अदालत में चला हुआ है। जो दिनांक 31.12.2010 को चालान किया गया था; दिनांक 08.60.2011 को इस मामले को टैम्परेरी तौर पर सस्पैंड किया गया। इसमें यह कहा गया कि इसी तरह का मामला माननीय उच्च न्यायालय में चला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो पूरे प्रदेश में अवैध कब्जे हैं, बागीचों पर जो कब्जे हैं, इस तरह का एक केस चलता रहा। जब इसके बारे में समाचारा पत्रों में प्रकाशित हुआ तो इसका प्रकाशन होने के बाद CWP (PIL) No. 57/2009 Court on its own Motion Versus State of Himachal Pradesh में दिनांक 10.05.2013 को एक आदेश आया। जिसमें यह कहा गया- Since the wider questions are subject matter of proceedings pending before the Hon'ble Supreme Court, hearing of this petition deferred till 22nd July, 2013 to be listed under caption "orders". We make it clear that pendency will not come in the way of the State authorities to proceed against unauthorized construction/encroachments, if any, in accordance with law, if so advised, as the Hon'ble Supreme Court in the order

dated 29th September, 2009 in SLP No. 8519 of 2016 has already issued direction to the State authorities to examine every case independently and proceed in the matter in accordance with law. यानी यह माननीय उच्चतम न्यायाल ने कहा। उसके बाद डी.एफ.ओ.-कम-कलैक्टर, कुल्लू ने इसकी बेदखली के ऑर्डर पास किए। इस बेदखल ऑर्डर के खिलाफ शारदा सेवा समिति के बाबा कमाल दास जी ने डिवीजनल कमिश्नर में अपील की। डिवीजनल कमिश्नर ने डी.एफ.ओ-कम-कलैक्टर के ऑर्डर को वैसे ही रखा। उसके बाद दिनांक 21.04.2015 को वे हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा कि डिवीजनल कमिश्नर, मंडी ने इस केस का स्टेट्स वैसा ही रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें दो बातें नहीं कही गई है। नम्बर-1, इसमें कोई भी स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था। परन्तु स्पीकिंग

04.04.2018/1650/RKS/YK-2

ऑर्डर का मुझे समझ नहीं आ रहा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी जब यहां बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? क्योंकि मैं एडवोकेट तो नहीं हूं । श्री राम लाल ठाकुर जी आप लॉ के बारे में जानते हैं। माननीय भारद्वाज जी ने कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर में रीजन देता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं थे और आपने कोई रीजन नहीं दिए। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्पैसिफिक ऑर्डर है तो क्या वैष्णो देवी माता के मंदिर को ही बेदखल किया जाए?

04.04.2018/1655/बी0एस0/ए0जी0-1

वन मंत्री जारी

इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को रोका। उन्होंने कहा -The learned Amicus Curiae stated at the bar that the matter is sub-judice before the Apex Court and prayed for adjournment. We deem it proper to consign his petition

to the records at this stage with the liberty to lay a motion at appropriate stage, if need may arise. फिर उसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय में जो उनकी अपील थी, बाबा कमाद दास जी बिलासपुर के रहेने वाले हैं, जो बाबा कमाल दास जी के पास जमीन थी सिविल पेटिशन का नम्बर 3110/2014 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि Mr. Niraj Gupta, learned counsel for the petitioner, stated at the Bar that the matter is sub-judice before the Apex Court and the orders in the matter shall virtually govern this writ petition also along with the orders to be passed by this Court in CWP (PIL) No. 57 of 2009, which has been consigned to records and prayed that it be also consigned to record. His statement is taken on record. Accordingly, the writ petition is consigned to records. अभी मैं उसके बाद जो आपके ध्यान में जो लाने वाला हूं, उसके पीछे जो एक कारण था, कारण यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में एक एस.एल.पी. नम्बर 8519/2006 विचारधीन है। वह केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं वह पूरे भारत के जितने धार्मिक स्थल हैं उन सब धार्मिक स्थलों के बारे में कहा गया है कि जितने भी धार्मिक स्थानों में कब्जे हैं, इनके बारे में स्टेट में भी और पूरे देश में भी कोई-न-कोई पॉलिसी बने। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि जितने भी स्थान हैं, चाहे मसजिद है, चाहे गुरूद्वारा है, चाहें, मंदिर है और चाहे चर्च है, सबको (व्यवधान)..... मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा जब माननीय उच्चतम

04.04.2018/1655/बी0एस0/ए0जी0-2

न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इस मामले में हमारा कुछ कहना नहीं है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर कोई फैसला देगा उसके बाद ही यह हो जाएगा। उसके बाद एक बात जो आपने कही है, वह यह बात कही है कि इस सबके बावजूद 2015-16 में जब न्याय पालिका में यह केस था, सरकार आपकी थी, किसी आई.एफ.एम.की इतनी हिम्मत

नहीं होती है कि आज हमारी सरकार आई तो वह आई.एफ.एम हमारे कहने पर कार्य करें। सरकार कांग्रेस की थी और जिस आई.एफ.एस. की आप बात कर रहे हैं वहीं आई.एफ.एस. उस वक्त छोड़िए मुझे इस बारे में नहीं कहना। लेकिन इतनी तेजी से काम किया वह काम क्या किया ? मैं नहीं कहता, उस मंदिर के लिए आप प्रदेश में उस तरह के निर्णय करें। जाते-जाते जिस नेशनल हाईवे की बात आप कर रहे हैं, सरकार आपकी थी, क्या बाबा जी आपकी सरकार में इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने उस सड़क का एलाइनमैन्ट बदल कर ब्यास के दूसरी तरफ कर दिया। दूसरा आपका ये कहना है कि बुलडोजर से उसको तोड़ा । (व्यवधान)..... मैंने आपकी बात को सुना अब आप मेरा उत्तर भी सुनों।

उपाध्यक्ष : कृपया माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं , उत्तर सुनिए।

वन मंत्री : मैं फैक्टस पर बात कर रहा हूं, आप फिर बोल लेना। उसके बाद आखिरकार जब यह सब हुआ, जब यह सारे ऑडर्ज़ थे, तब सोचा कि रातों- रात पानी बिजली काट दो और बिजली पानी काट दिया। दूसरी एक और बात कहना चाहूंगा कि वहां पर अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। लेकिन आपकी जानकारी में वे गतिविधियां भी ध्यान में आए, वे गतिविधयां क्या- क्या चलती रही। वहां पर 24 घंटे लंगर चलता है ।

04.04.2018/1700/डी0टी0/डी0सी0-1

उपाध्यक्ष : पांच बज चुके हैं यदि माननीय सदन की सहमति हो तो 10 मिनट के लिए समय बढ़ा दिया जाए। माननीय सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है।

वन मंत्री: वहां पर 24 घंटे लंगर चलता है, लंगर में लोकल यात्री और जो टूरिस्ट आता है, उसको खाना मिलता है। दूसरा वर्तमान समय में जो पूरी दुनिया घूम कर टूरिस्ट आता है, वह चाहे विदेश से आए चाहे देश से आए कोई टुरिस्ट इतना मंद बुद्धि नहीं कि उसे पता न हो कि जम्मू की वैष्णो माता कौन सी है और बिलासपुर की बैष्णों माता कौन सी है। अब मुझे

लगता है कि सबकी बुद्धि इतनी तो होती है कि बैष्णो माता में जा करके कटरा स्थान भी है और कुल्लू की बैष्णों माता और मनाली, सिरमौर और लाहौल में हिडिम्बा माता है। इतनी बुद्धि सबको होती है, दूसरा वहां पर जो कार्य होते हैं जैसे शादी विवाह, भजन कीर्तन, मुंडन करने के लिए लोगों को एक सस्ता स्थान मिलता है। तीसरा होटल जैसे कमरे और सरायं बनी हैं। सरायं के कमरे बहुत सुंदर बने हैं। अब जो चार बिस्तरों का कमरा है वह अगर 400/- रुपये में मिलता है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ यह भी है कि कम से कम मेरे होटल ढालपुर के लिए तो कोई चेलेंज नहीं है। दूसरा आप देखिए सरायं /होटल में सब जगह लोग ठहरते हैं और फिर मैंने कहा कि एक्यूप्रेशर प्रदेश में आरम्भ हुआ है। स्वामी नरेंद्र बषोणा के रहने वाले थे । स्वामी नरेन्द्र ने सन्यास लिया था और उन्होंने वहां पर एक्यूप्रेशर का कार्य प्रारम्भ किया और कई लोग वहां पर ठीक हुए। बाद में पता नहीं क्या हुआ यह आत्महत्या थी या नहीं वह एक अलग विषय है। जो आपने कहा कि रोड़ बदला वहां पर एक गौशाला थी। वहां 100 गाएं थी, रातों-रात बुलडोजर से वहां तोड़ने का कार्य हुआ तो यह भी कहा गया कि मंदिर को तोड़ दो। एन. एच. वालों ने कहा कि बाकी तो ठीक है ये तो हमारी लैंड में

04.04.2018/1700/ डी0टी0/डी0सी0-2

आता है, इसका तो पैसा हमने दिया है, इसको तो हम तोड़ दें। परंतु ये जो ऊपर वाला स्थान है इसका तो एन.एच. से कोई लेना देना नहीं है इसको हम क्यों हाथ लगाएं। उसके बाद साहित्य लेखन का काम, बहुत अच्छी धार्मिक किताबों का काम वहां पर होता रहा है। बच्चों को धार्मिक प्रवचन, गायत्री पाठ शारदा माता अपने आप करती हैं। अब आखिरकार ये गतिविधियां चलती हैं। लेकिन उसके साथ दूसरा विषय जो आप कहते हैं कि आखिरकार बाबा कमाल दास जी को व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नहीं कहना। व्यक्तिगत रूप से जो बाते आपने कहीं हैं और मुझे लगता है कि आपने एक तरह के सीधे-

सीधे आरोप लगाए हैं। अब जब सीधे-सीधे आरोप लगे हैं, जो आपने कहा वही प्वाइंटस मेरे पास हैं।

04/04/2018/1705/RG/DC/1

वन मंत्री------जारी

उसके बाद आप यह भी कहते हैं कि बाबाजी की जमीनों की जांच हो। तो जांच हो जाए।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मेरे ख्याल से अब बहुत विस्तृत उत्तर हो गया।

वन मंत्री : आपने यह भी कहा कि कमेटी में एक बाबा है। मैं शारदा मॉ कमेटी की जांच करुंगा और जांच करके सदन में यह रिपोर्ट दूंगा कि क्या केवल मात्र अकेले बाबा कमाल दास जी हैं? अगर अकेले बाबा कमाल दास हैं, तो मैं आपके साथ हूं। शारदा मॉ कमेटी के साथ यदि ऐसा लगता है कि कुल्लू का कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं है, तो मैं जिम्मेवारीपूर्वक रिपोर्ट हॉऊस में ले करुंगा। अगर वह गलत निकला, तो मैं जिम्मेवार। आप कहते हैं कि आपने यहां कहा और सदन में रिकॉर्ड है। -----(व्यवधान)----हम यहां लाएंगे।

उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी उत्तर हो चुका है। -----(व्यवधान)----
आप लोग बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं होता।

वन मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मंदिर परिसर आज भी है-----(व्यवधान)----आपने कहा कि क्या स्टे है? वहां गाड़ियां आना, पर्यटक आना क्या गुनाह है? -----(व्यवधान)----

उपाध्यक्ष : आप बैठिए, ठाकुर राम लाल जी माननीय मंत्री जी को उत्तर तो देने दीजिए।

श्री राम लाल ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

वन मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और है-----(व्यवधान)----ठाकुर साहब आप एक बात सुनिए। अब अगर ट्रिब्युनल ने किसी को स्टे दिया, तो क्या वह मेरी गलती है? आपकी सरकार क्या करती है, लेकिन एक बात पक्की है। मैं यह मानूंगा कि अगर मंदिरों के संबंध में इतनी गलत धारणा दिमाग में पाल ली है-----(व्यवधान)----औरंगज़ेब व बाबर ने बहुत मंदिर तोड़े।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब सभी चीजें आ गई हैं, ये सब लिखकर दे देंगे।

04/04/2018/1705/RG/DC/2

वन मंत्री : न्यायपालिका का सम्मान होगा। गलत कामों की जांच करेंगे, गलत आदमी की जांच करेंगे, लेकिन बिना कारण के कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि व्यक्गित उनसे निपटें। मैंने सारे तथ्य यहां रख दिए हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

Sh. Ram Lal Thakur : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I have Point of Order. ---(interruption)---. Don't make it a personal issue.---(interruption)---.It should not be done here.-----(व्यवधान)----

उपाध्यक्ष : आप किसी और नियम में पूछ लीजिए। आप बैठिए। -----(व्यवधान)----
माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट बैठिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। -----(व्यवधान)---माननीय राम लाल जी, एक मिनट बैठिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया, सभी बैठ जाएं।

इस माननीय सदन की बैठक स्थगित करने से पूर्व मुझे आपको सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज सांय 8.00 बजे पीटर हॉफ में सभी माननीय सदस्यों को रात्रि भोज में सपरिवार आमंत्रित किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : मैं स्वयं भी निवेदन कर लेता हूं। मेरा सभी माननीय सदस्यों एवं विपक्ष के भी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज शाम परम्परा के अनुसार जो मुख्य मंत्री की ओर से बजट सत्र की समाप्ति के पश्चात रात्रि भोज होता है, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने सुना कि कार्ड में कोई त्रुटि रह गई थी, तो आप सभी पत्नी सहित आ सकते हैं, जो यहां उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 04 अप्रैल, 2018 **सचिव।**